




सामाजिक विज्ञान

इतिहास

हमारा भारत - IV

कक्षा नौवीं के
लिए इतिहास की
पाठ्य पुस्तक



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
Board of School Education Haryana

ई-पाठशाला

क्यूआर (QR) कोड से खंबखू ई-सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए चरणबद्ध मार्गदर्शिका

प्रत्येक अध्याय के पहले पृष्ठ पर स्थित कोड वॉक्स को विविध रिस्यूंस कोड – क्यूआर (QR) कोड कहते हैं। यह आपको अध्याय में दिए गए विषयों से संबंधित ई-सामग्री, जैसे आँड़गो, वीडियो, मर्टीमीडिया, पाठ्य-सामग्री आदि को प्राप्त करने में सहायता करेगा। पहला क्यूआर कोड संगृण ई-पाठ्यपुस्तक प्राप्त करने के लिए है और प्रत्येक अध्याय में दिए गए क्यूआर कोड उस अध्याय से संबंधित ई-सामग्री प्राप्त करने में मदद करेंगे। यह प्रक्रिया आपको आनंदपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी।

अपने मोबाइल फ़ोन या टेबलेट द्वारा निम्नवत् चरणों का पालन कर और ई-पाठशाला  के माध्यम से ई-सामग्री प्राप्त करें।



प्ले स्टोर से ई-पाठशाला स्कैनर एप डाउनलोड करें और इसे खोलें।

क्यूआर कोड स्कैनिंग विडो को तैयार रखें।

स्कैनर से क्यूआर कोड को स्कैन करें।

लिंक को स्लिलेट एवं विलक्षण करें।

उपलब्ध ई-सामग्री का प्रयोग करें।

डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ई-पाठशाला द्वारा ई-सामग्री प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें—
<https://epathshala.nic.in/topics.php> पर जाएँ और क्यूआर कोड के नीचे दिए गए एल्फान्यूरिक कोड को दर्ज करें।

दीक्षा

 दीक्षा एप को गुगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करें फिर नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। दीक्षा का उपयोग करते हुए आप अपने स्मार्टफोन या टेबलेट से ई-सामग्री प्राप्त करें।



दीक्षा एप को गुगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करें फिर नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। दीक्षा का उपयोग करते हुए आप अपने स्मार्टफोन या टेबलेट से ई-सामग्री प्राप्त करें।

<https://diksha.gov.in/resources/> पर जाएँ और क्यूआर कोड के नीचे दिए गए एल्फान्यूरिक कोड को दर्ज करें।

जन-गण-मन

जन-गण-मन अधिनायक जय हे

भारत-भाग्य-विधाता।

पंजाब सिंध गुजरात मराठा

द्राविड़ उत्कल बंग।

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,

उच्छ्वल जलधि तरंग।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष माँगे;

गाहे तव जय गाथा।

जन-गण मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय जय हे॥

भारत माता की जय।



सामाजिक विज्ञान

इतिहास

हमारा भारत IV

कक्षा ४वीं के लिए पाठ्यपुस्तक

©CBSEH, Bhiwani
Not to be republished



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
Board of School Education Haryana

मूल संस्करण :

© हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

संस्करण : प्रथम - 2022

संख्या : 3,00,000

४८

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना, इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकार्डिंग अथवा किसी विधि से पुनः प्रयोग एवं द्वारा इसका राग्हण और प्रसारण वर्जित है।
 - इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति बिना, यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उत्तरी पर पुनःविक्रय या किराये पर न दी जायेगी और न ही बेची जायेगी।
 - सभी मानचित्र ArcGIS सॉफ्टवेयर के मायम से तैयार किए गए हैं। इस प्रक्रिया में कई मुक्त स्रोतों से जुटाए गए भू-आकृतिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। सभी मानचित्रों का प्रति सत्यापन कर लिया गया है एवं अशुद्धियों को न्यूनीकृत करना यथासम्भव प्रयत्न किया गया है, यद्यपि आधार मानचित्र की शुद्धता के आधार पर सीमांकन में बहिर्भूत अथवा उत्तराखण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि आधिकारिक और संप्रत प्राप्त मानचित्रों को ही आधार मानचित्रों के रूप में प्रयुक्त किया गया है तथापि मानचित्रों में कोई असंगतता सुधी नक्काशों के ध्यान में आती है, तो वे यथोचित प्रमाणों के साथ उसे शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं।
 - पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त चित्रों को विभिन्न पुस्तकों, संग्रहालयों और इंटरनेट पर उपलब्ध मुक्त स्रोतों से संग्रहीत किया गया है। चित्रों के प्रयोग का उद्देश्य विषयवस्तु का स्पष्टीकरण तथा छात्रों का घटनाओं, पात्रों और स्थानों से जुड़ाव करवाने का है। इन चित्रों को मात्र सामान्य सूचना एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किया गया है।
 - इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टीकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य मान्य नहीं होगा।

संचिव

मुद्रक : सुप्रीम ऑफसेट प्रेस, 133, उद्योग केंद्र एक्स-1, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

प्राककथन

समय परिवर्तन के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में परिवर्तन अति आवश्यक है ताकि विकास तीव्रतम गति से हो। विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली, सकारात्मक व सुरुचिपूर्ण बनाने हेतु पाठ्यचर्चा में समय-समय पर सकारात्मक बदलाव करना एक आवश्यक कदम है। वर्तमान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत समस्त शिक्षण अथवा शैक्षणिक क्रियाओं के केन्द्र में छात्र हैं। इसलिए छात्रों की सीखने के प्रति रुचि बढ़ाने, उनका स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर स्वतन्त्र चिंतन विकसित करने के उद्देश्य से भी पाठ्यचर्चा में परिवर्तन आवश्यक है। इस कार्य में शिक्षक की सहयोगी एवं मार्गदर्शक की भूमिका अपेक्षित रहती है।

इस प्रकार पाठ्यचर्चा में बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इतिहास विषय के विशेषज्ञों (जिनमें विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक शामिल थे) से विचार-विमर्श करके कक्षा छठी से दसवीं तक के इतिहास विषय का पाठ्यक्रम कर विस्तृपत्ति करते हुए नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम को तैयार करते समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उस भावना को ध्यान में रखा गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयी विषयों का माध्यम से छात्रों का भारत का उपयुक्त ज्ञान कराने की अनुशंसा की गई है। इस परिधि में भारतवर्तियों को सफलता प्री ग थाएँ तथा भविष्य की चुनौतियों का उल्लेख व भारत के सुदूर क्षेत्रों में बसने वाले समाज की ज्ञान परम्पराओं का विशेष समावेश करने की बात कही गई है। शिक्षा नीति-2020 के निर्देशों को अनुपालना इतिहास की इन पुस्तकों के माध्यम से करने का सार्थक प्रयत्न किया गया है।

परिवर्तित पाठ्यक्रम के उन्नेसां छठी कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक क्रमशः हमारा भारत-I (कक्षा-6), हमारा भारत-II (कक्षा-7), हमारा भारत-III (कक्षा-8), हमारा भारत-IV (कक्षा-9) और भारत एवं विश्व (कक्षा-10) नाम से नई पाठ्यपुस्तकों को तैयार करवाते समय यह भी ध्यान रखा गया कि ये सरल, सुरुचिपूर्ण, सुग्राह्य व आकर्षक हों, ताकि छात्र आपानों से इनमें उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात् कर स्थानीय एवं राष्ट्रीय तथा सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ें। छात्र ऐतिहासिक व सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्र और संविधान के प्रति निष्ठा, आत्मसम्मान व स्वानिष्टन से ओत-प्रोत होकर स्वयं को एक सुसभ्य, सुसंस्कृत तथा सकारात्मक नागरिक के रूप में स्थापित कर सकें।

बोर्ड को इन पुस्तकों को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है, साथ ही यह विश्वास भी है कि ये पाठ्यपुस्तकें छात्रों व शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। ये पाठ्यपुस्तकें अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ छात्रों के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास में प्रभावी मार्गदर्शन करेंगी। पुस्तकों को भविष्य में श्रेष्ठतर तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं।

अध्यक्ष

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
भिवानी

उपाध्यक्ष

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
भिवानी

इतिहास बोध

सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी विषय यथा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इत्यादि हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। इस समझ के आधार पर हम अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को भविष्य में श्रेष्ठतर बनाने का सपना संजोते हैं और उसके लिए यथेष्ट उद्यम करते हैं। आज की दुनिया एकाएक निर्मित नहीं हुई, अपितु हजारों वर्षों से बहुत धीरे-धीरे समाज में घटने वाले परिवर्तनों का परिणाम है। इन परिवर्तनों की कहानी को उनके यथार्थ स्वरूप में समझना ही सम्यक् इतिहास बोध है।

प्रायः दो प्रकार के लोग हमारे ध्यान में आते हैं— एक वे लोग, जिन्होंने ऐसे सामाजिक परिवर्तनों को प्रारम्भ किया और उनका नेतृत्व किया तथा दूसरे वे जिनके जीवन में परिवर्तनों से प्रभावित हुए। एक स्वाधीन और संप्रभु राष्ट्र के नागरिकों के लिए यह बहुत अनश्यक है कि वे अपना विद्यालयी शिक्षा के दौरान ही इतिहास की घटनाओं और काल-क्रम के परिवर्तनों को वस्तुरक्त रूप से समझें और उसी समझ के आधार पर राष्ट्र के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में अपना योगदान दो। किन्तु यह भी एक कदु सत्य है, कि दुनिया के अनेक देश लंबे समय तक औपनिवेशिक ताकत की दासता के बंधक रहे हैं। इन ताकतों ने न केवल अपने अधीनस्थ राष्ट्रों के संसाधनों पर कानून करने के कुत्सित प्रयास किये, अपितु उन देशों के नागरिकों की इतिहास संबंधी समझ को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। इस नियंत्रण के लिए विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों को एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। भारत भी लंबे समय तक औपनिवेशिक दासता से ग्रसित रहा। औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय जाति को उसकी अस्मिन्न से विमुख करने के लिए हमारे नायकों, योद्धाओं, क्रांतिकारियों, यंग वे प्रोगदान को तोड़ मरोड़कर पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी ओर विदेशी आक्रांताओं और विस्तारवादी शासनकों के कृत्यों को उचित ठहराने तथा उनके भीषण प्रभावों को कम करके दिखाने की कोशिश भी इसी माध्यम से की गयी।

इस स्थिति के उपलोक्त में यह आवश्यक हो जाता है कि स्वाधीन देश में इतिहास के प्रसंगों को वस्तुपरक ढंग से विद्यालयों में प्रारम्भ से ही छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये तथा उनके वर्तमान को समझने और भविष्य की कल्पना बुनने की क्षमता का निर्माण करना इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का एक प्रमुख दायित्व है।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तकें इसी दिशा की ओर एक कदम हैं।

अध्यक्ष
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
भिवानी

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

कक्षा छठी से दसवीं

संरक्षक

प्रो. जगबीर सिंह, अध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

डॉ. ऋषि गोयल, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा, गुरुग्राम

मुख्य समन्वयक

डॉ. रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, अहड़वाला, बिलासपुर (यमुनानगर)

समन्वयक

डॉ. लक्ष्मी नारायण, प्राध्यापक (इतिहास), राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ततापुर इस्तमुरार (रेवाड़ी)

लेखक मंडल

डॉ. रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, अहड़वाला, बिलासपुर (यमुनानगर)

डॉ. लक्ष्मी नारायण, प्राध्यापक (इतिहास), राजकीय मॉडल संकार वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ततापुर इस्तमुरार (रेवाड़ी)

डॉ. गुरमेज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), डी.ए.वी. महाविद्यालय, सढौरा (यमुनानगर)

डॉ. संजीव कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, छलूली (यमुनानगर)

डॉ. मनमोहन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष (इतिहास विभाग), बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर (रोहतक)

डॉ. सुरेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), वेश्य महाविद्यालय, भिवानी

डॉ. यशवीर सिंह, प्राचार्य, जनता विद्यालय, गणपत राय, गसीवासया महाविद्यालय, चरखी दादरी

डॉ. नरेन्द्र परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), परातला एवं द्वितीय विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़

डॉ. सुखवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), अंगीलाल राजकीय महाविद्यालय, लोहारू (भिवानी)

डॉ. बी.बी. कौशिक (दिग्ंगत), सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), पी.आई.जी. राजकीय महिला महाविद्यालय, जीन्द

श्री राम कुमार केसरिया, एक्सटेंशन लेक्चर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, जीन्द

डॉ. राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, मातनहेल (झज्जर)

डॉ. अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महिला महाविद्यालय, गुरावड़ा (रेवाड़ी)

श्री विपिन शर्मा, पी.जी. पी. (इतिहास), महाराजा अग्रसैन कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिरसा

श्री कुन्दन लाल कालड़ा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भटौली (यमुनानगर)

श्री सुरेश पाल, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भंभौल (यमुनानगर)

डॉ. दिलबाग बिसला, असिस्टेंट प्रोफेसर (गेस्ट फैकल्टी), चौ. रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द

डॉ. दलजीत बिसला, पी.जी.टी. (इतिहास), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बराह कलां (जीन्द)

डॉ. धीरज कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) (अनुबंधित), दयाल सिंह कॉलेज, करनाल

डॉ. मनोज कुमार, पी.जी.टी. (इतिहास), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ग्योंग (कैथल)

डॉ. विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति शास्त्र), आर.के.एस.डी. कॉलेज, कैथल

श्री अजय सिंह, एक्सटेंशन लेक्चरर (इतिहास), राजकीय महाविद्यालय, बिरोहड़ (झज्जर)
श्रीमती पूजा छाबड़ा, पी.जी.टी. (इतिहास), गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरुक्षेत्र
डॉ. नीरज कांत, पी.जी.टी. (इतिहास), राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सांघी (रोहतक)
श्री पिरथी सैनी, प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जगाधरी (यमुनानगर)
डॉ. हरीश चन्द्र झंडई, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर

सम्पादक मंडल

डॉ पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल विभाग) चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
श्रीमती सुरिन्द्र कौर सैनी, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरुक्षेत्र
श्री जोगिन्द्र सिंह, पी.जी.टी. (हिन्दी), राजकीय उच्च विद्यालय, सिधनवा, बहल (भिवानी)
श्रीमती मीना रानी, हिन्दी अधिकारी, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार
डॉ. मुदिता वर्मा, सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार
श्री अरविंद कुमार, पी.जी.टी. (अंग्रेजी), राजकीय उच्च विद्यालय, सांचला (परेहाबाद)
श्रीमती सीमा गुप्ता, टी.जी.टी (सामाजिक अध्ययन), गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, कुरुक्षेत्र
श्री नीरज अत्री, प्रेजीडेंट, नेशनल सेंटर फॉर हिस्टोरीकल एंड कॉम्पारेटिव स्टडीज, पंचकूटा
श्री अश्विनी शाडिल्य, पी.जी.टी. (हिन्दी), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंचकूटा
श्री राजेश कुमार, डी.टी.पी. ऑपरेटर, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

समन्वय सहायक

श्री चांद राम शर्मा, सहायक सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
श्रीमती सन्तोष नरवाल, सहायक सचिव, उमियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
श्री नेपाल सिंह, अधीक्षक, हमियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

तकनीकी सहयोग, ग्राफिक्स एवं साज-सज्जा

श्री कुलदीप कुमार, ग्राफिक डिजाइनर (अनुबंधित), चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
श्री भारत सैनी, ग्राफिक डिजाइनर, कुरुक्षेत्र

प्रयोगीकरण एवं अनुमोदन समिति

प्रो. के. रत्नम, सदस्य नियन्ता, पारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.), नई दिल्ली
प्रो. ज्ञानेश्वर खुराना, सेवानिवृत्त प्रोफेसर (मध्यकालीन इतिहास) व भूतपूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
प्रो. विघ्नेश कुमार त्यागी, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)
डॉ. प्रियतोश शर्मा, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
प्रो. सुरजीत कौर जॉली, सेवानिवृत्त प्राचार्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, नई दिल्ली
डॉ. प्रशान्त गौरव, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डीगढ़
डॉ. अंजलि जैन, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग, वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक
डॉ. पी. सी. चान्दावत, सेवानिवृत्त प्राचार्य, एन.डी.बी. राजकीय महाविद्यालय, नोहर, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

आभार

ये पुस्तकें अनेक इतिहासकारों, शिक्षाविदों और शिक्षकों के सामूहिक प्रयत्नों का प्रतिफल है। इन पुस्तकों के लेखन और संशोधन में लम्बा समय लगा है। ये पुस्तकें विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकों में हुई चर्चाओं और विचारों के आदान-प्रदान से उपजी हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न लोगों ने अपनी-अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप पूर्ण सहयोग दिया है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा ने इन पुस्तकों के निर्माण की प्रेरणा पद्म भूषण श्री दर्शन लाल जैन (दिवंगत) एवं प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल (दिवंगत) से ली। शिक्षा बोर्ड, प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कृति पाल तथा विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर सिंह, एम.एस. का आभार व्यक्त करता है, कि उन्होंने पुस्तकों को तैयार कराने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को दिया। इन पुस्तकों को तैयार करने में अनेकों व्यक्तियों, संस्थानों एवं संगठनों ने दद का है। इस कार्य में दिए गए सहयोग के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (हरियाणा), दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विशेष विभिन्न संग्रहालय एवं पुस्तकालय के संचालकों का आभार व्यक्त करता है। पुस्तकों में लगए गए व्यक्तियों, अभिलेखों, स्मारकों, मूर्तियों, खुदाई में मिले पुरातात्त्विक अवशेषों, मिट्टी के ढर्तनों, उपकरणों के व अन्य चित्रों के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, लोकसभा गैलरी एवं विभिन्न इंटरनेट वेब साइट्स का भी आभार व्यक्त करता है।

हमने पुस्तक में सहयोग के लिए सभी के आभार-ज्ञापन का प्रयास किया है लेकिन अगर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम छूट गया है तो इस भूल के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।

निदेशक
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा
गुरुग्राम

मूल कर्तव्य

51 क. मूल कर्तव्य-भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

- क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
- ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चत्र आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
- ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उपर अध्यण रखे।
- घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा कर।
- ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान धृतता का भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव स परे हो, ऐसी प्रशासा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
- च) हमारी सामासिक संस्कृति की विवाहाली परंपराका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
- छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत बन, झाल, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के पति दयाभाव रखे।
- ज) वैज्ञानिक विद्याएं, मानववाद आदि ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
- झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षत रखे और हिंसा से दूर रहे।
- ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
- ²[ट) यदि एक नागरिक या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

-
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित।
 2. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (1-4-2010 से) अंतःस्थापित।

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण	1
2. राष्ट्रीय चेतना के तत्व	20
3. उदारवादी एवं राष्ट्रवादी (1857 ई. से 1919 ई. तक)	33
4. भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन (1857 ई. से 1918 ई. तक)	48
5. भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन (1919 ई. से 1947 ई. तक)	61
6. महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष	74
7. आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका	93
8. भारत का विशाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्बास	105
9. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका	121

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधान के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण।
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर।
- लोक नियोजन के विषय में।
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का संगतत्रय।
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को 18 शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरेध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बतात त्रै का प्रतिषेध।
- परिसंकटमय कार्यों में बालबचों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अवाधि रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता।
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।
- किसी विशिष्ट धर्म की मानवाद्वारा के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता।
- राज्य निधि से पूर्ण प्रभित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण।
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।

भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण

आओ सीखें

पिछली कक्षा में हम राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से भक्त-संतों ने भारतीय समाज में आई कुरीतियों को दूर कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा की। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में किन संगठनों, संस्थाओं, आंदोलनों एवं महापुरुषों की भूमिका रही।

- राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज।
- प्रार्थना समाज।
- स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज।
- स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन।
- सांस्कृतिक राष्ट्रीयता तथा महार्षि अरविंद एवं डॉ. हेडगेवार।
- जाति प्रथा विरोध तथा अछूता द्वारा आंदोलन।

फुले, महादेव गोविंद गनाड जैसे नहान समाज सुधारकों ने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि आंदोलन चलाए। उन्होंने इन आंदोलनों के माध्यम से उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज में सुधार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर आत्मविश्वास को जागृत करके भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसी आवाज को बीसवीं शताब्दी में महर्षि अरविंद, डॉ. हेडगेवार ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से तथा नारायण गुरु एवं डॉ. अम्बेडकर ने वर्चित जातियों के उद्धार आंदोलनों द्वारा तीव्र धार देकर समाज को समरसता, एकता, राष्ट्रीयता एवं समानता के पथ पर अग्रसर किया। ये आंदोलन केवल धार्मिक ही नहीं थे अपितु इनकी प्रवृत्ति सामाजिक भी थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलनों का उदय एवं विकास हुआ। इन आंदोलनों की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विवारधारा तथा ईसाई मत के प्रचार-प्रसार की प्रतिक्रियास्वरूप हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय समाज सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्मकाण्डों, अंधविश्वासों, अणिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयों से जूझ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का सहयोग पाकर ईसाई मत प्रचारकों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया तथा जोर-शोर से ईसाइयत का प्रचार आरंभ कर दिया, जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा

तथा इनकी अंतः प्रेरणा में मानवता भी थी। इन आंदोलनों ने भारत रूपी प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जागरण में मुख्य योगदान दिया। इन आंदोलनों से जुड़े महापुरुषों के विचारों, कार्यों एवं सुधारों से भारत दासता की आत्महीनता को त्यागकर पुनः आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। ये आंदोलन भारत में आधुनिकता, राष्ट्रीयता, समरसता एवं जन जागरण के पोषक थे।

1. राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज

राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त, 1828 ई. को अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की। ब्रह्म समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पूर्ण की। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का 'अग्रदूत' कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने का कार्य किया। उन्होंने विचार अपने भगवान् के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। राजा राममोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज असेला के योगदान का विवरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

क) सती प्रथा का उन्मूलन : समाज में फैली सती प्रथा जैसी कुप्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय, राजा राममोहन राय थे। उन्होंने कहा कि 'किसी भी शास्त्र के उन्सेर यह हत्या ही है।' उनका मानना था कि सती प्रथा या सहमरण का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बैटिक को एक आज्ञा पत्र जारी कर 1829 ई. में सती प्रथा पर रोक लगाकर 'सती प्रथा निषेध कानून' को पूरे भारत में लागू करना पड़ा।

सती प्रथा : ब्रह्म उच्चवर्गीय भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा जिसमें पत्नी अपने पति का भूत्यु के बाद उसकी चिता में जलकर स्वयं को समाप्त कर लेती थी।

ख) नारी की दशा में सुधार : राजा राममोहन राय आधुनिक भारत में 'नारी की स्वतंत्रता के अग्रदूत' माने जा सकते हैं। उस समय मियोंगा व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियाँ दयनीय थी। उन्होंने नारी पर किए जाने वाले अन्याय और अच्छाचार का विरोध किया एवं नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर बल दिया। राजा राममोहन राय चाहते थे कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें एवं प्रौढ़ विधवाएं भी समाज में सिर उठाकर जी सकें, इसके लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। उन्होंने स्त्री-पुरुष के अधिकारों में समानता पर बल दिया।

ग) जातिप्रथा का विरोध : राजा राममोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा समाज को संकीर्ण ही नहीं बनाती बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। इस कारण उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इसे समाज के लिए कलंक माना।

घ) समाचार पत्रों का प्रकाशन : राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे, जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन तथा प्रकाशन का कार्य भी किया। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला तथा उर्दू में समाचार पत्र प्रकाशित किए। उन्हें 'पत्रकारिता का जनक' भी कहा जाता है। प्रैस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया। उन्होंने 'ब्राह्मनिकल मैगज़ीन', 'संवाद कौमुदी', 'मीरात-उल-अखबार', 'बंगदूत' जैसे समाचार पत्रों का संपादन-प्रकाशन किया।

गतिविधि : राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों की विषय वस्तु को जानने का प्रयत्न करें।



ड.) व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक : राजा राममोहन गय व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि राज्य वो नियंत्रित तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए और यह उसका कर्तव्य भी है कि जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनातिक दशाओं में सुधार हों।

च) अंग्रेजी शिक्षा पर बल : राजा राममोहन राय भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार-बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का आग्रह किया।


छ) मानवता एवं विश्व बंधुत्व : राजा राममोहन राय का व्यक्तित्व पूर्णतया मानवतावादी था। वे विश्व बंधुत्व के उपासक थे और सत्त-मतान्तरों से ऊपर इच्छावाले मानव धर्म के चिंतक भी थे। उनकी मान्यता थी कि सभी देशों के समाजों के जीवन पारस्परिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

यद्यपि राजा राममोहन गय वे उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े-लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि लगभग 50 वर्ष ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया तथा भारतीयों को ईसाई बनने से रोका।

2. प्रार्थना समाज

महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन 1840 ई. के पश्चात आरंभ हुए। सबसे पहले यहां परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें 'लोकहितवादी' भी कहा जाता है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया तथा सामाजिक समानता का समर्थन किया। 1867 ई. में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने 'प्रार्थना समाज' की स्थापना की। शीघ्र ही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आर.जी. भंडारकर


तथा महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए। प्रार्थना समाज का उद्देश्य अछूतों, वंचितों तथा पीड़ितों की दशा में सुधार करना तथा जाति-व्यवस्था एवं रूढ़िवाद का विरोध करना था। प्रार्थना समाज ने अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। रानाडे ने महाराष्ट्र में 'विधवा पुनर्विवाह संघ' की स्थापना करके विधवा विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने प्रयत्नों से 'दक्कन एजुकेशनल सोसायटी' की स्थापना हुई तथा उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 'सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी' की स्थापना की। प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है।



चित्र-1. महादेव गोविंद रानाडे

3. स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज

आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ई. में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद की प्राणी से की। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार हेतु कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अपने विश्वासों व कर्मकांडों का विरोध किया तथा हरितर में 'पाखण्ड खण्डनी पताका' फहराकर अम्बाडंबर व कांडे के समर्थकों को शास्त्रार्थ में हराया। वर्ष 1863 ई. से 1875 ई. तक उन्होंने दश का भ्रमण उद्यान वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने परे दश का दौरा करके विद्वानों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। आर्य समाज एक 'समाज सुधार आंदोलन' था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप समाज में सुधारों को प्रारंभ करने के लिए हुआ। आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता है एवं मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, धार्मिक आडंबर एवं अंधविश्वासों को अस्वीकार करता है। आर्य समाज ने छूआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा स्त्रियों और शूद्रों को समानता एवं यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रदान करने का प्रयत्न किया। आर्य समाज द्वारा किये गये सुधारों का विवरण इस प्रकार है-



चित्र-2. पाखण्ड खण्डनी पताका

चित्र-3. स्वामी दयानंद सरस्वती

पाश्चात्य : पश्चिमी देशों (यूरोपियन) से संबंधित

क) राष्ट्रीय हित में तीन कार्य : स्वामी दयानंद ने देश में एकता स्थापित करने के लिए तीन कार्य करने की योजना बनाई। प्रथम, हरिद्वार कुंभ मेले में संन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखें ताकि मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सके। दूसरा, शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग किया जा सके। उनका मानना था कि विद्वानों के संगठित होते ही राष्ट्र जीवित हो उठेगा। तीसरा, 1877 ई. में दिल्ली दरबार के समय समाज सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किया जाए। परंतु समाज सुधारक कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम नहीं बना सके।

क्या आप जानते हैं?

हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले रेवाड़ी में हुई थी तथा स्वामी दयानंद 1880 ई. में यहां आए थे।

ख) सत्यार्थ प्रकाश : आर्य समाज का मूल ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' ऐसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की, ताकि उनकी रचना का लाभ अधिकतम भाग लिया तक एहुँ तक। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम-घूम कर व्याख्यान दे रहे थे, तो उनके अनुयायियों ने उनसे शास्त्रों एवं व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया और इस प्रकार 'सत्यार्थ प्रकाश' का जन्म हुई। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार-प्रसार करना था। उनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ 'ऋग्वेद भाष्य' तथा 'आर्याभिनव' थे।

ग) वेदों की ओर लौटो : देश में उस समय व्याप्त परिस्थितियों से दुःखी हो स्वामी दयानंद ने सामाजिक सुधार लाने हेतु अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद तथा कर्मकांडों का विरोध किया एवं 'वेदों की ओर लौटो' का नारा दिया। उन्होंने देवा किया कि केवल चारों वेद ही ज्ञान के वास्तविक भंडार हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों का भी विरोध किया।

पता लगाओ कि स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान क्यों किया?

घ) शुद्धि आंदोलन : हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए आर्य समाजियों ने 'शुद्धि आंदोलन' आरम्भ किया। जिसका मुख्य उद्देश्य था 'हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना।' यह आंदोलन प्रभावी रहा और इसी वजह से धर्मांतरण घटने से गया। 'शुद्धि आंदोलन' ने धर्मांतरण करने वालों को कड़ी चुनौती दी थी।

क्या आप जानते हैं?

हिन्दू धर्म में वापसी के अधिकार की बात देवल स्मृति में की गई है। जो कि उस समय में लिखी गई थी, जब मुस्लिम हमलावर हिन्दुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे।

ड.) वर्ण भेद का विरोध : उन्होंने सदैव कहा कि शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है, जिसके अनुसार चारों वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं, जिसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं बल्कि सभी समान हैं। उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी और वर्ण भेद का विरोध किया। उन्होंने उपनिषदों से सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया।

**गतिविधि : छान्दोग्य उपनिषद में वर्णित
सत्यकाम जाबाल की कहानी पर चर्चा करें।**



च) स्त्री शिक्षा एवं समानता : वे सदैव स्त्री को पुरुष के समान मानते थे। उन्होंने वेदों के प्रमाण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है। उन्होंने स्त्री को समाज का आधार माना। उनका कहना था कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में नारियों से विचार-विमर्श आवश्यक है, और जिसके लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है।

छ) बाल विवाह का विरोध : उस समय बाल विवाह की प्रथा सभी जगह व्याप्त थी। सभी उसका अनुसरण सहर्ष करते थे, तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इस प्रथा के विरुद्ध जागाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि मनुष्य जीवन में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के हैं। उनके अनुसार बाल विवाह एक कुप्रथा है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह होता है तो मनुष्य निर्बल बनता है और निर्बलता के कारण समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होता है।

ज) विधवा पुनर्विवाह : स्वामी दयानंद से पूर्व ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए विशेष अभियान चलाया था जिसके परिणामस्वरूप 1856 ई. में 'विधवा पुनर्विवाह' को कानूनी मान्यता मिली। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। विधवा स्त्रियों का स्तर देश में संघर्षपूर्ण था। विधवाओं का जीवन कठोर एवं नकारक था। स्वामी दयानंद ने इस बात की बहुत निंदा की और उस काल में भी वेदों से साक्ष्य लेकर नारियों के समानपूर्वक पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया और राष्ट्र को इस ओर जागरूक किया।

गतिविधि : विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर छाग किए गए प्रयत्नों पर एक लेख लिखिए।




झ) शिक्षा का प्रसार : स्वामी दयानंद का मानना था कि मानव विकास एवं प्रगति सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मार्ग, शिक्षा है। अर्थात् समाज ने इस क्षेत्र में विस्तृत कार्य किया। समाज ने इस तथ्य को आत्मसात् कर लिया था कि शिक्षा की उड़े राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी होनी चाहिए। हम एक प्राचीन और श्रेष्ठ परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी और डी.ए.वी. (दयानंद एंगलो वैदिक) संस्थाएं स्थापित कर शिक्षा जगत में आर्य समाज ने अग्रणी भूमिका निभाई। नारी शिक्षा में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस प्रकार स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज ने भारतीयों में राष्ट्रीयता, एकता एवं शिक्षा के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद का कथन 'भारत भारतीयों के लिए है' तथा 'बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है' से भारतीयों में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना का जन्म हुआ। आर्य समाज ने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कई क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय नेता दिए।

4. स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन

स्वामी विवेकानंद ने 1 मई, 1897 ई. को रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए की। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में मठ की स्थापना की उसके बाद बेलूर (कलकत्ता) में मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस द्वारा मानव हित में जिन तत्त्वों की व्याख्या की गई, उनका प्रचार करना इस मिशन का उद्देश्य था। मिशन के सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रगति तथा चिंतन के साथ, प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता का समन्वय किया गया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का अधार वेदांत दर्शन है। मिशन के अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं तथा उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। सभी धर्म मौत्रित रूप से एक हैं। इस मिशन ने न केवल भारतीयों की दशा सुधारने का दिशा में प्रयास किया अपितु भारत के वेदांत का संदेश भी पाश्चात्य देशों तक प्रसारित किया।

क) शिकागो धर्म संसद : स्वामी विवेकानंद 1892 ई. में शिकागो (अमेरिका) गए, जहाँ उन्होंने धर्म संसद में 11 सितंबर, 1893 ई. को भाषण दिया। यह वह भाषण था, जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत के एक मजबूत छवि के साथ पेश किया।



चित्र-4.
रामकृष्ण परमहंस



चित्र-5. शिकागो धर्म संसद व स्वामी विवेकानन्द

आइए उनके भाषण को अवसर बातें जानें।

- भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ की। उन्होंने सबसे पुरानी परंपरा, सभी धर्मों की जननी, सभी जातियों और संप्रेक्षयों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से अपना स्नेहपूर्वक स्वागत करने के लिए उनका अभाव व्यक्त किया।
- उन वक्ताओं का भी ध्येयवाद किया जिन्होंने स्पष्ट कहा कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है।
- मैं उस धर्म से हूँ जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते अपितु हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
- मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी।
- मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने यहूदी एवं पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है।

उन्होंने कहा कि ‘जिस प्रकार अलग-अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग-अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग रास्ते चुनते हैं, ये रास्ते देखने में भले ही अलग-अलग लगते हैं किन्तु ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं।’ इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं दर्शन का सम्पूर्ण विश्व में प्रचार-प्रसार किया।

ख) सभी धर्मों में एकता : स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सभी धर्मों में शाश्वत एकता है। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न धर्मों के मूल को समझा। धर्म की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, ‘धर्म हमेशा मनुष्य को सद्विचार एवं आत्मा से जोड़ता है। धर्म वह विचार एवं आचरण है, जो मनुष्य के अंदर की पशुता को इंसानियत में और इंसानियत को देवत्व में बदलने की क्षमता रखता है।’ उन्होंने सभी धर्मों का सार सत्य को बताया। वे मनुष्य की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानते थे।

ग) शिक्षा पर बल : स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य वीं जांतरिक पूर्णता को प्रकट करती है। शिक्षा मानव में जन्म से ही विद्यमान शक्तियों का विकास करती है जब यह बताती है, कि सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। स्वामी विवेकानन्द शाश्वतकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल देते थे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को प्रकट करना, शारीरिक पूर्णता, चरित्र का निर्माण करना, जीवन संघर्ष की जैयाजी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पैदा करना होना गाहए।

घ) स्त्री-पुरुष के भेदभाव का व्यवेध : स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्त्री एवं पुरुष का भेद प्राकृतिक नहीं है क्योंकि यह केवल शारीरिक भेद है जो ईश्वरा द्वारा मान्य नहीं है। स्त्री और पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करना होगा एवं स्त्रियों को भी उसी सम्मान एवं स्थान देना होगा जो पुरुषों को मिलता है। स्वामी विवेकानन्द के अनुसार विश्व का कल्याण स्त्री कल्याण पर निर्भर करता है। जब तक समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, विश्व कल्याण संभव नहीं है।

ड.) स्वामी विवेकानंद एवं युवा : स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है और अगर उनकी ऊर्जा को सही रिशा मिल जाए तो राष्ट्र के विकास को विस्तार मिल सकता है। उन्हें लक्ष्य देने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन व्यर्थ है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको।” स्वामी विवेकानंद ने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के पाँच सूत्र दिए- आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आत्मत्याग। इन पाँच तत्वों के निरंतर अभ्यास से युवा अपना व देश और समाज का पुनर्निर्माण कर सकता है। जिसने निश्चय कर लिया उसके लिए केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाना शेष रह जाता है। उन्होंने युवाओं में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करके उनको राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया।

च) विवेकानंद और राष्ट्रीयता : ‘मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, अबोध भारतीय, गरीब

एवं फक्कड़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय मेरा भाई है।' भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी और वृद्धावस्था की काशी है। भारत की धरती मेरा परम स्वर्ग है। भारत की अच्छाइयाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं। ये सभी स्वामी विवेकानंद के उद्गार थे जो भारतीयों में एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान को जगाने में सहायक रहे हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता, आध्यात्मिकता और नैतिकता से पूरी तरह ओत-प्रोत थे। उन्होंने अपने अल्प जीवन में उन्नत राष्ट्र और प्रगतिशील समाज की कल्पना की। औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीयता को सही ढंग से उभारने में स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। युवाओं पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया।

गतिविधि : स्वामी विवेकानंद के भाषणों में युवाओं द्वारा प्रेरणा देने वाले विचारों का संकलन करके चूचा करें।



5. सांस्कृतिक राष्ट्रीयता तथा महर्षि अरविंद एवं डॉ. हेडगेवार

भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र है। भारत की संस्कृति ही इसका आत्मा है, जो सम्पूर्ण भारत को एकसूत्र में पिरोकर अखण्ड बनाए हुए है। भारत में गांस्कृतिक राष्ट्रता के दो प्रमुख पैरोकार महर्षि अरविंद एवं डॉ. केशवराव हेडगेवार थे।

5.1 अरविंद घोष: राजनीति में अरविंद घोष के बाल पांच वर्ष रहे। लेकिन उतने ही दिनों में उन्होंने सारे देश को जगाकर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। 'असहयोग पद्धति' की शुरुआत उन्होंने ही की तथा 'पूर्ण स्वतंत्रता' का उद्घाटन भी सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। वे 1902 ई. में कांग्रेस के अहमदाबाद एवं 1904 ई. के मुंबई अधिवेशन में सम्मिलित हुए। 1905 ई. के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय के निष्क्रिय प्रतिरोध के कार्यक्रम से प्रभावित हुए तथा सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में जुटा। 1905 ई. में बंग-बंग (बंगाल विभाजन) की घटना ने देश में राष्ट्रीयता की प्रबल लहर जागृत कर दी। उन्होंने 1906 ई. के कलकत्ता अधिवेशन में सक्रिय भाग लिया और स्वराज संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1906 ई. में 'वंदे मातरम्' पत्र के सह-संपादक के रूप में स्वदेशी एवं स्वराज की भावना का प्रचार अभियान



चित्र-6. अरविंद घोष लोकमान्य तिलक के साथ

शुरू किया। 1908 ई. में वे गिरफ्तार हुए। 1910 ई. में वे राजनीति से दूर हो गए तथा पांडिचेरी आश्रम में रहने लगे। अब वे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ गए। 5 दिसंबर, 1950 ई. को पांडिचेरी में ही अरविंद घोष का देहांत हो गया। अरविंद ने यह माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने माना कि स्वतंत्रता तीन प्रकार की होती है— राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानि विदेशी नियन्त्रण से मुक्ति, आंतरिक स्वतंत्रता यानि किसी वर्ग अथवा वर्गों के सामूहिक नियन्त्रण से मुक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानि व्यक्ति, समाज और शासन के अनावश्यक नियन्त्रण से मुक्ति।

प्रमुख रचनाएं :

- दिव्य जीवन
- सावित्री
- माता
- भारतीय संस्कृति के आधार
- केन एवं अन्यान्य उपनिषद्
- ईशोपनिषद्
- योग-समन्वय
- वद-रहस्य
- गीता-गांधी

क) निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक तथा स्वराज के पैमेन्ट : अरविंद घोष राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत गरम दल के विचारक थे तथा भारत की स्वाधीनता के प्रबल प्रशंसक थे। उदारवादियों का ब्रिटिश न्यायप्रियता में निष्ठा उन्हें पसन्द नहीं थी। निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने स्वदेशी नाग प्रसार एवं वन्देमात्री माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना, सरकारी अदालतों व न्यायालयों का बहिष्कार तथा जनता द्वारा सरकार का असहयोग इत्यादि बातें सम्मिलित की। अरविंद घोष का मानना था कि भारतीयों का प्रथम लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति होना चाहिए। सामाजिक और ज्ञानीतिक उत्थान स्वराज में ही संभव हैं। अपने स्वराज की प्राप्ति हेतु अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा की बजाय अपने राष्ट्र के प्रति मत्ता एवं समर्पण भाव आवश्यक है।

स्वराज : सशासन या अपना राज्य

ख) तीन प्रकार के अधिकारों का समर्थन : अरविंद घोष ने तीन प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया है प्रथम, प्रैस व अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थात् हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिए क्योंकि विचार का आकार लेने से पहले अभिव्यक्त होना आवश्यक है। किसी भी संस्था, प्रशासन या सरकार को चलाने में विचार भा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, सार्वजनिक सभा करने का अधिकार तथा तीसरा संगठन निर्माण का अधिकार। उनका मानना था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं।

ग) अरविंद घोष का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : उन्होंने राष्ट्रीयता को आध्यात्म तथा मानवता से जोड़ा है। उन्होंने उदारवादियों की आलोचना कर क्रांतिकारी राष्ट्रीयता के द्वारा देशभर में एक उत्साह का संचार किया। उनका मानना है कि व्यक्ति कितने भी भिन्न हों परन्तु राष्ट्र प्रेम उन्हें एकता के सूत्र में बाँध देता है। वे कहते हैं कि 'राष्ट्रीयता ही राष्ट्र की दैवीय एकता है।' उनके राष्ट्रीय विचार उनके लेख 'वन्देमातरम्' में मिलते हैं। राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र गौरव या राष्ट्र की श्रेष्ठता का अभिमान राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता मानवीय अस्तित्व का

आधार है। राष्ट्रीयता अपने आप में उच्चतम मूल्य बन जाता है। जिसके आगे व्यक्तिगत मूल्यों की भी महत्ता नहीं रह जाती है। यदि विचारधारा के रूप में मूल्यांकन करें तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित विचारधारा है।


महान राष्ट्रीय चिन्तक और विचारक महर्षि अरविन्द ने भारतीय आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया। उनका मानना है कि “भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है।” अरविन्द के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक था परन्तु उसका मूल सनातन धर्म में निहित आध्यात्मिकता में समाहित था। अरविन्द घोष का मानना था कि “सनातन धर्म और भारत एक ही हैं, जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं।” सनातन धर्म ने उस ताकत का निर्माण किया, ‘जिसने भारत को गतिशील बनाया।’ अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए कहा था कि ‘मैं अब कहता हूँ कि राष्ट्रीयता सनातन धर्म है।’ अरविन्द घोष को भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कोई शक्ति नहीं था। उनका मानना था कि ‘यह शक्ति और सामर्थ्य सुप्त है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है।’

5.2 डॉक्टर केशवराव बलिगांव हेडगेवार : डॉक्टर केशवराव हेडगेवार बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचारों से ओत-पोत देशभक्त थे। एक गांजब वे स्कूल में ही पढ़ रहे थे तो उन्होंने अंग्रेज इंस्पेक्टर का स्वागत ‘वंदे मातरम’ उपचार से किया, जिस पर अंग्रेज इंस्पेक्टर बिफर गया और उसके आदेश पर केशवराव के स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की। कलकत्ता में केशवराव अपने बड़े भाई महादेव के मित्र श्यामसंदर्भ एकवर्ती के घर रहते थे और उसी समय उनका मेल-मिलाप बंगाल के क्रांतिकारियों से हुआ और वे ‘अनुशीलन’ एवं ‘युगांतर’ जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से जुड़े। उनकी असाधारण योग्यता को देखते हुए उन्हें पहले ‘अनुशीलन समिति’ का साधारण सदस्य बनाया गया। उसके बाद जब वे कार्य कुशलता की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें समिति का ‘अंतरंग सदस्य’ भी बना लिया गया। इस प्रकार डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान एवं संगठनतंत्र कलकत्ता से सीख कर वे नागपुर लौटे।



चित्र-7. 'वंदे मातरम' समाचार पत्र

‘यह शक्ति और सामर्थ्य सुप्त है, उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है।’



चित्र-8. डॉ. हेडगेवार पर जारी डाक टिकट



गतिविधि : 'अनुशीलन' एवं 'युगांतर' नामक क्रांतिकारी संस्थाओं पर एक निबंध लिखें।

प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। एक बात उनके ध्यान में आई कि सशस्त्र क्रांति के मार्ग की अपनी सीमाएं हैं और भारत जैसे विशाल देश से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। केशवराव की लोकमान्य तिलक के विचारों में पूरी आस्था थी। वे उनके अनुयायी बन कर कांग्रेस के आंदोलन में कूद पड़े।

क) नागपुर कांग्रेस अधिवेशन : 1915 ई. से 1920 ई. तक नागपुर में रहते हुए केशवराव राष्ट्रीय आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। वे प्रवास, सभा, बैठक आदि कार्यक्रमों में व्यस्त रहे तथा युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया। निःस्वार्थ भाव से काम करना, सहयोगियों को जोड़ना और हाथ में लिए काम के लिए अपने आपको झोंक देना जैसे गुण उनमें विद्यमान थे। 1920 ई. के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उनके गुणों का अनुभव सबको हुआ और मतभेदों के होते हुए भी संस्था के अनुशासन का पालन करने का उनका एक और अनुकरणीय गुण भी सबको देखने को मिला। अधिवेशन में आए 1400 प्रतिनिधियों की मूल-पुरुषधा और अन्य व्यवस्थाएं संभालने के लिए डॉ. परांजपे और डॉ. केशवराव हेडगेवार के नेतृत्व में एक 'स्वयंसेवक दल' का गठन किया गया। यह सारी जिम्मेदारी उन्होंने इतने अच्छे ढंग से निभाई कि वे सभी की प्रशंसा के पात्र बन गए। डॉ. केशवराव पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे और अपनी यह बात बड़े आग्रह के साथ रखा करते थे। इसलिए उन्होंने अधिवेशन के दौरान प्रयत्नपूर्वक पूर्ण स्वतंत्रता संबंधी एक प्रस्तुति स्वागत समिति से पारित करवा कर विषय समिति के पास भिजवाया था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का स्थापना कर विदेशी शासन के चंगुल से देश को मुक्त करवाना ही कांग्रेस का छाया हो किंतु यह प्रत्यापित नहीं किया गया।

ख) असहयोग आंदोलन : लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद भी डॉ. केशवराव कांग्रेस और हिंदू महासभा में काम करते रहे। वे कांग्रेस द्वारा 'खिलाफत आंदोलन' का साथ देने से खुश नहीं थे परंतु उन्होंने अपने सिद्धांत का पालन किया। मतभेदों के होते हुए भी कांग्रेस से जुड़े होने के कारण जब कांग्रेस ने 'असहयोग आंदोलन' की घोषणा की तो वे आंदोलन में कूद पड़े एवं उन्हें एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा हुई जिसे उन्होंने प्रसन्नता से काटा।

ग) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : 1922 ई. में भारत में कई स्थानों पर दंगे प्रारंभ हो गए। ऐसे में प्रमुख हिंदू महासभाई नेता डॉ. बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉ. केशवराव हेडगेवार आदि इन स्थानों पर हिंदुओं की सहायता के लिए गए। ऐसी घटनाओं से विचलित होकर नागपुर में डॉ. मुंजे ने कुछ प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की बैठक बुलाई जिनमें डॉक्टर हेडगेवार एवं डॉक्टर परांजपे भी थे। इस बैठक में उन्होंने एक हिंदू संगठन बनाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य था हिंदुस्तान को सशक्त राष्ट्र बनाना। इस संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुंजे ने डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार को दी।

डॉ. हेडगेवार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए-नए तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक हिन्दू संगठन की नींव रखी। इस प्रकार 28 सितंबर, 1925 ई. विजयदशमी दिवस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खड़ा करने के लिए सुबह शाम एक-एक घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगी। इन शाखाओं में व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिन्दू राष्ट्रीयता की शिक्षा के साथ-साथ वरिष्ठ स्वयंसेवकों को सैनिक शिक्षा भी दी जानी तय हुई। स्वयंसेवकों की गोष्ठियाँ भी होती थी, जिनमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, वीर सावरकर, मंगल पांडे, ताँत्या टोपे की जीवनियाँ भी पढ़ी जाती थीं।

घ) सविनय अवज्ञा आंदोलन : संघ कार्य के प्रारम्भ के बाद भी उनका कांग्रेस और क्रांतकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। 1929 ई. में जब लाहौर में हुए कांग्रेसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी, 1930 ई. को देश भर में तिरंगा फहराने का अहवान किया तो डॉ. काशीश्वराच हेडगेवार के निर्देश पर सभी शाखाओं में 26 जनवरी, 1930 ई. को तिरंगा फहरा कर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प लिया गया। 1930 ई. में जब महात्मा गांधी द्वारा 'नमक कानून विरागी आंदोलन' घोषित गया तो डॉक्टर केशवराच ने संघ प्रमुख की जिम्मेदारी डॉ. परांजपे को सौंप व्यक्ति-सत्र रूप से अपने एक दर्जन सहयोगियों के साथ यवतमाल वन सत्याग्रह में भाग लिया जिसमें उन्हें 9 मह की कैद हुई। सन् 1935 ई.-1936 ई. तक संघ की शाखाएं केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थीं और इसके स्वयंसेवकों वे संघ्या कुछ हजार तक ही थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विस्तार योजना के अनुसार उनके नाम पुर नार्यालय से बड़ी संघ्या में युवक दो जोड़ी धोती एवं कुर्ता लेकर शाखाओं की स्थापना होतु दिल्ली, लाहौर, पेशावर, कवेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजे गए।

ड.) जाति प्रथा व भस्त्रायता का विरोध : डॉ. हेडगेवार ने हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता एवं खण्डित मानसिकता को सामाजिक एवं राष्ट्रीय अवनति का मूल कारण माना। वे समग्रतावादी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में लाद्यणों, गैर-ब्राह्मणों एवं अस्पृश्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। वे एक साथ खेलते, खेलते एवं ध्वज प्रणाम करते थे। 1934 ई. में महात्मा गांधी ने वर्धा तथा 1938 ई. में डॉ. अम्बेडकर ने पूना के संघ शिविर को देखने के बाद स्वयंसेवकों में समानता का भाव देखकर आश्चर्य प्रकट किया। दोनों ने इस कार्य के लिए संघ की प्रशंसा की।


डॉ. हेडगेवार को 1937 ई. एवं 1939 ई. में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के 'राष्ट्रीय उपसभापति' के रूप में चुना गया था। इस तरह डॉ. हेडगेवार के कुशल निर्देशन, हिन्दू महासभा के सहयोग एवं नागपुर में भेजे गए प्रचारकों के अथक परिश्रम व तपस्या के कारण संघ का विस्तार होता गया। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व माधव सदाशिवराच गोलवलकर को सौंपने आरम्भ कर दिए, जो बाद में संघ के 'सरसंघचालक' बने।

डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य संस्कृति को शुरुआत की, जैसे भगवा ध्वज के प्रति आस्था, व्यक्तियों के बजाय उनके विचारों को प्राथमिकता, पूर्णकालिक समर्पित स्वयंसेवक और दैनिक शाखा। उनकी दूरदर्शिता और क्षमता को यहां से भी सत्यापित किया जा सकता है कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयंसेवी संगठन (बिना किसी सरकारी सहायता के चलने वाला) माना जाता है।'

■ 6. जाति प्रथा विरोध तथा अछूतोद्धार आंदोलन (वंचित जातियों का उद्धार) ■

जाति प्रथा भारतीय समाज की एक बुरी प्रथा रही है। इस प्रथा ने समाज में कई दोषों को जन्म दिया। इससे भेदभाव व वैमनस्य फैला और सामाजिक एकता छिन्न-भिन्न हो गई। भारतीय समाज का एक बहुसंख्यक भाग दरिद्र, अशिक्षित, वंचित एवं पिछड़ा हुआ रह गया, जिसका अर्थ था कि राष्ट्र का पिछलापन और सम्पूर्ण राष्ट्र की कमजोरी। उन्नीसवीं शताब्दी में जाति प्रथा तथा सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध कई सुधारकों ने आवाज उठाई।

6.1 सत्य शोधक समाज एवं श्री नारायण धर्म परिपालन योगम : ज्योतिश्वार फुले पहले प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करने जाति प्रथा पा बालक प्रहर किया। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीयों को आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करके एक स्वस्थ, सुन्दर मदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। वे पढ़ने-लिखने को कुलीन लोगों की बपौती नहीं मानते थे। मानव-मानव के बाच्चे का भेद उन्हें असहनीय लगता था। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा के लिए भी कई प्रयास किए। महात्मा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। इसी प्रकार दक्षिण भारत में जातीय भेदभाव एवं छुआछूत का विरोध नारायण गुरु ने किया। उन्होंने केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम सभा का गठन करके जाति प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने आह्वान किया था "मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक इश्वर।" उन्होंने वंचितों व अछूतों के उद्धार के लिए कई प्रयास किए तथा उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोगों पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करें ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की।



चित्र-9.
नारायण गुरु

6.2 डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका : डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले महान व्यक्ति थे। वे एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता व उच्च कोटि के विद्वान थे।

प्रमुख रचनाएं :

1. शूद्र कौन थे।
2. अछूतों का उद्धार।
3. भाषायी प्रान्तों पर विचार।
4. प्रान्त एवं अल्पसंख्यक।

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. हिन्दू महिलाओं का उत्थान एवं पतन। 7. गांधी एवं गांधीवाद। 9. संसदीय लोकतंत्र। 11. पाकिस्तान और विभाजन। | <ol style="list-style-type: none"> 6. रुपए की समस्या: उद्भव और समाधान। 8. भारत में जाति। 10. बुद्ध एवं उनका मत। 12. रानाड़े, गांधी और जिन्ना |
|---|--|

उनका समूचा जीवन अन्याय, भेदभाव व शोषण से संघर्ष करते हुए बीता। वंचितों के प्रति किये गए उनके प्रयासों को देखते हुए उन्हे 'दलितों का मसीहा' कहा जाता है। डा. भीमराव अम्बेडकर ने 20वीं शताब्दी में जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरोध में कई आंदोलन चलाए।

क) बहिष्कृत हितकारिणी सभा : डॉ. अम्बेडकर ने 20 जुलाई, 1924 ई. को अछूतों एवं दलितों की समस्याओं को दूर करने तथा उनमें सामाजिक, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए मुजर्ई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इस सभा के माध्यम से वे दलितों को शोषण के विरुद्ध संगठित करना चाहते थे उन्होंने आह्वान किया कि 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।' सभा के मरम्मत उद्देश्य थे:

- अछूतों एवं दलितों में शिक्षा का प्रसार।
- अछूतों एवं दलितों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व।
- दलितों की आर्थिक दशा में सुधार।

अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने 'अखिल भारतीय दलित संघ' नामक संस्था भी बनाई।

ख) महाड़ का सत्याग्रह : डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अग्रवाइ पर 20 मार्च, 1927 ई. को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए क्रिया गया एक प्रभावी सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में हजारों की तंजारी में दलित लोग सम्मानित हुए थे, सभी लोग महाड़ के चवदार तालाब पहुँचे। दे पहर का समय था। सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब तालाब के पानी में छड़ने लगा था। सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियाँ रो नीचे उतरे। नीचे झुककर अपनी एक अंगुली से पानी ले सर्व किया। उसके बाद दोनों हाथों से उस तालाब का पानी पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुकरण किया। यह अम्बेडकर का पहला सत्याग्रह था। यही वह ऐतिहासिक पल था जिसने अस्पृश्य वर्ग में क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी जिसके द्वारा यह सिद्ध किया गया था कि हम भी मनुष्य हैं। हमें भी अन्य मनुष्यों के समान मानवीय अधिकार प्राप्त हैं।

ग) असमानता एवं भेदभाव का विरोध : डॉ. अम्बेडकर समानता पर आधारित एसे समाज के समर्थक थे जिसमें जाति, भाषा, वर्ग, रंग, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई



चित्र-10. महाड़ सत्याग्रह

भेदभाव न हो। अम्बेडकर ने प्राचीन समय में भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव का प्रबल विरोध किया।

घ) संविधान निर्माण में भूमिका : डॉ. अम्बेडकर को भारतीय 'संविधान का निर्माता' होने का श्रेय प्राप्त है। 2 वर्ष, 11 महीने तथा 18 दिन के श्रम के उपरान्त 26 नवम्बर, 1949 ई. को भारत के संविधान का मसौदा तैयार हुआ। इसे तैयार करने में डॉ. अम्बेडकर की अग्रणी भूमिका रही। इस संविधान को 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू किया गया। उन्होंने नए संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की जिनसे निम्न वर्गों, महिलाओं व पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत छुआछूत पर प्रतिबंध लगाकर अम्बेडकर ने भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित कुप्रथा का अंत कर दिया। यह विशेष रूप से हिन्दू समाज के लिए ऐतिहासिक एवं क्रान्तिकारी कदम था। स्वतंत्रता के पश्चात् कर्तृन मंत्री के पद पर रहते हुए अम्बेडकर ने "हिन्दू के डेवेलपमेंट" तैयार किया। इस बिल की प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं :

1. अंतर्जातीय विवाह की अनुमति।
2. हिन्दू महिलाओं को सम्पत्ति के पास अधिकार।
3. पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का सामान अधिकार।
4. तलाक सम्बन्धी नियम आदि।

डॉ. अम्बेडकर आजीवन वर्णिता के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। इस महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री एवं समाज सुधारक के अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें "शारत् रत्न" जैसा सर्वोच्च सम्मान दिया गया।

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने विभिन्न संगठनों, संस्थाओं एवं आंदोलनों से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जन जागरण करके भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न की। प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरवगान करके आत्महीनता के भाव को समाप्त किया। इन सभी आंदोलनों, संस्थाओं, विचारों एवं कार्यों का प्रभाव भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ा, जैसे:

1. शिक्षा का विकास एवं प्रसार हुआ।
2. नारी शिक्षा का विस्तार हुआ।
3. कुरीतियों की समाप्ति हुई।
4. नारी की दशा में सुधार हुआ।



चित्र 11. डॉ. अम्बेडकर एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

26 नवम्बर, 1949 ई. को तैयार संविधान को 26 जनवरी, 1950 ई. अर्थात् दो मास उपरान्त लागू किया गया। ऐसा क्यों? जानने का प्रयत्न करें।

5. कर्मकांड व अंधविश्वासों में कमी आई।
6. जाति प्रथा में कमी आई।
7. छुआछूत की समाप्ति हुई।
8. आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान को बल मिला।
9. धर्मान्तरण में कमी आई।
10. राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ।
11. राष्ट्रीय एकता व अखंडता को प्रेरणा मिली।
12. स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरणा मिली।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों ने भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी। इन समाज सुधार आंदोलनों का आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे जुड़े हुए महापुरुष व उनके संघर्ष को आज भी भारतीय जनमानस को आंदोलित और प्रेरित कर रहे हैं।

तिथिक्रम

1. ब्रह्म समाज की स्थापना	1828	ई.
2. सती प्रथा पर रोक	1829	ई.
3. विधवा पुनर्विवाह को कानूनी गत्यता	1856	ई.
4. प्रार्थना समाज की स्थापना	1867	ई.
5. आर्य समाज की स्थापना	1875	ई.
6. स्वामी दशानन्द के रवाड़ी आगमन	1880	ई.
7. शिकागो धर्म सम्मेलन का आयोजन	1893	ई.
8. रामकृष्ण मिशन की स्थापना	1897	ई.
9. बहिष्कृत हितकार्यसमीक्षा की स्थापना	1924	ई.
10. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना	1925	ई.
11. महाड़ सत्याग्रह हुआ	1927	ई.

1 फिर से जानें :

1. राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त, 1928 ई. को की।
2. स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ई. में मुम्बई में की।
3. विरजानंद, स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरु थे।
4. 'विश्व धर्म सम्मेलन' अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितम्बर, 1893 ई. में हुआ।
5. महर्षि अरविंद घोष 1908 ई. में गिरफ्तार हुए।
6. डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार का सम्बन्ध दो क्रांतिकारी संस्थाओं 'अन्धराजन' व 'युगांतर' से था।
7. डॉ. हेडगेवार को 'असहयोग आंदोलन' में सहभागिता के कारण एक वर्ष की सजा हुई।
8. डॉ. अम्बेडकर संविधान निर्माण की पार्सन समिति के अध्यक्ष थे।

2 मिलान कीजिए :

- | | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| 1. राजा राममोहन राय | (क) | पाण्डिचेरी |
| 2. स्वामी दयानंद | (ख) | महाड़ |
| 3. डा. केशवराव बलिराम हेडगेवार | (ग) | नागपुर |
| 4. महर्षि अरविंद घोष | (घ) | सत्यार्थ प्रकाश |
| 5. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर | (ड़) | संवाद कौमुदी |

3 आइये विचार करें :

1. राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा किन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया? विस्तार से चर्चा करें।
2. आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर चर्चा करें।
3. महर्षि अरविंद की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर विचार करें।
4. नारायण गुरु एवं डॉ. अम्बेडकर के अछूतों व वर्चितों के उद्धार के प्रयासों पर चर्चा करें।

5. डॉ. हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा करें।
6. स्वामी विवेकानन्द के विचारों का युवाओं पर क्या असर पड़ा?
7. प्रार्थना समाज के योगदान पर चर्चा करें।

4

आओ करके देखें :

1. अपने आस-पास स्थित किसी बस्ती में जाकर सामाजिक विषमता एवं जातिगत भेदभावों पर चर्चा कर एक लेख लिखें।
2. पाठ में उल्लेखित राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के पुरोधाओं की वर्तमान में चल रही संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों से भेंट कर उस संस्था की वर्तमान जानकारी एकत्रित करें।

राष्ट्रीय चेतना के तत्व

आओ सीखें

पिछले अध्याय में हम भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन करेंगे :

- समाज सुधार आंदोलन
- भारतीयों का सतत् संघर्ष
- भारत में यूरोपियन घुसपैठ
- ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियाँ
- कम्पनी की शोषणकारी नीतियाँ तथा भारतीयों का प्रतिरोध
- 1857 ई. की महान क्रांति

अपनी सभ्यता, संस्कृति व इतिहास के प्रति गानव व आत्म सम्मान का वह भाव उत्पन्न हुआ जो सदियों की दासता के कारण धूमिल पड़ चुका था।

राष्ट्र का अर्थ : राष्ट्र से अभिप्राण एक ऐसे जन समूह से है जो किसी भौगोलिक सीमा के निश्चित क्षेत्र में रहता हो, समान हितों, समान इनिहास, समान परम्पराओं तथा समान भावनाओं से बँधा हो व जिसमें एकता के सूत्र में बँधने की उत्सुकता और लज्जा राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाई जाती हों।

भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक और भौगोलिक राष्ट्र है तथा विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसे समय-समय पर अनेक महान शासकों ने राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया। भारत रूपी राष्ट्र के नाम का वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। एक उदाहरण देखें:

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेशचैव दक्षिणम्।
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र संतति॥ (विष्णु पुराण 2/3/1)

इन विषयों के अध्ययन के बाद हमें लगता है कि भारतीय, विदेशी दासता व शोषण से असंतुष्ट रहे तथा उन्होंने विदेशियों के भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप का लगातार विरोध किया। अंग्रेजों के समय में तो यह विरोध किसी न कर्मी रूप में तथा किसी न किसी शेत्र में हर वर्ष होता रहा जिसकी सामूहिक प्रतिक्रिया 1857 ई. की क्रांति के रूप में हुई। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतवासियों में राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना वीर उत्पत्ति हुई तथा यह भाव प्रबल हुआ कि भारत, भारतवासियों के लिए है तथा भारतीय संसाधनों पर केवल भारतवासियों का ही अधिकार है। इसी शताब्दी में भारतवासियों में

अर्थात् समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भू-भाग स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। उसकी संतानें भारतीय कहलाती हैं।

क्या आप जानते हैं कि भारत को हिंदुस्तान का नाम पारसियों ने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु नदी के कारण दिया क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु का उच्चारण हिन्दू के रूप में होता था।

भारत में राष्ट्रीय चेतना : राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना किसी राष्ट्र के निवासियों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना है जो उनके संगठन को सुदृढ़ करती है। भारत में राष्ट्र का बोध प्राचीन काल से रहा है लेकिन विदेशियों से लगातार संघर्ष से वह थोड़ा धीमा पड़ गया था। उनासवीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों ने फिर से भारतीयों में एकता और संघर्ष की राष्ट्रीय भावना को तीव्रता प्रदान की। अठारहवीं सदी में ही ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार के साथ से भारत के हर क्षेत्र में लोगों ने लगातार संघर्ष किया जिसकी अखिल भारतीय प्रतिक्रिया 1857 ई. की बड़ी क्रांति के रूप में हुई। भारत में राष्ट्रीय चेतना की यह तीव्रता सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रभास्वरूप तथा अंग गो के औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध हुई तीव्र प्रतिक्रिया का परिणाम थी।

जब इसरो के किसी मिशन को सफलता मिलती है अथवा जब हमारी सेना पड़ोसी देश में छिपे आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है या फिर खेल के मैदान में हमारे देश की टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हमें जो अनुभव होता है वही राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीयता है।

राष्ट्रीय-चेतना जगाने वाले तत्वों का विवरण इस प्रकार है :

1. समाज सुधार आंदोलन

1.1 राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज आंदोलन : राजा राममोहन राय को ‘आधुनिक युग का जनक’, तथा ‘नए युग का अग्रदूत’ कहा जाता है। उन्होंने 1828 ई. में ‘ब्रह्म समाज’ की स्थापना कर सती प्रथा, जाति प्रथा, छूआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रैस अध्यादेश का जमकर विरोध किया तथा भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना जागृत की। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने देशवासियों की कठिनाइयों व शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा तथा संगठित होकर राजनीतिक आंदोलन चलाने का मार्ग प्रशस्त किया।



चित्र-1. राजा राममोहन राय

1.2 स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन : स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरे महान समाज सुधारक थे। उन्होंने 1875 ई. में आर्य समाज की स्थापना की तथा भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। उन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' का नारा देकर भारतीयों को वैदिक सभ्यता व संस्कृति की ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' में स्वदेशी राज को विदेशी राज से अच्छा बताया उन्होंने स्वदेश, स्वर्धम तथा स्वभाषा का विचार दिया। आर्य समाज ने भारत को अनेक राष्ट्रीय नेता दिए।



चित्र-2. स्वामी दयानंद

1.3 स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन आंदोलन : उन्नीसवीं सदी के महान समाज सुधारकों में स्वामी विवेकानंद का नाम विशेष स्थान संबोधित है। वे रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने 'शिकागो विश्व धर्म संसद' में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व किया तथा 1897 ई. में 'रामकृष्ण मिशन' का उन्नाव रख्नी। उन्होंने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता कहा जिससे भारतवासियों में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न हुई। उन्होंने बुर्कता को पाप व मत्तु कहा तथा भारतीयों का आह्वान किया कि "उठो, चागो और तब तक मत्तु का, जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो।" इस प्रकार उन्होंने भारतीयों में आत्म सम्मान व स्वाभिमान की भावना भरकर राजनीतिक चेतना उत्पन्न की।



चित्र-3. स्वामी विवेकानंद

गतिविधि : आर्य समाज (स्वामी दयानंद) एवं रामकृष्ण मिशन (स्वामी विवेकानंद) से प्रेरित राष्ट्रीय नेताओं की सूची बनाओ।



1.4 थियोसोफिकल अंदोलन : भारतीय हिन्दू धर्म तंत्र संस्कृत से प्रेरित विदेशियों ने 'थियोसोफिकल सोसायटी' की स्थापना की। इस सोसायटी की एक प्रमुख नेता आयरलैण्ड की महिला श्रीमती ऐनी बेसेंट थी। भारतीयों ने जब अपने धर्म, सभ्यता व संस्कृति की प्रशंसा इस

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित विदेशी



चित्र-4.1 सी. एफ. एन्ड्रस



चित्र-4.2 ऐनी बेसेंट



चित्र-4.3 मैडम ब्लेवाट्सकी एवं कर्नल आल्काट



चित्र-4.4 मेडलिन स्लेड (मीरा बेन)

विदेशी महिला के मुख से सुनी तो वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के ज्ञान से भारतीयों में आत्मविश्वास की भावना प्रबल हुई तथा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लेना आरम्भ कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के इन ‘समाज सुधार आंदोलनों’ ने भारतीय जनता में जागरूकता उत्पन्न की तथा राजनैतिक चेतना का वातावरण तैयार किया। इतिहासकार ए.आर. देसाई के अनुसार “ये आंदोलन कम या अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्षरत थे और उनका चरम लक्ष्य राष्ट्रीयता थी।” इन आंदोलनों ने भारतवासियों में समानता व उदारता के बीज बोए तथा उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई।

2. अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की प्रतिक्रिया

ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश व्यापारियों ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लक्ष्य से की थी। 1757 ई. में प्लासी की लड़ाई के बाद यह व्यापारिक कंपनी राजनैतिक सत्ता में परिवर्तित हो गई किन्तु इसका लक्ष्य अभी भी अधिक से अधिक लाभ कमाना ही था। यता-यम्प्ति के बाद इसने शोषण की प्रक्रिया को और मुखर कर दिया। इसने शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ अपनाकर भारत के अधिक से अधिक शोषण व दोहन किया। प्रतिक्रियास्वरूप स्थानीय व क्षेत्रीय विरोध हुए जो बाद में राष्ट्रीय विराध में परिवर्तित हो गए। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ निम्न प्रकार से थीं :

2.1 शोषणकारी भू-राजस्व नीतियाँ : अंग्रेजों ने भारत के अलग-अलग भू-भागों पर अलग-अलग भू-राजस्व नीतियाँ लागू की, जैसे- मूर्चे स्थायी बंदेबस्त, दक्षिण में रैयतवाड़ी तथा उत्तर में महालवाड़ी। इन सब भू-राजस्व नीतियों में राजस्व की मात्रा अधिक थी तथा राजस्व कठोरता से वसूल किया जाता था जिससे कृषि पर निर्भर विभिन्न वर्गों में असंतोष उभरने लगा तथा वे ब्रिटिश शासन के अंत की कामना करने लगे।

भू-राजस्व : भूमि कर



2.2 शोषणकारी व्यापारिक नीतियाँ : 1757 ई. तक कंपनी की व्यापारिक नीतियों से व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में होने से भारत के लाभ हो रहा था परन्तु 1757 ई. के बाद कंपनी ने पहले व्यापारिक एकाधिकार तथा फिर स्वतंत्र व्यापार जी नीति अपनाकर भारत को कच्चे माल का निर्यातक देश व तैयार माल का आयातक देश बना दिया, जिससे यहाँ के हस्तशिल्प व लघु उद्योग नष्ट हो गए तथा भारतीय व्यापारियों को हानि उठानी पड़ी।

2.3 यातायात व संचार की नीतियाँ : भारत के आंतरिक भागों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाने तथा बंदरगाहों से यूरोपीय माल को आंतरिक भागों तक पहुँचाने के लिए अंग्रेजों ने यातायात के नए साधनों का विकास किया। रेलों व सड़कों का जाल बिछाया गया। इसके साथ-साथ संपूर्ण भारत पर कठोर नियंत्रण के लिए संचार के नए साधनों, जैसे- डाक व तार को भी विकसित किया किन्तु इन सभी साधनों का लाभ भारतीयों को भी हुआ तथा उनमें एकता व राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ।

2.4 धन का निकास : भारत में ब्रिटिश शासन का स्वरूप सदा विदेशी बना रहा तथा भारत से बहुत बड़ी मात्रा में धन, वेतनों, युद्ध-खर्चों, गृहप्रभार व सेना पर खर्चों के रूप में इंग्लैण्ड जाता रहा तथा इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसे ही धन का निकास कहा जाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या राष्ट्रीय नेता दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ‘पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया’ (1876 ई.) में की तथा इसे भारत की दरिद्रता का मुख्य कारण माना।

इन नीतियों ने भारत को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया। दादाभाई नौरोजी, रोमेश चन्द्र दत्त जैसे लेखकों ने अपनी पुस्तकों में ब्रिटिश सरकार के शोषण और दोहन का कड़ा विरोध किया।

अगर आप मानते हैं कि ब्रिटिश शासन की भारत को बहुत रेन है तो आपको दादाभाई नौरोजी की ‘पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया’ तथा रोमेश चन्द्र दत्त की ‘इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ पढ़नी चाहिए।



चित्र-5. दादाभाई नौरोजी व उनकी पुस्तक

चित्र-6. रोमेश चन्द्र दत्त व उनकी पुस्तक

वास्तव में ब्रिटिश शासन ने ‘सोने की चिड़िया’ कहे जाने वाले भारत को आर्थिक रूप से एक दरिद्र देश में परिवर्तित कर दिया।

3. 1857 ई. की महान क्रांति

ब्रिटिश शोषण तथा भारतीय सभ्यता व संस्कृति में अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध भारत के प्रत्येक क्षेत्र के हर वर्ग में एक बेचैनी तथा असंतोष उत्पन्न हुआ जिसकी चरम परिणति 1857 ई. की बड़ी क्रांति के रूप में हुई। भारत के राजा, प्रजा, व्यापारी, हस्तशिल्पी, किसान, जमींदार, स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान आदि प्रत्येक वर्ग ने एकजुट

होकर शोषणकारी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का सम्मिलित प्रयास किया। हजारों की संख्या में भारतीयों का बलिदान हुआ। इस राष्ट्रव्यापी संघर्ष को अंग्रेज अपने आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से दबाने में सफल तो हो गए किन्तु इस क्रांति की वीरगाथाएँ भारतीयों में सदा बलिदान तथा शौर्य की भावना जागृत करती रही। इस संघर्ष के पश्चात् भारतीयों में संगठित राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति हुई, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा।

हरियाणा के लोगों ने इस क्रांति में बढ़-चढ़ कर भाग लिया अम्बाला, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, रोहतक, हाँसी, झज्जर में क्रांति हुई।



1857 ई. के क्रांतिकारियों की वीरगाथाओं, किस्सों व कहानियों से भारतीय 1947 ई. तक प्रेरणा लेते रहे।

हस्तशिल्पी : हाथों से कार्य करने वाला शिल्पकार

चित्र-7. 1857 ई. की क्रांति पर जारी किया गया डाक टिकट

1857 ई. में हरियाणा के क्रांतिकारियों के संघर्ष की जानकारी जुटाएं

4. भारत के गौरवशाली इतिहास पर शोध का प्रभाव

सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूर, राथ, कनिंघम जैसे विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास पर शोध करके भागत यी प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर को विश्व के सामने रखा। जेम्स प्रिन्सेप द्वारा बाह्यी लिपि पढ़ने से भाषक महान जैसे मौर्य सम्राट की जानकारी मिली, तो वहीं कनिंघम के पुरातात्त्विक उत्खनन से भारत की महान प्राचीन धरोहर का पता चला। यह ऐतिहासिक धरोहर किसी भी प्रकार से यूनान या सेम की सभाता भी न कमतर नहीं थी। कई विदेशी विद्वानों ने वेदों व उपनिषदों का गुणगान किया जिससे भारतीयों में आत्महीनता के स्थान पर आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना का आविर्भाव हुआ। इन सभी शोध के यों के कारण राजनीतिक चेतना का उदय हुआ।

भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रचार-प्रसार में एशियाटिक सोसाइटी का विशेष योगदान रहा।

एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे प्राचीन केंद्र है जिसकी स्थापना सर विलियम जॉन्स की पहल पर 1784 ई. में हुई। सोसाइटी का नाम पिछली दो शताब्दियों के कालचक्र में कई बार बदला, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1832 ई.-1935 ई.), द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1936 ई.-1951 ई.) और जुलाई 1952 ई. से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1984 ई. से एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थान प्राप्त है।

अभी हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में हुए उत्खनन ने आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत की पुरानी धारणा को ध्वस्त किया। विद्यार्थियों को आस-पास के ऐसे किसी पुरातात्त्विक स्थान के भ्रमण पर ले जाएं।



चित्र-8. राखीगढ़ी

5. अंग्रेजों में प्रजातीय दंभ तथा भारतीयों से दुर्व्यवहार

यूरोपीय, विशेषकर अंग्रेजों में प्रजातीय दंभ पाया जाता था। वे स्वयं को उच्च प्रजाति का तथा भारतीयों को निम्न व निकृष्ट प्रजाति का मानकर उनसे घृणा करते थे। वे भारतीयों के दृश्या, काला बाल आदि नामों से पुकारते थे तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। प्रजातीय विभेद की नीति वे आधार पर भारतीयों के साथ अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था, जैसे- एक ही अपराध के लिए भारतीयों को अधिक तथा अंग्रेजों को कम दण्ड दिया जाता था। सरकारी नौकरियों, ऊँचे पदों पर नियुक्ति में, रेलों में, एवरें में भी दुर्व्यवहार किया जाता था प्रतिक्रियास्वरूप भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। ‘इलाट बिल विवाद’ भी अंग्रेजों की जातीय विभेद की नीति को दर्शाता है।



चित्र-9. भारतीयों से दुर्व्यवहार दिखाती पट्टीकाएं

प्रजातीय विभेद : अंग्रेजों द्वारा भारतीय और यूरोपियन लोगों के बीच किया जाने वाला भेदभाव

6. समाचार पत्रों की भूमिका

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ से ही भारत में समाचार-पत्र प्रकाशित होने लगे। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित ‘बंगदूत’, ‘संवाद कौमुदी’, ‘ब्राह्मनिकल’ प्रारम्भिक समाचार-पत्र थे। बाद में और भी अनेक समाचार-पत्र, जैसे- ‘बंगाली’, ‘अमृत बाजार पत्रिका’, ‘इन्दु प्रकाश’, ‘मराठा’,



चित्र 10. लोकमान्य तिलक

‘केसरी’, ‘दि हिन्दू’, ‘कोहिनूर’, ‘प्रताप’, ‘यंग इंडिया’ आदि प्रकाशित हुए।


1877 ई. तक भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार-पत्रों की संख्या एक सौ उनहतर तक पहुँच गई थी। इन समाचार-पत्रों में अंग्रेजी सरकार की आलोचना प्रकाशित होने लगी तथा साथ ही इन समाचार-पत्रों ने लोकतान्त्रिक विचारों व स्वतंत्रता की भावना को जनता में लोकप्रिय बनाया। कालान्तर में ये आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता का दर्पण व जनता को शिक्षित करने का माध्यम भी बन गए।

आओ जानते हैं कि राष्ट्रीय नेताओं के लेख अंग्रेजी सरकार को कैसे परेशान करते थे?

1897 ई. में, पूना में भयंकर प्लेग की बीमारी फैली। अंग्रेजी सरकार की ओर से जनता के लिये राहत-कार्य की गति बहुत धीमी थी। तिलक ने सरकार की लापरवाही और सबेदनहीनता का कड़ी निन्दा की। इसी बीच वहां प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैण्ड और आयर्स्ट की चालेकर बंधुओं ने 27 जून, 1898 ई. को हत्या कर दी। यह हत्या जनता के गुस्से और प्रतिरोध का प्रतीक था। लोकमान तिलक ने अपने लेख में इस हत्या की निन्दा की, किन्तु इसके लिये सरकारी नीतियों को दोषी ठहराया। अंग्रेजी अखबारों की दृष्टि में तिलक दोषी थे। राजद्रोह के अभियोग में उन्हें 13 महीने की कड़ी उजा सुना दी गई। इस घटना ने देश के जनमानस को हिला दिया।

7 राष्ट्रीय साहित्य का भूमिका

उन्नीसवीं सदी में समाचार-पत्रों की भारी ही राष्ट्रीय साहित्य ने भी उपन्यासों, निबन्धों, नाटकों, कविताओं, कहानियों, जीवन-चरितों के माध्यम से आधुनिक राष्ट्रीय चेतना जगाने में अहम् भूमिका निभाई। दीनबंधु मिशन के नाटक ‘नील दर्पण’, बंकिम चन्द्र चट्टी के उपन्यास ‘आनंदमठ’ व ‘देवी चौधरानी’, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटक ‘भात दुर्दशा’, वीर सावरकर की रचना ‘दि इंडियन वार नॉक इंडिपेंडेन्स-1857’ इत्यादि रचनाओं ने भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाभावन की भावना उत्पन्न की।



चित्र-11. वीर सावरकर की पुस्तक



चित्र-12. नील दर्पण

1857 ई. का ‘स्वातंत्र्य समर’ एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके लेखक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर थे। इस ग्रन्थ में उन्होंने तथाकथित सिपाही विद्रोह का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिख कर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। इस ग्रन्थ को प्रकाशन से पूर्व ही प्रतिबन्धित होने का गौरव प्राप्त है। बांग्ला नाटककार दीनबंधु मिश्र का 1860 ई. में प्रकाशित नाटक ‘नील दर्पण’ एक महत्वपूर्ण कृति है। इस नाटक में बंगाल के किसानों के ऊपर अंग्रेजों द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों की बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है।



चित्र-13. आनंद मठ एवं बंकिमचन्द्र चट्टर्जी

बांगला में रवीन्द्रनाथ टैगोर, असमी में लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तमिल में सुब्रमण्यम् भारती, हिन्दी में मुंशी प्रेमचंद और उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली प्रमुख राष्ट्रीय लेखक थे। इनकी रचनाओं ने राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रीय गीत

वंदे मातरम्

वंदे मातरम्-वंदे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्य श्यामलां मातरम्
वंदे मातरम्
शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम्
फुल्ल कुमुमित दुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं सुमधुर भाषणीम्
सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम्॥ 1 ॥

कोटि-कोटि कण्ठ कलकल निनाद करो
कोटि-कोटि भुजैघृत खरकराल
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणों नमामि ता त्वां
रिपुदलवारिणों स्त्रामम् वंदे मातरम्॥ 2 ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हवि तुमि वर्म
त्वं हि प्राणा: शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति
तोमारै प्रतिमा गड़ मन्दिरे-मन्दिरे। वंदे मातरम्॥ 3 ॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणी परि नी
कमला कमलकूना वहनी नी
वाणी विद्यादायिना, नमामि त्वाम्
नमामि कमलां अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम्। वंदे मातरम्॥ 4 ॥

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्
धारणां भरणी मातरम्। वंदे मातरम्॥ 5॥

'वंदे मातरम्' गीत बंकिम चन्द्र चट्टर्जी द्वारा रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था।

आओ राष्ट्रीय गीत जाद करें
तथा विद्वालय की प्रार्थना
सभा में डस्का नित्य-प्रति
यान कर अभ्यास करें।

राष्ट्रीय आंदोलनों में धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व

क्या आप जानते हैं? भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों में धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने धार्मिक पर्वों व उत्सवों का प्रयोग भी राष्ट्रीयता के प्रचार-प्रसार व राजनीतिक जागरूकता के लिए किया था। इनमें महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव तथा बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्य है।

8. लार्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ



चित्र-14. लार्ड लिटन

लार्ड लिटन 1876 ई. से 1880 ई. के बीच भारत का वायसराय रहा। उसकी अन्यायपूर्ण प्रतिक्रियावादी नीतियों से भारत में आधुनिक राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ।

वायसराय- भारत में इंग्लैंड के सम्राट् अथवा सरकार का प्रतिनिधि

कुछ दमनकारी नीतियाँ :

- 1876 ई. में आई.सी.एस. की प्रवेश-परीक्षा में बैठने की आयु घटाकर 19 वर्ष करना।
- 1877 ई. में देश भर में अकाल के समय दिल्ली में शानदार शाही दरबार का अम्यो ज करना।
- 1878 ई. में शस्त्र अधिनियम पास करके भारतीयों द्वारा शासन रखने पर प्रतिबंध लगाना।
- 1878 ई. में वर्नाक्यूलर प्रैस अधिनियम पास करके भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार-पत्रों पर रोक लगाना।

लार्ड लिटन की इन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भारतीयों में उसंवाष व रोष उत्पन्न हुआ।

वर्नाक्यूलर अर्थात् देशी भाषा

9. पश्चिमी शिक्षा तथा भारतीय बुद्धिजीवियों का योगदान




चित्र-15. वाल्टेर एवं रूसो

जैसे पश्चिमी साहित्यकारों व दार्शनिकों को पढ़कर तथा 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति, इटली व जर्मनी के एकीकरण व आयरलैण्ड के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरणा लेकर यह वर्ग स्वतंत्रता व स्वशासन की ओर आकर्षित हुआ।

लार्ड मैकाले के प्रयासों से 1835 ई. में भारत में पश्चिमी अर्थात् अंग्रेजी शिक्षा का आरम्भ हुआ। अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य सस्ते क्लर्क, वफादार वर्ग तथा अंग्रेजी माल की अधिक से अधिक खपत करना था। आरम्भ में ऐसा हुआ भी किन्तु शीघ्र ही अंग्रेजी पढ़कर भारत में एक नए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। मिल्टन, शैले, बेंथम, मिल, स्पेन्सर, रूसो, वाल्टेर

10. तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव

उस समय राष्ट्रीयता विश्व भर में हिलोरे मार रही थी, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयता की तीव्र लहरों ने भारतीयों को भी स्फूर्ति प्रदान की। 1776 ई. की अमेरिकी क्रांति, 1789 ई. की फ्रांसीसी क्रांति, यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष, इटली व जर्मनी के एकीकरण तथा आयरलैण्ड के स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीयों के मनोभावों को प्रभावित किया। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी व लाला लाजपतराय मैजिनी से प्रभावित थे तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस पर गैरीबाल्डी का प्रभाव था। इसके अतिरिक्त अबीसीनिया द्वारा इटली की पराजय (1896 ई.) तथा जापान द्वारा रूस की पराजय (1905 ई.) की घटनाओं ने भी आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता को जुझारू बनाने में योगदान दिया।



चित्र-16. मैजिनी चित्र-17. गैरीबाल्डी



गतिविधि : ललेखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं
एवं व्यक्तित्वों पर अचुच्छेद लिखें।

11. विभिन्न राजनीतिक संगठनों की स्थापना

जैसे-जैसे भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ती गई वैसे-वैसे राजनीतिक संगठनों का निर्माण होता चला गया। 1838 ई. में भारत में जर्मनीदरा के हितों की रक्षा के लिए पहला राजनीतिक संगठन 'लैण्ड होल्डर्स सोसायटी' बना। 1843 ई. में 'बगल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी' बनी। इसके बाद दोनों को मिलाकर 1851 ई. में 'ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन' का निर्माण हुआ। 1875 ई. में 'इंडियन लीग' तो 1876 ई. में 'इंडियन एसोसिएशन' का निर्माण हुआ। इसी तरह से कई अन्य संगठन जैसे- 'बोम्बे एसोसिएशन', 'पूना सार्वजनिक सभा', 'मध्रास महाजन सभा' आदि का गठन हुआ। इसी कड़ी में 1885 ई. में एक सवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए. ओ. ह्यूम ने 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की स्थापना की। इसके बाद भी कई अन्य राजनीतिक व क्रांतिकारी संगठनों जैसे- 'अनुशीलन समिति', 'अभिनव भारत', 'गदर पार्टी' आदि का निर्माण हुआ। इन संगठनों के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति तो हुई ही, साथ में कई संगठनों ने इस चेतना के फलस्वरूप चले राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया।

क्या आप जानते हैं?

कांग्रेस की स्थापना के समय पहले अधिवेशन में हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति अम्बाला के लाला मुरलीधर शामिल हुए थे।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में आधुनिक राजनीतिक चेतना सांस्कृतिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। इसमें ‘ब्रह्म समाज’, ‘आर्य समाज’, ‘रामकृष्ण मिशन’ तथा ‘थियोसोफिकल सोसायटी’ की भूमिका महत्वपूर्ण थी लेकिन साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया ने भी इसके उभार में विशेष सहायता की। इसका नेतृत्व तो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी वर्ग ने किया किन्तु इसमें अनपढ़ ग्रामीण जनता की सहभागिता प्रमुख व महत्वपूर्ण थी जो विदेशियों के शोषण तथा भारतीय संस्कृति में उनके हस्तक्षेप से खिन्न थी। साथ ही शहर का वह शिक्षित वर्ग भी इसमें शामिल हो गया जो अंग्रेजों के दोहरे मापदण्डों तथा प्रजातीय विभेदों का शिकार था।

तिथिक्रम

1. अमेरिकी क्रांति 1776 ई.
2. फ्रांसीसी क्रांति 1789 ई.
3. भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ 1835 ई.
4. नीलदर्पण नाटक का प्रकाशन 1860 ई.
5. ‘पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश न्यूज़ इन इंडिया’ का प्रकाशन 1876 ई.
6. इण्डियन एम्प्रेसेशन की स्थापना 1876 ई.
7. आई.सी.एस. परीक्षा में बैठक की आयु घटाकर 19 वर्ष की गई 1876 ई.
8. अकाल के समय दिल्ली में शानदार शाही दरबार का आयोजन 1877 ई.
9. शस्त्र अधिनियम पारित हुआ 1878 ई.
10. वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पास हुआ 1878 ई.

1 फिर से जानें :

- थियोसोफिकल सोसायटी की प्रमुख नेता श्रीमती ऐनी बेसेंट थी।
- मेडिलिन स्लेड का भारतीय नाम मीरा बन था।
- एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉस ने की।
- 'केसरी' नामक समाचार पत्र का संबंध लोकमान्य बाल गंगाधार तिलक से था।
- दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नाटक का नाम नील दर्पण था।
- भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 ई. में प्रारम्भ हुई।
- सुभाष चंद्र बोस गैरीबाल्डी (इटली) से बहुत प्रभावित थे।

कल्पना करें

यदि आप 19वीं शताब्दी में भारत में जन्म हैं तो आप अपने अपनाम के लोगों और राजनीतिक चीजों जैसे उत्तर करने के लिए क्या-क्या कार्य करेंगे?

2 मिलान कीजिए :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. बंकिम चंद्र चटर्जी | (क) मुगाठ |
| 2. लोकमान्य बाल गंगाधार तिलक | (ख) बंगदूत |
| 3. दादाभाई नौरोजी | (ग) आनंदमठ |
| 4. राजा राममोहन राय | (घ) दि इण्डियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस-1857 |
| 5. वीर सावरकर | (ड) पालटी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया |

3 आइये विचार करें :

- अंग्रेजों की स्थापनकारी नीतियों के भास्तु और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा?
- अंग्रेजी शासन का आलोचना करने वाले समाचार पत्रों का वर्णन करें?
- अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किन स्वार्थों के लिए किया? भारतीयों ने इस शिक्षा का कैसे लाभ उठाया?
- क्या भारत में गण्डीयता अंग्रेजों की देन है?
- भारत के गौरवशाली इतिहास द्वारा किस प्रकार भारतीयों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना न जन्म लिया?

4 आओ करके देखें :

- अपने शहर के किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पता लगाएं तथा उनसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा कर दिए गए विवरण को लिखें।
- 19वीं शताब्दी के किसी एक राष्ट्रीय नेता के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक निबंध लिखें।

उदारवादी एवं राष्ट्रवादी (1857 ई. से 1919 ई. तक)

आओ सीखें

पिछले दो अध्यायों में हमने भारतीयों में राष्ट्रीयता के भाव-जागृत करने में महान धर्म-समाज सुधारकों का योगदान तथा राष्ट्रीय चेतना के तत्वों का अध्ययन किया है। प्रस्तुत अध्याय में हम उदारवादी व राष्ट्रवादी भूमिका पर चर्चा करेंगे:

- **उदारवादी:** नेता, लक्ष्य, मांगें, कार्यक्रम, कार्यविधियाँ, गतिविधियाँ व उपलब्धियाँ
- **राष्ट्रवादी:** नेता, लक्ष्य, कार्यक्रम, कार्यविधि, गतिविधियाँ व उपलब्धियाँ
- बंग-भंग आंदोलन
- स्वदेशी एवं बहिष्ठान आंदोलन
- होमरूल आंदोलन

का उत्थान हुआ। दूसरी तरफ अंग्रेज कभी भी 1857 ई. की क्रान्ति को भूल नहीं पाए। भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा घटित न हो पाए, इसके लिए अंग्रेजी सरकार हमेशा प्रयासरत रही। 1885 ई. में एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस गठन भारतीयों ने बढ़ रहे असंतोष को कम करने के लिए किया गया था। 1857 ई. की क्रान्ति के बाद शिक्षित भारतीयों तथा भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बीच की खाई धीरे-धीरे बढ़ने लगी। ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों और उसके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के पश्चात् ये शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश नीतियों के मुख्य आलोचक बन गए। उनमें अंग्रेजों के प्रति असंतोष दिनोंदिन बढ़ने लगा जो राजनीतिक कार्यकलापों के रूप में व्यक्त होने लगा।

उदारवादी

1857 ई. की क्रान्ति के बाद शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता जागृत करने के लिए कई राजनीतिक

1 857 ई. की क्रान्ति वास्तव में ईस्ट इण्डिया कंपनी के शासन के प्रति जनता के संचित असंतोष का और विदेशी शासन के प्रति उनकी धृणा का परिणाम थी। इस क्रान्ति में भारतीय सैनिकों, राजाओं, नवाबों, परदारों, किसानों तथा जनता ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस क्रान्ति ने भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ लिला कर रख दी। एक बार तो अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य डाढ़ागाता हुआ प्रतीत होने लगा था, परन्तु भारतीयों की आपसी फूट, अस्पष्ट कार्यक्रम तथा भारतीयों के पास आधुनिक हथियारों के अभाव के कारण अंग्रेज इस क्रान्ति को दबाने में सफल रहे तथापि इस क्रान्ति के कई दूरगामी परिणाम सामने आए। इस क्रान्ति के पश्चात् नए भारत का उदय हुआ तथा भारत में संगठित राष्ट्रीय जागृति

संगठनों की स्थापना हुई जैसे : इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बोम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा इत्यादि। इन्हीं संगठनों ने ऐसा अखिल भारतीय संगठन बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी जो समस्त भारत का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसे में एक अंग्रेज अधिकारी ए. ओ. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 ई. तक के समय को राष्ट्रीय आंदोलन का 'उदारवाद काल' कहा जाता है क्योंकि इस काल के नेता पूरी नरमी एवं उदारता से अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखते थे। इस काल के सभी उदारवादी नेता शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों के पक्ष में थे।

गतिविधि : 1885 ई. में ए. ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज द्वारा कांग्रेस की स्थापना के पीछे के निहितार्थ पर चर्चा कर एक निवारण जिखें।



क) उदारवादियों के नेता : उदारवादियों के मुख्य नेता दादाभाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, रोमेश चन्द्र दत्त, सुब्रमण्यम अच्युर तथा शिशिर कुमार घोष थे। ये सभी नेता ब्रिटिश सरकार से संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे व उदार तथा नरमपंथी थे।



व्योमेश चंद्र बनर्जी



गोपाल कृष्ण गोखले



दादाभाई नौरोजी



रोमेश चन्द्र दत्त



सुब्रमण्यम अच्युर



बदरुद्दीन तैयबजी



सुरेन्द्रनाथ बनर्जी



फिरोजशाह मेहता



महादेव गोविंद रानाडे

चित्र-1. प्रमुख उदारवादी नेता

ख) उदारवादियों का लक्ष्य : उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। उनका लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वशासन की प्राप्ति करना था। उदारवादी चाहते थे कि विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, उनके अधिकारों में वृद्धि की जाए तथा परिषदों के सदस्यों को लोगों द्वारा चुना जाए। उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए।

ग) उदारवादियों की मुख्य माँगें : इस काल में उदारवादियों की मुख्य माँगें निम्नलिखित थीं :

- विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए।
- प्रशासनिक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की जाए।
- सेना के खर्चे में कमी की जाए।
- सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए।
- उच्च पदों पर भारतीयों की अधिक नियुक्ति की जाए।
- न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए।
- किसानों पर करों का बोझ कम किया जाए।
- नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो।
- नमक पर कर में कमी की जाए।
- प्रैस पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं।

घ) उदारवादियों की विचारधारा : उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश विचारधारा, साहित्य एवं सभ्यता का गहरा प्रभाव था। वे इंग्लैण्ड की राजनीतिक संस्थाओं के प्रशंसक थे और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे। उनका यह भी मत था कि अंग्रेजों के शासन से भारतीयों को कई लाभ हुए हैं। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने भारत में यातायात तथा संचार के साधनों का विकास किया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की तथा भारत में कानूनों का संप्रह कर आधुनिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था की। उदारवादी नेता अंग्रेजों एवं ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में थे ताकि भारतीय अंग्रेजों के प्रति समर्पित रहकर उनसे उदार राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारधाराओं के विषय में व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

ड.) उदारवादियों का कार्यविधि : उदारवादी नेता अपनी माँगों को मनवाने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास रखते थे। वे अपना प्रचार समाचार-पत्रों, भाषणों तथा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के द्वारा करते थे। आंदोलन करने का यह पश्चिमी ढंग था जो इन शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजों से सीखा था। उदारवादी समय-समय पर सरकार को प्रार्थना-पत्र तथा प्रस्ताव भी पेश करते रहते थे। उनके प्रचार का मुख्य साधन समाचार-पत्र थे क्योंकि कई उदारवादी नेता स्वयं ही कुछ अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार-पत्रों के संपादक थे। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में उदारवादी नेता सरकार की नीतियों पर वाद-विवाद करते थे और सर्वसम्मति से पास किए गए प्रस्तावों द्वारा ब्रिटिश सरकार को अपनी माँगों से अवगत कराते थे।

इंग्लैंड की सरकार तथा वहाँ के जनमत को भारत के पक्ष में करने के लिए उदारवादियों ने समय-समय पर अपने कई प्रतिनिधि इंग्लैंड भेजे। इंग्लैंड में भारत की वास्तविक स्थिति का प्रचार करने के लिए 1889 ई. में लंदन में 'ब्रिटिश कमटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस' नामक संस्था की स्थापना की गई। 1890 ई. में इस संस्था ने 'इंडिया' नामक एक समाचार पत्र भी आरंभ किया।

च) उदारवादियों का योगदान अथवा उपलब्धियाँ : यद्यपि उदारवादी अपनी मांगे मनवाने में असफल रहे फिर भी यह कहना गलत होगा कि भारत के आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी कोई उपलब्धि अथवा योगदान नहीं है। उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वे भारत में राष्ट्रीय जागरण लाने में सफल रहे अपने उत्साहपूर्ण भाषण एवं समाचार पत्रों में छापे गए लेखों द्वारा उन नेताओं ने जनता में राष्ट्रीय भाव जागृत किए। उदारवादियों ने अपनी मांगों का प्रचार केवल भारत में ही नहीं किया अपितु कई देशों में भी गए और उन्होंने वहाँ की सरकार तथा संसद के सदस्यों को अपनी मांगों से परिचित कराया। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही 1892 ई. में इंग्लैंड की संसद ने 'इंडियन कौस्तिक एक्ट' पास किया, जिसके अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि का गया। इन परिषदों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया गया। इस एक्ट के अनुसार पहली बार देश में निर्वाचित प्रतिवादी आरम्भ किया गया। वास्तव में उदारवादियों ने अपने प्रचार द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद की असली तरहीर लोगों के सामने खोकी।

उदारवादियों ने कांग्रेस के वार्तिक भूमिकाओं में पास किए प्रस्तावों, भाषणों तथा प्रैस द्वारा प्रशासन में सुधार संबंधी अपनी मांगों से ब्रिटिश सरकार के शत्रुगत करवाया। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार उनकी उचित मांगों को अवश्य पूरा करेगा। अपनी इन मांगों के विषय में जनमत का संगठन करना और लोगों में जागृति लाना भी उनके कार्यक्रम में शामिल था। यद्यपि उदारवादी भारतीयों को अंग्रेजी शासन के शोषणकारी आर्थिक स्वरूप के बारे में जागृत करने में सफल हुए। लेकिन फिर भी उनकी अंग्रेजपरस्ती के कारण वे आम जनता के नेता बनने में असफल रहे। इसलिए जब लाल, बाल, पाल ने भारतीयता की बात की तो एक बड़ा जनसूख उनकी तरफ आकर्षित हुआ।

राष्ट्रवादी

1905 ई. के पश्चात् भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया। उदारवादी नेताओं ने लम्बे समय तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया परन्तु 1905 ई. के पश्चात् इन नेताओं का महत्व अब राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम हो गया और राष्ट्रवादियों का उत्थान हुआ।

क) राष्ट्रवादी नेता : इस कालखण्ड में राष्ट्रवादियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। इनके अतिरिक्त अन्य नेताओं में बंगाल के राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपलुंकर थे। इन नेताओं ने प्राचीन भारतीय धर्म एवं संस्कृति से विशेष प्रेरणा ली थी। वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों के घोर विरोधी थे। राष्ट्रवादियों ने स्वराज प्राप्ति हेतु जोरदार राष्ट्रीय आंदोलन चलाए।



बाल गंगाधर तिलक




विपिन चंद्र पाल



लाला लाजपत राय



विष्णु शास्त्री चिपलुंकर



अश्विनी कुमार दत्त



अरविंद घोष

चित्र-2. प्रमुख राष्ट्रवादी नेता

बाल गंगाधर तिलक (लोकमान्य तिलक) :

लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' तथा मराठी भाषा में 'क्वेसनी' नामक समाचार पत्र चलाए। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटेशी शासन की कठोर शब्दों में निंदा की तथा 'स्वराज' का जोरदार छन्द से प्रचार किया। उन्होंने 1893 ई. में लोगों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए 'गणपति उत्सव' को माध्यम लाना आरंभ किया। 1895 ई. में उन्होंने 'शिवाजी समारोह' भी आयोजित कराया ताकि नवाचक शिवाजी की महान उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रवाद के उन्मादी समर्थक बने। 1896 ई. - 1897 ई. में अकाल पड़ने की स्थिति एवं महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा 'भूमि कर न देने का अभियान' तिलक ने चलाया। उन्होंने स्वराज का उद्घोष करते हुए कहा कि "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।"

लाला लाजपत राय : लाला लाजपत राय भी एक महान राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें 'शेर-ए-पंजाब' (पंजाब के सरी) की उपाधि दी गई। उन्होंने 'वंदे मातरम्' नामक उर्दू दैनिक तथा 'द पीपुल' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन किया। इन समाचार पत्रों तथा अन्य लेखों द्वारा उन्होंने लोगों को मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। 1928 ई. में अपनी मृत्यु तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे इस बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने 'होमरूल आंदोलन' तथा किसानों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



चित्र-3. लोकमान्य तिलक के समाचार पत्र 'मराठा' की प्रति

विपिन चंद्र पाल : विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने बंगाली तथा अंग्रेजी में कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। विपिन चंद्र पाल ने अपने 'न्यू इंडिया' नामक समाचार पत्र द्वारा उदारवादियों के कार्यक्रम एवं विधियों का खंडन किया और विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया।

अरविंद घोष : अरविंद घोष ने भी अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में देशभक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की और उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।



चित्र-4. विपिन चंद्र पाल

ख) राष्ट्रवादियों का लक्ष्य : राष्ट्रवादियों का लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था जिसे वे भारतीयों ने जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। वे ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारतीय प्रशासन भारतीयों को ही साँझे के पक्ष में थे। राष्ट्रवादी समझते थे कि स्वराज के बिना देश की औद्योगिक, व्यापारिक तथा शैक्षिक उन्नत नहीं हो सकती और न ही भारतीयों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

स्वराज अर्थात् गृह शासन का अधिकार

ग) विचारधारा एवं कार्यक्रम : राष्ट्रवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में तनिक भी विश्वास नहीं था। इनका विश्वास था कि भारत में अब तक ब्रिटिश शासन नहीं तब तक सरकार की नीतियों से केवल ब्रिटिश उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के ही लाभ होगा। ब्रिटिश शासन के रहते हुए भारत के व्यापार, उद्योगों, शिक्षा, लोक कल्याण कार्यों आदि के उन्नत विकास नहीं हो सकेगा। अतः वे ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। उन्हें जनता की शक्ति में अदृष्ट उन्नास था। इन नेताओं का मूल मंत्र ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शक्तिशाली जन आंदोलन चला कर स्वराज की प्राप्ति था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जोरदार 'स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन' चलाने का समर्थन किया और इसे देशव्यापी जन आंदोलन बनाने तथा इसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करने पर बल दिया।

घ) राष्ट्रवादियों की जनयोग्यता : राष्ट्रवादी नेताओं का मत था कि केवल प्रार्थना पत्रों, प्रस्तावों, प्रदर्शनों, सभाओं एवं भाषणों द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांगे पूरी नहीं करवाई जा सकती। वे इन्हें दुर्बलता का साधन समझते थे और इन्हें राजनीतिक भीख मानते थे। लाला लाजपत राय ने कहा था, "20 वर्ष के निरंतर आंदोलन के पश्चात् हमें रोटी के स्थान पर पत्थर प्राप्त हुए हैं। अब अंग्रेजों की कृपा के लिए अधिक समय तक गिड़गिड़ाने तथा भिखारी बने रहने का विशेष लाभ न होगा।" राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शक्तिशाली जन आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का जोरदार समर्थन किया।



गतिविधि : राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीति को भिखमंगी राजनीति क्यों कहा? चर्चा करें।

ड.) उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में मतभेद : जनता में जैसे तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे निर्भीक और उत्साही नेता अधिक लोकप्रिय हो गए। दोनों की मांगे, लक्ष्य, साधन और विचारधारा अलग-अलग थी इसलिए दोनों के बीच गहरे मतभेद थे। 1905 ई. में 'बंगाल विभाजन' के पश्चात् उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों में स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर विवाद हो गया तथा कांग्रेस के 1906 ई. के कलकत्ता के अधिवेशन में भी दोनों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनी और इन दोनों दलों में मतभेद बढ़ते गए। 1907 ई. के सूरत अधिवेशन में तिलक और उनके साथी कांग्रेस से अंदलन हो गए। उदारवादी ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक सुधार करना चाहते थे परंतु राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज प्राप्ति थी। 1905 ई. से 1918 ई. तक राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथ में रही। इन राष्ट्रवादियों ने बंग-भंग, स्वदेशी, बहिष्कार तथा होमरूल आंदोलन चलाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारू बनाया।

बंग-भंग विरोधी आंदोलन

1899 ई. में लार्ड कर्जन भारत के वायसेज नियुक्त हुए। उन्होंने राष्ट्रवादी नेताओं के प्रति बहुत कठोर व्यवहार अपनाया। 1905 ई. में लार्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने के आदेश जारी कर दिए। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का यह कारण बताया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और उसका प्रशासन सुचारू रूप से चलाना बहुत कठिन है। परंतु वास्तव में उंग्रेज़ सरकार भारत में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी। इस विभाजन का उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम एकता को नष्ट करना था।

बंग-भंग विरोधी आंदोलन : बंगल के राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया। उन्होंने बंग-भंग को अपना अपमान समझा तथा माना कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल विभाजन को पूर्व नियोजित घृणित काय कहा गया। बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप 'बंग-भंग विरोधी आंदोलन' आरंभ हुआ। 16 अक्टूबर, 1905 ई. को बंगाल विभाजन लागू किया जाना था। इस दिन को 'शोक दिवस' घोषित किया गया, समस्त बंगाल में हड़ताल रखी गई, जुलूस निकाले गए और विरोध में सभाएँ आयोजित की गईं। सारा बंगाल 'वंदे मातरम्' के नारों से गूंज उठा। नेताओं की अपील पर लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रण लिया। यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित न रह कर अन्य भागों में भी फैल गया।

इस आंदोलन के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादियों की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला और शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष जैसे नेताओं के हाथों में चला गया। अंततः सरकार को इन राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए तूफान के आगे झुकना पड़ा और 1911 ई. में बंगाल विभाजन रह देना पड़ा।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन

1905 ई. में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का आदेश इसलिए दिया क्योंकि अंग्रेजी सरकार बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता को कुचलना चाहती थी। इसके अंतर्गत बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल, तो बंगाल के लोगों में असंतोष की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्र विरोधी कार्य के विरुद्ध लोगों ने सभाएँ एवं प्रदर्शन किए परतु ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की एक न सुनी। विवर हाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आरंभ कर दिया।

क) उद्देश्य :

- स्वदेशी वस्तुओं का बाह्यकरण करके ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों को हानि पहुँचाना।
- स्वदेशी वस्तुओं का अत्यधिक प्रचार करके भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना।
- लोगों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकता स्थापित करना तथा देश-प्रेम की भावना जागृत करना।

ख) कार्यक्रम : स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन बंगाल से आरंभ हुआ परंतु शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी फैल गया। इस आंदोलन में नामिंदारा, व्यापारियों, वकीलों, विद्यार्थियों तथा स्त्रियों ने भी भाग लिया। इस आंदोलन में जनसभाओं द्वारा लोगों का स्वदेशी वस्तुएँ अपनाने की प्रार्थनाएँ की गई तथा सार्वजनिक सभाएँ की गईं जहाँ स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने तथा स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की शपथ ली गई। स्थानों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई जिससे लोगों में इतनी जागृति आ गई कि उन्होंने उन समारोहों में जाना बंद कर दिया जहाँ विदेशी वस्तुओं का प्रयोग होता था। लोगों ने विदेशी उपहार लेने बंद कर दिए।



चित्र 5. विदेशी वस्तुओं की होली



चित्र-6. स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन

ग) आंदोलन का प्रभाव : स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने भारतवासियों की राष्ट्रीय चेतना पर निम्न प्रभाव डाले जो इस प्रकार हैं :

- इस आंदोलन से भारतवासियों में राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना बढ़ने लगी।
- इस आंदोलन से लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया।
- इससे भारतीय उद्योगों का अपार विकास हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कपड़ा मिलें, साबुन और दियासलाई के कारखाने लग गए।
- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला। उस समय राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत कई कविताओं, गद्य, गीत आदि की रचना हुई।
- इस आंदोलन में पहली बार भारतीय महिलाओं ने भी भाग लिया। कई स्थानों पर उल्लंघनों और धरनों में उन्होंने भाग लिया।
- स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ने बंग-भंग के विरुद्ध लोगों को संगठित कर दिया और विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1911 ई. में बंगाल भिभाजन रद्द करना चाहा।
- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप ही राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादीयों का महत्व कम हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गण्डवादियों के हाथ ये आ गई। इस राष्ट्रीय आंदोलन के परिणामस्वरूप आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने के लिए 1909 ई. में ब्रिटिश सरकार ने 'इंडियन कौसिल एक्ट' पास किया। इस एक्ट के अनुसार नारतीय प्रशासनिक प्रणाली में कुछ सुधार किए, जिन्हें 'मार्ले-मिण्टो त्रुवार' के नाम से जाना जाता है।

1909 ई. का इंडियन कौसिल एक्ट : यह एक्ट मार्ले-मिण्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्ट वास्तव में 1892 ई. के एक्ट का ही एक विस्तृत रूप था। ब्रिटिश सरकार ने 1909 ई. में मिण्टो मार्ले अधिनियम पास किया जिसकी मुख्य धाराएं निम्नालिखित हैं :

1. इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 30 से 50 रखी गई परंतु फिर भी केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी अधिकारियों का बहुमत बना रहा।
2. एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय की नियुक्ति की भी घोषणा की गई थी।
3. 1909 ई. के एक्ट द्वारा परिषदों के कार्यों में भी वृद्धि की गई। सदस्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया परंतु सेना, विदेशी शक्तियों तथा भारतीय शासकों से संबंधित प्रस्ताव लाने की मनाही थी।
4. 1909 ई. के एक्ट का सबसे घिनौना पक्ष भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का आरंभ था। इन

सुधारों के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में मुसलमानों की सदस्य संख्या निश्चित कर दी गई और इनका चुनाव मुसलमानों द्वारा ही किया जाना निश्चित कर दिया। इसके फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी मतभेद बढ़ने लगे।

- इस एक्ट के अनुसार कुछ ही व्यक्तियों को उनकी शिक्षा, संपत्ति करां तथा उपाधियों के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया।

वास्तव में 1909 ई. के सुधारों का उद्देश्य उदारवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों में बढ़ती एकता को रोकना व साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना था।



गतिविधि : ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 ई. से 1947 ई. तक पारित किए गए सभी अधिनियमों को सूचीबद्ध करो।


लखनऊ समझौता

सर सैयद अहमद खाँ और आगा खाँ जैसे शिक्षित मुसलमानों ने कहा था कि ‘अल्पसंख्यक मुसलमान ब्रिटिश शासन को सहयोग देकर ही सुरक्षित रह सकते हैं।’ इस प्रकार जीविचारधारा रखने वाले मुसलमानों तथा ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही भारत में 1906 ई. में ‘मुस्लिम लीग’ की स्थापना हुई। यह स्थापना साम्प्रदायिक आधार पर हुई क्योंकि मालिम लीग की समर्पयता कवल मुसलमानों के लिए निर्धारित थी जिससे भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस से हट कर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने लगे परंतु प्रथम विश्वयुद्ध (1914 ई.-1918 ई.) आरंभ होने से पूर्व अनेक घटनाएँ घटी जिस कारण मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार ने विश्वास उठने लगा। 1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में दूधगांगेर दोनों में समझौता हो गया जो ‘लखनऊ पैकेट’ के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि विधान परिषदों में मुसलमानों की निश्चित सदस्य संख्या होनी चाहिए और उनका चुनाव पृथक चुनाव प्रणाली द्वारा होना चाहिए। यह कांग्रेस की ‘मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति’ का आरम्भ था। कालांतर में यह समझौता राष्ट्रीय आंदोलन के लिए घातक सिद्ध हुआ। 1916 ई. में श्रीमती एनी बेसेंट तथा कुछ अन्य नेताओं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में समझौता हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक बल मिला।

होमरूल आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अनेक भारतीय नेताओं ने समझ लिया था कि अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर जनता का दबाव बनाना आवश्यक है इसलिए एक वास्तविक जन आंदोलन आवश्यक था। ऐसे में 1915 ई. - 1916 ई. में भारत में एक नए प्रकार का आंदोलन आरंभ हुआ जिसे 'होमरूल आंदोलन' कहा जाता है। इसके मुख्य नेता श्रीमती एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक थे।

क) **होमरूल लीग की स्थापना :** श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की उदार विचारों की महिला थी। उन्होंने आयरलैंड के होमरूल आंदोलन से प्रभावित होकर 1916 ई. में मद्रास में होमरूल लीग की स्थापना की। शीघ्र ही इसकी शाखाएँ कानपुर, इलाहाबाद, मुंबई, बनारस, मथुरा आदि नगरों में स्थापित हो गईं। श्रीमती एनी बेसेंट ने 'न्यू इंडिया' नामक समाचार पत्र द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारतीयों के लिए होमरूल का प्रचार किया।



उन्होंने देश के विभिन्न भागों में जाकर अपने भाषणों द्वारा लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। श्रीमती एनी बेसेंट के होमरूल आंदोलन से प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियन होमरूल लीग की स्थापना की। होमरूल लीग के उद्देश्य के बारे में तिलक ने स्पष्ट किया कि ‘हमारे देश के गृह कार्य हमारे हाथों में होने चाहिए।’ होमरूल लीग का उद्देश्य स्वराज के अधिकार का प्रचार करना था।

बाल गंगाधर तिलक ने पूना में तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी अलग-अलग होमरूल लीग स्थापित की थी परंतु वे दोनों राष्ट्रहित में एक दूसरे का सहयोग करने लगे। उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और स्थान-स्थान पर लोगों को संबोधित किया और होमरूल का प्रचार किया। इन दोनों नेताओं के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न नगरों में होमरूल लीग की कई शाखाएँ स्थापित की गई और हजारों की संख्या में लोग होमरूल के सदस्य बन गए। बहुत से राष्ट्रीय नेता जैसे ए.ए. अंसारी, संकरा लाल, नेकीराम शर्मा आदि होमरूल लीग में शामिल हो गए तथा एकजुट होकर स्वराज की मांग करने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने हरियाणा के नेकी राम शर्मा को मध्य प्रदेश व बरार क्षेत्र में होमरूल आंदोलन की कमीज सौंपी थी।

गतिविधि : नेकी राम शर्मा (हरियाणा) पर अधिक से
अधिक जानकारी एकत्रित करके एक अनुच्छेद लिखें।



ख) ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति : यह आंदोलन शांतिपूर्ण था परंतु युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का आंदोलन सहन नहीं कर सकती थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए सन् 1916 ई. में एनी बेसेंट का मध्य प्रदेश तथा बरार से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार तिलक के पंजाब और दिल्ली आने पर प्रतिबंध लगा दिया। जून 1917 ई. में श्रीमती एनी बेसेंट को मद्रास में उनके सहयोगियों के साथ बंदी बना दिया। इसी समय बहुत से बड़े नेता आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना आंभ कर दिया। जनता ने देश भर में हड़तालें एवं प्रदर्शन किए। लोगों के बढ़ते हुए जोश को देखते हुए सरकार को अंत में झुकना पड़ा और श्रीमती बेसेंट तथा उनके सहयोगियों को जेल से मुक्त कर दिया।

ग) आंदोलन का महत्व : श्रीमती एनी बेसेंट तथा तिलक ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में होमरूल का प्रचार करके लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत कर दी। भारतवासियों में विशेष उत्साह तथा निडरता की भावना देखी गई। बेसेंट और तिलक देश के लोकप्रिय नेता बन गए। इस आंदोलन का प्रभाव देश के बाहर भी हुआ। अमेरिका तथा इंग्लैंड के उदार विचारों के नेता भारत को स्वराज देने का समर्थन करने लगे। भारतीयों को संतुष्ट

करने के लिए अगस्त 1917 ई. को भारत मंत्री मांटेग्यू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसके अनुसार भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि स्वशासन संबंधी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित किया जाएगा तथा धीरे-धीरे स्वराज स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार होमरूल आंदोलन ने भारतीयों में नवीन आशा तथा उत्साह भरने में प्रशंसनीय योगदान दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. आर. सी. मजूमदार के अनुसार, ‘होमरूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ था।’

इस प्रकार स्पष्ट है कि उदारवादियों ने भारत के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की जानकारी देकर जागरूक किया दूसरी ओर राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बांग्लाकार, होमरूल इत्यादि के माध्यम से राष्ट्रीयता को बड़े शहरों से निकाल कर छोटे कस्तों तथा बड़े-बड़े गाँवों तक पहुँचा कर भविष्य के जन आंदोलनों का मंच तैयार किया। वास्तव में ये राष्ट्रवादी ही थे जिनका नीव पर गांधीवादी अहिंसात्मक जन आंदोलन खड़े हुए। राष्ट्रवादियों ने तो भारत के प्रतिकारियों को भी देश पर बलिदान होने के लिए प्रेरित किया।

तिथिक्रम

1. तिलक द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ 1893 ई.
2. तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव का आरंभ 1895 ई.
3. बंगाल का विभाजन 1905 ई.
4. कांग्रेस में विभाजन 1907 ई.
5. मार्ले-मिण्टो अधिनियम 1909 ई.
6. बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ई.
7. कांग्रेस-मुस्लिम लोग में लखनऊ समझौता 1917 ई.
8. लाला लाजपतराय की मृत्यु 1928 ई.

1 रिक्त स्थान भरें :

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे।
2. बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ।
3. ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है’ – ये शब्द ने कहे।
4. ‘शेर-ए-पंजाब’ को कहा जाता है।

2 उचित मिलान करें :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. होमरूल आन्दोलन | (क) न्यू इंडिया |
| 2. बाल गंगाधर तिलक | (ख) उदारवादी नेता |
| 3. लाला लाजपतराय | (ग) एनी बैंट |
| 4. विपिन चन्द्र पाल | (घ) कसरी |
| 5. गोपाल कृष्ण गोखले | (ङ) पंजाबी |

3 फिर से जानें :

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ई. में हुई और इसके संस्थापक ए. ओ. ह्यूम थे।
2. उदारवादियों के तीन प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानाडे, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखला तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे।
3. बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ई. में किया।
4. राष्ट्रवादियों के तीन प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल थे।
5. लखनऊ समझौता 1916 ई. में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ।

4

आइये विचार करें :

1. उदारवादी कौन थे? उनकी मुख्य माँगे क्या थीं?
2. उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों में मुख्य अंतर क्या थे?
3. बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था?
4. बंग-भंग विरोधी आंदोलन क्या था?
5. स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के महत्व पर विचार करें।
6. होमरूल आंदोलन क्या था? इस आंदोलन की प्रगति एवं महत्व का वर्णन करें।

गतिविधि : अपने आस-पास बने वाली
स्वदेशी वस्तुओं को सूची बनाएं।



आओ सीखें

पिछली कक्षा में हमने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों तथा उनके विरुद्ध हुई 1857 ई. की महान क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस अध्याय में हम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1857 ई. से 1918 ई. के बारे में निम्नलिखित अध्ययन करेंगे :

- क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति
- क्रांतिकारियों के उद्देश्य
- भारत में क्रांतिकारी आंदोलन
- विभिन्न क्रांतिकारियों की वृत्तिका
- विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन

प्रथम विश्व युद्ध के बाद का क्रांतिकारी आंदोलन। इस अध्याय में हम प्रथम विश्व युद्ध तक के क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन करेंगे।

क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति

भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना के उदय के फलस्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति के कई कारण थे :

- समाज सुधार आंदोलनों द्वारा प्रेरणा।
- 1857 ई. की क्रांति से प्रेरणा।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक दोहन और शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया।

क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। क्रांतिकारियों के वीरतापूर्ण एवं निर्भीक कार्यों, साहस और मातृभूमि के प्रति लगाव तथा उनके बलिदानों ने उन्हें भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान दिया। भारत के सतत विवरण के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन के साथ-साथ चलने वाला एक हिंसक संघर्ष था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करावाना था। क्रांतिकारी, शक्ति के बल पर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के पक्ष में थे। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध तक का क्रांतिकारी आंदोलन तथा

- अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया।
- राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं साहित्य से प्रेरणा।
- लाल, बाल, पाल एवं अरविंद घोष की विचारधारा से प्रेरणा।
- अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव।

जहाँ एक ओर धर्म-समाज सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के आत्मविश्वास को जगाया वहीं दूसरी ओर अकाल, महामारी एवं ब्रिटिश सरकार के दोहन से भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई जिसे प्रजातीय भेद-भाव ने और तीव्र कर दिया। ऐसे में राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं साहित्य ने उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ-साथ क्रांतिकारी लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष की विचारधारा तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी प्रभावित थे।

क्रांतिकारियों के देश एवं लाभ

क्रांतिकारियों में राष्ट्रीयता की ऐसी भावना थी कि वे देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। वे समझते थे कि उनके बलिदान से ही देश में जागरूकता उत्पन्न हो सकती है। भारत के क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य ‘स्वतंत्रता’ था।

क्रांतिकारियों के उद्देश्य

- भारत में ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना।
- युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना।
- सशस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांति करना।
- युवाओं का संगठित करना।
- भारत में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करना।
- लोकतंत्र की स्थापना।
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना।
- व्यवस्था में बदलाव करना।


क्रांतिकारियों के सिद्धांत एवं साधन :

1. संवैधानिक एवं उदारवादी विचारधारा में अविश्वास।
2. सशस्त्र संघर्ष एवं क्रांति में विश्वास।
3. आत्मबलिदान की भावना पर बल।
4. राष्ट्रहित में ‘मारो या मरो’ के सिद्धांत में विश्वास।
5. क्रांतिकारी संगठनों व संस्थाओं का निर्माण।
6. जन-जागृति में विश्वास।
7. राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत साहित्य, पत्रक एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन।

क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभ

भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन के मुख्य नेताओं में रामसिंह कूका, चापेकर बंधु, वीर सावरकर, गणेश तापारकर, बारिन्द्र कुमार, शंखेन्द्र नाथ सान्याल, खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी बासा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखना, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, अजीत सिंह, अम्बा प्रसाद, राजा महेन्द्र प्रताप, बत्तलतुल्ला खान इत्यादि प्रमुख थे। इसका प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ लेकिन इसका मुख्य केंद्र बंगाल बन गया। भारत के अन्य प्रांतों में तथा विदेशों में भी भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय रहे। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में जो कि प्रथम विश्व युद्ध तक चला, अधिकतर क्रांतिकारी गतिविधियाँ बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं दिल्ली में हुई। 1857 ई. की महान क्रांति के बाद भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चलता रहा। किसानों, वनवासियों एवं धार्मिक संतों ने संघर्ष को बनाए रखा। 1859 ई.-1861 ई. में नीति विद्रोह, 1875 ई. में दक्कन का विद्रोह, 1879 ई. में वासुदेव बलवंत फड़के का विरोध तथा 1899 ई.-1900 ई. में बिहार मुण्डा का विद्रोह इनमें प्रमुख थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

1. **कूका आंदोलन :** कूका या नामधारी आंदोलन वास्तव में एक ‘धर्म सुधार आंदोलन’ था। सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठे होकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए ऊँची आवाज लगाने को कूक कहा जाता है। नामधारी ऊँची-ऊँची आवाज (कूक) लगाकर गायन करते थे इसलिए उनके आंदोलन को कूका आंदोलन का नाम दिया गया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आदर्श राजनीतिक शासन की स्थापना के



चित्र-1. भारत सरकार द्वारा कूका आंदोलन पर जारी डाक टिकट

लिए बालक सिंह नामक उदासी फकीर के शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में वैसे ही प्रयास हुए जैसे पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में हुए थे। बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात् बाबा राम सिंह ने कार्यभार संभाला तथा अपना मुख्यालय भैणी साहिब (लुधियाना) में स्थापित किया। जब बाबा राम सिंह ने सिक्खों को अंग्रेजों के हाथों पराजित व अपमानित होते हुए देखा तब उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए। उन्नीसवीं शताब्दी के छठे दशक में बाबा राम सिंह ने पंजाब के विभिन्न जिलों में अपने सूबेदार और नायब सूबेदार नियुक्त किए। उन्होंने युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए एक निजी अर्ध-सैनिक संस्था स्थापित कर ली। धीरे-धीरे इस आंदोलन की गतिविधियाँ सरकार के लिए गहरी चिंता का विषय बन गयीं।

कूका या नामधारी आंदोलन के अनुयायी गायों का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने सरकार से गौ हत्या पर कड़ी रोक लगाने की लगातार मांग की, परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्येय नहीं दिया। 1892 ई. में कूकाओं को सूचना मिली कि मुस्लिम राज्य मलेरकोटला में गायों की हत्या की जा रही है तो उनके एक समूह ने मलेरकोटला पर धावा बोल दिया। अनेक नामधारी शहीद हुए तथा अनेकों को तोफे में उड़ा दिया गया। अंग्रेज सरकार ने राम सिंह व उनके अनुयायियों को इस उपद्रव के लिए उत्तरदायी माना और उन्हें बंदी बनाकर रकून (कर्तमान में म्यानमार) भेज दिया। अपनी मृत्यु तक वे जेल में बंदी रहे। राम सिंह कूका ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ने का प्रयास किया। नामधारी कूकाओं ने सर्वप्रथम स्वदेशी कपड़े खासकर गाढ़ा या खा पहनकर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके उसे राष्ट्रीय भस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, जिसका भविष्य में राष्ट्रीय नेताओं ने उपयोग करके भारतीय उन्मानस में चेतना जागृत की। प्रतिवर्ष इन शहीद कूका वीरों की याद में मलेरकोटला में एक विशाल श्रद्धालु समारोह का आयोजन किया जाता है।

2. महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन : 1896 ई. में महाराष्ट्र में प्लेग की जानलेवा बीमारी फैली जो धीरे-धीरे महामारी का रूप ले युकी थी। 1897 ई. तक आते-आते पूना में भी प्लेग फैल गया। प्लेग से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने ठोस कदम उठाने पर विचार किया और ‘वाल्टर चाल्स रैंड’ नामक अंग्रेज को प्लेग कमिशनर नियुक्त किया। इस अंग्रेज ने पूना में लोगों के घरों तथा मंदिरों में बेरोक-टोक प्रवेश कर आम जनता में अपत्तें उत्पन्न कर दिया। सार्वजनिक रूप से लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाने लगा था। दो भाइयों दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून, 1897 ई. को बदनाम चाल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके साथ आयर्स्ट भी मारा गया। क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। दोनों को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया।

विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए यूरोप जाने से पूर्व ही ‘मित्र मेला’ व ‘अभिनव भारत’ जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। इन संस्थाओं के माध्यम से कई क्रांतिकारी



चित्र-2. चापेकर बंधु

उत्पन्न हुए। 1909 ई.-1910 ई. में अभिनव भारत ने नासिक, अहमदाबाद और सतारा में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। 1909 ई. में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मैजिस्ट्रेट मिस्टर जैकसन की हत्या कर दी क्योंकि उसने वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर को देशभक्ति पूर्ण कविताएं लिखने के कारण आजीवन काले पानी की सजा दी थी। जैकसन की हत्या के केस में 38 दोषियों पर मुकद्दमा चला, जिनमें से 4 को फांसी दी गई।

3. बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन : बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के जन्मदाता अरविंद घोष, बारिन्द्र घोष तथा विवेकानंद के छोटे भाई भूपेन्द्र नाथ दत्त थे। इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारियों को प्रेरित किया तथा वहाँ 'अनुशीलन समिति' नामक संगठन का गठन किया। शीघ्र ही इस समिति का शाखाएं समस्त बंगाल में खोली गई। अनुशीलन समिति के दो सदस्य बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए जापान भी गए। क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित 'संध्या', 'युगांतर' जैसी पत्रिकाओं व 'भवानी मंदिर' जैसी पुस्तकों से क्रांतिकारी आंदोलनों को बल मिला। 'युगांतर' पत्रिका में अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए जिजलिखित छह पत्री कार्यक्रम दिया गया :

- समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन की अल्लेवण फरना।
- शहीदों की जीवनियों पर आधारित गीत व नाटकों की प्रस्तुति करना।
- जलसे, जुलूस, व हड़तालों से ब्रिटिश शासन का व्यस्त रखना।
- सैनिक शिक्षा, व्यायाम, धार्मिक कार्यक्रम एवं शक्ति पूजा के माध्यम से नवयुवकों को जोड़ना।
- शस्त्र बनाना, खरीदना व विदेशों में संबंध बनाना।
- आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना।

बंगाल की क्रांतिकारी संस्थाओं ने इटली की गारा क्रांतिकारी संस्थाओं से प्रेरणा ली थी। सन् 1908 ई. में खुदीराम बोस व प्रफल्ल चाकी ने मुज्जफरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से उपकी बगी पर बम फेंका। चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को मृत्यु दिया गया। दोनों पर लोक गीत लिखे गए तथा देश की जनता इन्हें गुनरुना लागी। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का बम बनाने का कारखाना पकड़ लिया जाना। इस क्रांतिकारियों पर मुकद्दमा चला था। इस केस को 'अलीपुर षड्यंत्र केस' कहा जाता है। बारिन्द्र घोष को काले पानी की सजा हुई। ब्रिटिश सरकार ने दमन का सहारा लिया। सरकार जैसे-जैसे आंदोलन का दमन करने का प्रयास करती आंदोलन वैसे-वैसे और जोर पकड़ता गया। क्रांतिकारी बंगाल के युवाओं के आदर्श बन गए।



चित्र-3. खुदीराम बोस

4. पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन : पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं में सरदार अजीत सिंह, पिंडी दास, अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक एवं दीनदयाल बांके प्रमुख थे। उन्होंने किसानों के सहयोग से पंजाब सरकार के 'कैनाल-क्लोनाइजेशन एक्ट' के विरुद्ध प्रदर्शन किए। सरदार अजीत सिंह ने इस एक्ट के विरुद्ध

पंजाब में कई स्थानों पर सभाएं की तथा किसानों को टैक्स देने से मना कर दिया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को तीव्रता देने के लिए 'अंजुमन-ए-मोहीब्तान-ए-वतन' नामक संस्था का गठन किया। बांके दयाल की कविता 'पगड़ी संभाल जट्टा' तथा अजीत सिंह के धुआंधार भाषणों ने लोगों में उत्साह भर दिया। सरकार ने उनके प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उन्हें कठोर कारावास की सजा दी। लाला पिंडीदास, लालचंद, ईश्वरदास, अम्बा प्रसाद, भाई परमानंद, बाबू बालमुकंद गुप्त इत्यादि ने सशस्त्र क्रांति द्वारा पंजाब में ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली।

सरदार अजीत सिंह पंजाब के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी थे। वे भगतसिंह के चाचा थे। 27 वर्ष की आयु में वे अपना घर छोड़ चुके थे। उन्होंने भारत में औपनिवेशिक सरकार का खुल कर विरोध किया। उन्हें राजनैतिक विद्रोही घोषित किया गया। ईरान, तुर्की, जर्मनी, ब्राजील, इटली व जापान इत्यादि देशों में रहकर उन्होंने क्रांति का बीज बोया। उन्हें बहुत-सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो चुका गा। 1906 ई. में लाला लाजपत राय के साथ उन्हें भी देश निकाले का दण्ड दिया गया था। भारत के विभाजन से वे इतने व्यथित थे कि 15 अगस्त, 1947 ई. की सुबह जब उनके परिवार जातें ने उन्हें शनयक्ते वे जय हिंद कह कर दुनिया से चले गये। भारत का इतिहास उनके योगदान को हमें स्मरण रखेगा।


5. मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन : दक्षिण भारत में मद्रास के क्षेत्र (वर्तमान चेन्नई) में चिदम्बरम पिल्लै तथा वांची अय्यर जैसे प्रमुख नेताओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्लै को बन्दी बनाने के विरोध में टिनेवली नामक स्थान पर सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो गया। लोगों ने ब्रिटिश सरकार की संपत्ति लूट ली। क्रांतिकारियों के निशान पर नगरपालिका का कार्यालय, पुलिस चौकी तथा रजिस्ट्रार का कार्यालय था। ब्रिटिश सरकार ने कठोर कार्यवाही करके 27 लोगों को गृहत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा दी।

6. अन्य क्रांतिकारी गतिविधियाँ : क्रांति की ज्वाला धीरे-धीरे सम्पूर्ण देश में फैल रही थी। भारत की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं थी। यहां क्रांतिकारियों ने 1912 ई. में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फैंका। इस प्रकार की घटनाएँ देश के अन्य हिस्सों में भी हुईं। कुछ क्रांतिकारी विदेशों में रहकर भी भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत थे।

विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी

इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि देशों में बसे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अपनी मातृभूमि भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए कई प्रयास हुए। कुछ क्रांतिकारियों व उनके प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार से है:

1. श्यामजी कृष्ण वर्मा की भूमिका : श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ के निवासी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर की शिक्षा ग्रहण की। सन् 1905 ई. में वर्मा जी ने ‘भारत स्वशासन समिति’ का गठन किया जिसे प्रायः ‘इंडिया हाउस’ कहा जाता था। उन्होंने एक समाचार पत्र ‘इंडियन सोशलऑजिस्ट’ शुरू किया जिसमें अंग्रेजों के अत्याचारों, भारत के आर्थिक शोषण तथा भारतीयता से संबंधी लेख लिखे जाते थे। उन्होंने भारतीयों के लिए एक-एक हजार रुपये की छह फैलोशिप भी आरम्भ की जिस कारण से शीघ्र ही इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। उनके सहयोगियों में लाला हरदयाल, वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा इत्यादि थे। सन् 1930 ई. में जिनेवा में उनकी मृत्यु हुई।



चित्र 4. श्यामजी
कृष्ण वर्मा

2. विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका : वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, स्पष्ट वक्ता और एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया उसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। भारतीय जनता ने उह ‘स्वतंत्र्यवीर’ की उपाधि से विभूषित किया। इसलिए उन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। उनका जन्म 18 मई, 1883 ई. बो महाराष्ट्र के भागुर में हुआ। सन् 1901 ई. में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया जहां वे बाल गांधर तिलक के संपर्क में आए। उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर ‘मित्र मेला’ एक संगठन बनाया तथा सन् 1905 ई. में पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उन्होंने सन् 1906 ई. में क्रांतिकारियों का एक युत्सुक संगठन ‘अभिनव भारत’ बनाकर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। सावरकर अहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 ई. के सैनिक विद्रोह को ‘भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ कहा। उन्होंने इस नाम से एक पुस्तक भी लिखी जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रकाशन से पूर्व ही जब्त कर लिया। 23 दिसंबर, 1910 ई. को सावरकर को दो जन्मों के आजीवन कारावास का दंड देकर उनकी पैतृक घम्मति को जब्त कर लिया गया। दस वर्ष (4 जुलाई, 1911 ई. से 2 मई, 1921 ई.) तक सावरकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में रहे। मई 1920 ई. में महात्मा गांधी ने भी ‘यंग इंडिया’ पत्रिका में सरकार से उन्हें रिहा करने की अपील की। अंडमान से रिहा होने के बाद भी वो कई वर्ष तक जेल में रहे तथा बाद में उन्हें कई वर्षों तक नजरबंद करके उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए। सावरकर हिंदुत्व में विश्वास रखते थे तथा विभाजन के सम्बन्ध विरोधी थे। उन्होंने विभाजन रोकने के लिए अथक प्रयास किए थे। ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था कि ‘उनका हास्य बोध तीखा, तर्क अकाट्य और व्यंग्य प्रभावशाली है। जब वे एक शूरवीर विजेता के रूप में अपना संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके भीतर जल रही विश्वास की लौं चारों ओर एक आभामंडल छोड़ जाती है।’ 26 फरवरी, 1966 ई. को उनका निधन हुआ। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनकी मृत्यु के समय तक भी अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्ति नहीं लौटाई गई थी।

सावरकर की प्रमुख रचनाएँ :

- द इण्डियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
- हिंदू राष्ट्रीय दर्शन
- लेटर्स फ्राम अंडमान
- हिंदू पद पादशाही
- एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व
- डेडिकेशन टू मार्टियर्स

गतिविधि : भारत की सेल्यूलर जेल तथा साधारण जेलों की सजा में अंतर जानने का प्रयास करें।



सेल्यूलर जेल (काला पानी) : अंडमान की सेल्यूलर जेल की सजा को काला पानी की सजा भी कहा जाता था। इस जेल में वीर सावरकर ने अपने जीवन के दस बहुमूल्य वर्ष अधीत किए। इस जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ डाकुओं और हत्यारों से भी अधिक बुरा व्यवहार किया जाता था। सावरकर ने स्वयं लिखा कि कैदियों को अलग-अलग सेल (कक्ष) में रखा जाता था। हल्का-सा भी शक होने पर हथकड़ियाँ पहनाकर हाथ ऊपर करके खड़ा रहने वी सजा दी जाती थी। प्रतिदिन 30 पौंड तेल निकलवाने के लिए कोल्हू चलवाया जाता था। कम तेल निकालने वाले ने पिटाई की जाती थी। पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता था। इस जेल में सावरकर को 6 माह तक अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा गया। एक-एक माह के लिए तीन बार एकांतवास की सजा दी गई। सात-सात दिन के लिए दो बार हथकड़ियाँ पहनाकर दीवार के साथ लटकाकर रखा गया। चार माह के लिए जंजीरों से बांधकर रखा गया। सावरकर के सेल्यूलर जेल में निर्वासन की कहानी 500 से भी अधिक पृष्ठों में समाइ है। हर पृष्ठ रोगटें खड़े कर देने वाला है।



चित्र-5. सेल्यूलर जेल

3. मदन लाल ढींगरा की भूमिका : वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी बड़े देशभक्त थे। उन्हें सजा दिलवाने में नासिक के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर जैक्सन तथा भारत सचिव के मुख्य परामर्शदाता कर्जन वाइली का बड़ा हाथ था। इसलिए 1 जुलाई, 1909 ई. को एक नवयुवक मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली को गोली मार दी। मदन लाल ढींगरा का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संभ्रांत एवं सुशिक्षित परिवार में

1883 ई. में हुआ। सन् 1906 ई. में वे पढ़ाई करने लंदन गए तथा वीर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त, 1909 ई. को फांसी की सजा दी गई।

4. भीकाजी कामा की भूमिका : भीकाजी कामा एक महान महिला क्रांतिकारी थी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र इंग्लैड़ व फ्रांस थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में हिस्सा लिया तथा स्वयं द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। उन्होंने सम्मेलन में अंग्रेजी शासन के शोषणकारी स्वरूप की जानकारी दी। उन्हें बंदी बनाकर इंग्लैड से निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद वह फ्रांस चली गई तथा 1934 ई. में भारत लौटी तथा 1936 ई. में उनका देहांत हो गया।



चित्र-6. भीकाजी कामा

5. गदर आंदोलन : उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारत से कई भारतीय धन कमाने वालों के साधन दूंघते हुए अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा आदि देश ज्ञापनहुए परंतु भारतीय होने के नाते विदेश में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इसलिए उन्होंने देशवासियों की पीड़ा को अनुभव करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि वह यहां विदेश में रहकर अपने भारतवर्ष को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करवाने का यात्रा करेंगे। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम 21 अप्रैल, 1913 ई. में अमेरिका के कनाडा के भारतीयों को संगठित करके एक 'हिंदुस्तानी एसोसिएशन' (हिन्दी सोफक एसोसियेशन) बना ली जिसे गदर पार्टी कहा जाता था। गदर पार्टी के मुख्य नेता सोहन सिंह भाजना, लाला हरदयन, भाई केसर सिंह, पण्डित कांशी राम, भाई परमानन्द, मुहम्मद बरकतुल्ला, करतार सिंह सराभा थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी के लिए संघर्ष था। प्रत्येक संभव प्राप्ति व गतिविधियों के द्वारा ब्रिटिश शासन की भारत से समाप्त थी। इस पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में युगांडर आश्रम नामक स्थान पर खोला गया। नवंबर 1913 ई. में 'गदर' नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला गया जो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने लगा। इस समाचार पत्र में ब्रिटिश शासन की वास्तविक तस्वीर भारतीयों के सामने पेश की गई तथा साथ ही नवयुवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया। यह पत्र विश्व के कई देशों में निःशुल्क भेजा जाता था। इस पार्टी के हजारों



चित्र-7. गदर आंदोलन के क्रांतिकारी

सदस्य भारत को आजाद करवाने के लिए जहाजों द्वारा भारत पहुंचे। ये लोग पूरे पंजाब में फैल गए और अंग्रेजी सम्राज्य के विरुद्ध गोपनीय कार्य करने लगे। मार्च 1914 ई. में लाला हरदयाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। इसलिए वह अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। उसके पश्चात् भगवान् सिंह, करतार सिंह सराभा, रामचंद्र आदि नेताओं ने अपने प्रयासों से गदर आंदोलन को जारी रखा।

6. कामागाटामारू घटना : गदर पार्टी के सदस्यों ने भारत में सशस्त्र क्रांति लाने के उद्देश्य से क्रांतिकारियों को जर्मन शस्त्रों के साथ तो सामारू नामक जहाज में भारत भेजा परंतु इसकी सूचना पहले ही भारत में ब्रिटिश सरकार को हो गई। इसलिए भारत पहुंचने पर सभी व्यक्तियों को कैदी बनाकर मृत्युदंड दिया गया। इसी समय कनाडा की सरकार ने भारतीयों पर अनेक अनुचित प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए इन भारतीयों के सहयोग के लिए सिंगापुर के एक धनी भारतीय बाबा गुरदित्त सिंह ने कामागाटामारू जहाज में 350 भारतीयों को लेकर कनाडा के लिए प्रस्थान किया। 23 मई, 1914 ई. को जहाज यह जहाज कनाडा की बंदरगाह वैंकूवर पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने केवल 24 लोगों को ही वहां उतरने की इजाजत दी। जहाज में 340 सिक्खों के साथ-गाथ हिंदू व मुसलमान भी थे। सभी को वापिस जहाज में बबर स्टी बैठा दिया गया।

तत्पश्चात् यह जहाज सभी लोगों को लेकर वापिस भारत के लिए रवाना हो गया। भारत में ब्रिटिश सरकार को यह बात पहले ही पता चल चुकी थी। बबर ह जहाज कलकत्ता (बजबज घाट) पहुंचा तो यहां भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नीचे उतरने की इजाजत नहीं दी। ऐसे यात्रियों का बलपूर्वक पंजाब भेजने का प्रयास किया। कुछ यात्रियों ने बलपूर्वक कलकत्ता में प्रवेश करने की कोशिश की जो सरकार ने उन निर्दोष यात्रियों पर गोली चला दी। यह घटना 27 सितम्बर, 1914 ई. को घटी। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने आजादी की लहर को और तेज कर दिया।

7. सशस्त्र क्रांति टी महान योजना (1915 ई.) : कामागाटामारू घटना का क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशों से क्रांतिकारी पंजाब आने लगे तथा गुप्त सभाएं करने लगे। जनवरी 1915 ई. में रास बिहारी बोस भी पंजाब पहुंच चुके थे। उन्होंने एक संगठन का प्रारूप तैयार किया तथा देशभर की सैनिक छावनियों से संपर्क करके 21 फरवरी, 1915 ई. को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। इस योजना में रास बिहारी बोस के साथ शचीन्द्र नाथ सान्याल, करतार सिंह सराभा इत्यादि शामिल थे। क्रांति की तारीख बदलकर 19 फरवरी भी की गई, लेकिन कृपालसिंह नामक गहार ने सारी योजना अंग्रेजों को बता दी। रास बिहारी बोस बचकर निकलने में सफल रहे, किन्तु 42 क्रांतिकारियों को फांसी एवं 200 क्रांतिकारियों को लंबी सजाएं सुनाई



निम्न-8. कामागाटामारू घटना (बजबज घाट, कलकत्ता)

गई। इसी तरह का कुछ प्रयास राजा महेन्द्र प्रताप एवं बरकतुल्ला खान ने जर्मनी व अफगानिस्तान के अमीर की सहायता से किया तथा काबुल में एक अंतर्रिम सरकार का गठन भी किया। लेकिन सशस्त्र क्रांति से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफलता न मिल सकी।

गतिविधि : करतार सिंह सराभा एवं रास बिहारी बोस पर जानकारी एकत्रित करके अलग-अलग अनुच्छेद लिखें।



इस प्रकार 1857 ई. की क्रांति के बाद भी भारतीयों ने देश को स्वतन्त्र करने के संघर्ष को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों की दमनकारी और शोषण की नीतियों के विरुद्ध भारतीयों ने क्रान्तिकारी आंदोलन की राह को अपनाया। पंजाब में 'कूका आंदोलन' और महाराष्ट्र में 'अभिनव भास्त' तथा बंगाल में 'उत्तरालन समिति' द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी आंदोलन चलाया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार पंजाब से लेकर मद्रास तक तथा महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक हुआ। विजेशों में बसे भास्तवा ने भी अपने देशवासियों के दुःख-दर्द को समझा। सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गीताजी कामा एवं गहर आंदोलनकारियों ने सशस्त्र क्रांति से देश को स्वतन्त्र करवाने के प्रयास किये। इन पथम दौर के क्रांतिकारियों ने अदम्य साहस, वीरता एवं बलिदान का परिचय देकर भारतीय पुरुषत्व को पुनः जगाया। जिससे राजीवता और सुदृढ़ हुई तथा दूसरे दौर के क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। भारतीय चतुंत्रता संग्राम में इन सभी क्रांतिकारियों की भूमिका सराहनीय थी।

भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों के जनक




रामसिंह कूका



सरदार अजीत सिंह



विनायक दामोदर सावरकर



बारिन्द्र कुमार घोष

यादगार स्मारक



युगान्तर आश्रम, सैन फ्रांसिस्को



कूका स्मारक, मलेरकोटला



सेम्बल्पुर जेल स्मारक, अण्डमान



कामागाटामारा स्मारक, कलकत्ता

तिथिक्रम

1. वीर सावरकर का जन्म 28 मई, 1883 ई.
2. चाल्स रैंड की चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या 22 जून, 1897 ई.
3. मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली को गोली मारी 1 जुलाई, 1909 ई.
4. मदन लाल ढींगरा को फांसी 17 अगस्त, 1909 ई.
5. वीर सावरकर को दो जन्मों के आजीवन कारावास का दंड 23 दिसंबर, 1910 ई.
6. लॉर्ड हार्डिंग पर बम फैका गया 1912 ई.
7. गदर पार्टी की स्थापना 1913 ई.
8. सशस्त्र क्रांति की योजना 21 फरवरी, 1915 ई.
9. वीर सावरकर का देहांत 26 फरवरी, 1966 ई.

1

फिर से जन्म

1. विनायक दामोदर सावरकर ने 'अभिनव भारत' नामक संस्था का गठन किया।
2. अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में हुआ।
3. अंग्रेज अधिकारा कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की।
4. बाबा गुरादत्त सिंह ने 350 भारतीयों को कामागाटामारू जहाज से कनाडा के लिए प्रस्थान करवाया था।
5. कूका आंदोलन का नेतृत्व रामसिंह कूका ने किया।
6. गदर पार्टी की स्थापना 1913 ई. में हुई।

2

आइये विचार करें :

1. भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन की उत्पत्ति पर चर्चा करें।
2. क्रान्तिकारियों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
3. कूका आन्दोलन द्वारा बाबा रामसिंह ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए किन बातों का प्रचार किया?
4. श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं भीकाजी कामा की भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भूमिका पर चर्चा करें।
5. विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में क्यों वर्णिया जाता है? इनके योगदान पर चर्चा करें।
6. गदर आन्दोलन पर विस्तृत चर्चा कर इसके महत्व पर विचार करें।
7. कामागाटामारू घटना पर चर्चा करें।

3

आओ करके देखें :

1. अपने क्षेत्र के एमेरे व्यक्तियों की सूची बनाओ जिन्होंने समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य किया है।
2. अपने क्षेत्र की ऐसी संस्थाओं की सूची बनाओ जो लोगों में राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य और समाज सेवा के भवित्विकसित करने के लिये कार्य कर रही हैं।



आओ सीखें

पिछले अध्याय में हम भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन (1857 ई. से 1918 ई. तक) के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम 1919 ई. से 1947 ई. तक के क्रांतिकारी आंदोलन पर निम्न चर्चा करेंगे :

- जलियाँवाला बाग नरसंहार
- हिन्दुस्तान प्रजातंत्र संघ
- काकोरी घटना
- भगतसिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत
- चटगाँव की घटना
- चन्द्रशेखर आजाद व उमा सिंह की शहीदी
- नौसेना का आंदोलन

के रास्ते को अपनाया तो इसी तरह से भारत में सत्याग्रहियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलनों की राह को अपनाया और साथ-साथ क्रांतिकारियों ने 'क्रांति' को अपनाया। यद्यपि इसके प्रवर्तक यह जानते थे कि कुछ बमों के बल पर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को मारकर भगाया नहीं जा सकता किन्तु उनका यह भी मानना था कि इससे गरतवासियों में देश की स्वतंत्रता के लिए साहसपूर्ण काम करने की भावना उत्पन्न होगी और अपने इस उद्देश्य में वे सफल भी हुए। उन्होंने देश के नौजवानों के अंदर देश प्रेम जागृत किया, उन्हें देश की आजादी के लिए मरना सिखाया और इस तरह वे देश की आजादी की लड़ाई को शक्तिशाली बनाने में सफल हुए।

सन् 1919 ई. से 1947 ई. तक के क्रांतिकारी आंदोलन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, सचिन्द्रनाथ सान्याल, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वरदत्त, यशपाल, जतिनदास, भगवतीचरण वोहरा,


भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं एवं प्रयत्नों से प्रेरित, विभिन्न राजनैतिक संगठनों द्वारा संचालित अहिंसावादी और सशस्त्र क्रान्तिकारी आंदोलन था, जिनका उद्देश्य, अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड़ से छाड़ फेंकना था। इस आंदोलन का अधिकार 1857 ई. में हुई क्रांति से माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए 1857 ई. से 1947 ई. के राध्य जितने भी प्रयत्न हुए उनमें स्वतंत्रता को संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रणादायी सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों ने विदेशी शासन के अन्याय, अत्याचार तथा निरंकुशता के विरुद्ध क्रांति

दुर्गा भाभी, सूर्य सेन, उधम सिंह इत्यादि ने मुख्य भूमिका निभाई। इन क्रांतिकारियों ने विभिन्न संगठन स्थापित करके निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखा :

1. अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति संगठन खड़ा करना।
2. क्रांति संगठन को पंथनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान करना।
3. समतावादी समाज की स्थापना करना।
4. क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करना।
5. महिला वर्ग को क्रांति संगठन में प्रमुख स्थान प्रदान करना।
6. भारत को स्वतंत्र करवाना।

वर्ष 1919 ई. से 1947 ई. के क्रांतिकारियों को पहले दौर के क्रांतिकारियों ने प्रेता भी थी। ये क्रांतिकारी जलियाँवाला बाग नरसंहार तथा चौरी-चौरा के बाद असहयोग आंदोलन के अचानक अथगन से आक्रोशित हुए तथा इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की राह पकड़ ली, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

जलियाँवाला बाग नरसंहार : 1919 ई. में 'रैलट अधिनियम' के विरुद्ध पंजाब में सबसे अधिक रोष था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीयों से वकील, अधिकारी व दलील का आधिकार छीन लिया गया। इसलिए इस अधिनियम के विरोध में दिल्ली व पंजाब में कई स्थानों पर हड़ताल हुई। इसी कड़ी में बैशाखी के दिन 13 अप्रैल, 1919 ई. को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल जनसभा हुई, जिसमें बीस हजार के आसपास लोग एकत्रित हुए थे। जनगत डायर द्वारा भी गई गोलाबारी से एक हजार से भी अधिक लोग मारे गए और तीन हजार से ज्यादा घायल हुए। निर्दोष लोगों का, जिनमें बच्चे व महिलाएँ भी शामिल थीं, जनसंहार किया गया, जो अमानवीय अत्याचारों का उदाहरण है। ब्रिटिश सरकार में चर्चिल ने इस घटना की तुलना जॉन ऑफ आर्क के जिंदा जला दिए जाने की घटना से की।



चित्र-1 जलियाँवाला बाग नरसंहार का दृश्य

उधम सिंह व भगत सिंह, जो कि उस समय बालक ही थे, इस घटना ने उनको भी झकझोर दिया था। इस नृशंस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई।


असहयोग आंदोलन के स्थगन से युवाओं में निराशा : जलियाँवाला बाग से उत्पन्न आक्रोश के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 1920 ई. में 'असहयोग आंदोलन' आरम्भ किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना था। सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों का त्याग किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। परंतु 1922 ई. की 'चौरी-चौरा' घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया, जिससे उत्साही युवाओं की आशाओं पर पानी फिर गया।

जन आंदोलन की आंधी में उत्साहित होकर जिन युवाओं ने पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी थी, वे अब अनुभव कर रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उनमें से अधिकतर ने राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति पर प्रश्नचिह्न लगाना आरम्भ कर दिया। अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से उनका विश्वास उठने लगा। इनमें से अधिकतर ने अब मान लिया कि केवल हिंसात्मक तरीकों से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्हें केवल अब नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। आंदोलन स्थगित करने के कारण कांग्रेस की साख तेजी से गिरी। सन् 1921 ई. में जहां इनकी सदस्य संख्या लगभग एक लाख थी वहां 1923 ई. तक आते-आते घटकर कुछ लाख ही रह गई। भगत सिंह जैसे असंख्य युवक महात्मा गांधी के एक वर्ष में स्वराज दिलाने का वचन पूरा न होने तथा असहयोग आंदोलन के स्थगन न होश होकर पूरा नगर क्रांतिकारी आंदोलन की राह पर निकल पड़े।

हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ तथा काकोरी की घटना

सबसे पहले उत्तर भारत के कांतिकारियों ने संगठित होना आरम्भ कर दिया। इनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, शचींद्रनाथ सायाल व सुरेश चंद्र भट्टाचार्य थे। अक्टूबर 1924 ई. में इन क्रांतिकारियों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को छोड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र 'संयुक्त राज्य भारत' की स्थापना करना था। संघर्ष छेड़ने, प्रचार करने, युवाओं को अपने दल में मिलाने, प्रशिक्षित करने और हथियार जुटाने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए इस संगठन के 10 व्यक्तियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में शाहजहाँपुर में एक बैठक की और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई।

9 अगस्त, 1925 ई. को लखनऊ जिले के गांव काकोरी के रेलवे स्टेशन से छूटी 8-डाउन सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींच कर रोक लिया व अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट



चित्र-2. काकोरी घटना

लिया। सरकार इस घटना से बहुत कुपित हुई व भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकद्दमा चलाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी व अशफ़ाकुल्लाह खाँ को फाँसी की सजा दी गई। चार को आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद अंत समय तक पकड़े नहीं जा सके।

गतिविधि : काकोरी के शहीदों के जीवन वृत्तांत लिखें तथा काकोरी की घटना को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें।



भगतसिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की शहादत

काकोरी केस के पश्चात् उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को फिर से गंगित करने का बाढ़ा चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, यशपाल, सुखदेव एवं जयचंद्र विगतकार ने पहले से ही “पंजाब नौजवान भारत सभा” के संगठन के अंतर्गत पंजाब में एक सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी थी। कानपुर के विजय कुमार सिन्हा, बटुकेश्वर बन और अजय कुमार धोम, ज्ञांसी के भगवान दास, शिव वर्मा, सदाशिवराव, संयुक्त प्रांत एवं बिहार से जब गोपाल, कुंदनलाल, जमल नाथ तिवारी, महावीर सिंह, राजगुरु ने भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चालू रख दी। इन सबने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करना स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारी गतिविधियाँ अब भारत में तेज होने लगी थीं।

1. **हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ** : 8-9 सितंबर, 1928 ई. को फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में क्रांतिकारियों की भाग दुर्घटना यद्यपि चंद्रशेखर आजाद इसमें भाग नहीं ले सके पर उन्होंने संदेश भिजवाया कि जो कुछ सर्वसम्मति से पारित होगा, उसे वह स्वीकार करेंगे। इस बैठक में इस बात पर एक लंबी बहस हुई कि संगठन का नाम बदला जाए या नहीं क्योंकि कुछ क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और इस क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही सामाजिक-आर्थिक ढांचे में भी पूर्णतः परिवर्तन करना था। इसके परिणामस्वरूप इस संगठन का नाम “हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ” कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद को इस दल का अध्यक्ष चुना गया।



चित्र-3 हिन्दुस्तान समाजवादी
प्रजातंत्र संघ के सदस्य

2. लाला लाजपतराय की शहीदी तथा सांडर्स की हत्या: 30 अक्टूबर, 1928 ई. को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय लाला लाजपतराय पर बर्बर लाठीचार्ज और उसके बाद उनकी मौत ने युवा क्रांतिकारियों को एक बार फिर क्रांति की राह पकड़ने को विवश कर दिया। अतः तय हुआ कि लालाजी की हत्या के जिम्मेदार पुलिस अफसर को मार दिया जाए। हत्या के लिए चार व्यक्ति नियुक्त हुए जिनमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह एवं जय गोपाल शामिल थे। 17 दिसंबर, 1928 ई. की शाम को लगभग 4:00 बजे ये लोग लाहौर पुलिस स्टेशन पहुँच गए, जैसे ही सांडर्स पंजाब सिविल सचिवालय से बाहर निकला, राजगुरु ने सांडर्स पर गोली चला दी, वह नीचे गिर गया। अब भगत सिंह आगे बढ़े तथा कई गोलियां सांडर्स पर चढ़ गईं इसके बाद उन्होंने 'भगत निकलने की कोशिश की, इस पर हेड कास्टेबल चानन सिंह ने उनका पीछा किया। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें चाहते हुए भी उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद 'हिन्दुस्तान अमाजवादी पञ्जांत्र संघ' की तरफ से पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा था, 'लाखों लोगों के चहेत नेता को एक सिफारी द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था। इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था, साडर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्याय व्यवस्था का एक अंग था, जिस नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं।' अंग्रेजी पुलिस चौकन्नी हो गई। भगत सिंह को लाहौर से कतकता पहुँचाने में दुर्गा भाभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दुर्गावती वोहरा भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी इसालए सभी क्रांतिकारी उन्हें 'दुर्गा भाभी' कह कर बुलाते थे।



चित्र-4. साइमन कमीशन का देशव्यापी निराध



चित्र-5. दुर्गा भाभी

3. असेंबली में तम पंक्ते की घटना : कलकत्ता में दुर्गा भाभी के साथ पहुँचे भगत सिंह की भेंट जतिन्द्रनाथ दास से हुई जिससे उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी। कलकत्ता से वापस आकर भगत सिंह व उनके साथियों द्वारा आगरा व दिल्ली में बम बनाने की फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। शिव वर्मा ने सहारनपुर व सुखदेव ने लाहौर में बम फैक्ट्रियाँ स्थापित की। क्रांतिकारियों का अगला मुख्य कार्य केंद्रीय विधान परिषद हाल में बम गिराना था, 8 अप्रैल, 1929 ई. को जब 'सार्वजनिक सुरक्षा'



चित्र-6. भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते हुए

एवं ‘औद्योगिक विवाद बिल’ पर बहस हो रही थी तो दर्शक गैलरी से भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दो बम गिरा दिए। पूरे हाल में धुआं भर गया और भगदड़ मच गई। बम खाली जगह पर गिराए गए ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। दोनों ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। दोनों वहीं खड़े रहे और पर्चे फेंकते रहे, उनमें लिखा था, ‘बहरों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ऊंचा धमाका करना पड़ता है।’ ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो’ के नारे लगाए गए। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारियां दी।

4. भगत सिंह पर मुकदमा : भगत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दिल्ली सेशन कोर्ट में इनका मुकदमा 7 मई, 1929 ई. को आरम्भ हुआ। कोर्ट में उन्होंने संयुक्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने क्रांति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने कहा ‘क्रांति का आधार प्रयोग केवल बम या पिस्टौल का प्रयोग करना नहीं है अपितु क्रांति से हमारा अभिप्राय है कि आधुनिक तांत्रिक जा कि अन्याय पर आधारित है, उसे बदलना।’ इस घटना के बाद लार्ड इर्विन ने असेम्बली के दोनों सदनों में सामूहिक अधिवेशन में कहा कि “‘यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरपर्याणीय व्यवस्था के विरुद्ध था।’” इस बात से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी सरकार अब इन क्रांतिकारियों पर लगी थी।

अदालत में भगत सिंह व उसके साथी क्रांतिकारियों के निर्भीक प्रयानों एवं विद्रोही रुख ने संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षित किया। युवा क्रांतिकारी जो बैणन देते थे, अगले इन वह अखबारों में छपते थे। वे ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’ के नामे लगाते, ‘सरफरोरी की तमन्ना अब हमारे दिल में है’ तथा ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ गाने गुनगुनाते हुए अदालत भै निडर एवं साहस से जाते थे। भगत सिंह का नाम देश के घर-घर में हर व्यक्ति की जुबान पर क्रांति का पर्याय बन गुला था। कांग्रेस की नीति में भी इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रभान्त त्रैये को मिला जब कांग्रेस ने अपने लाहौर वार्षिक अधिवेशन में दिसंबर 1929 ई. में ‘पूर्ण स्वराज’ की मांग की अपना लक्ष्य घोषित किया तथा 26 जनवरी, 1930 ई. को आधी रात रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया। यह सब क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम था।

5. लाहौर की जेल में खड़ताल : जज ने 12 जून, 1929 ई. को भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस बायोपुलिस को क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित बम फैक्ट्रियों का सुराग मिल गया। अतः पुलिस ने दिल्ली, सहारनपुर एवं लाहौर की बम फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। जय गोपाल के सरकारी गवाह बनने से सांडर्स हत्याकांड में भगत सिंह की संलिप्तता का केस आरम्भ हुआ। इसे ‘लाहौर घड़्यंत्र केस’ कहते हैं। इसके बाद उन्हें लाहौर की अदालत में पेश करके उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान इन क्रांतिकारियों ने कोर्ट को क्रांतिकारी दल की नीतियों, उद्देश्यों तथा कार्यक्रम के बारे में बताया। समाचार पत्रों के माध्यम से ये सब खबरें लोगों तक पहुंचने लगी। उन्होंने लगातार बयान देने शुरू किए, जिससे जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। जो अब तक क्रांतिकारियों की निंदा करते थे, अब वे प्रशंसा करने लगे।

इन क्रांतिकारियों ने जेल में मांग की, कि इन्हें साधारण कैदी न मानकर राजनैतिक कैदी माना जाए और वे सभी सुविधाएं दी जाएं जो राजनैतिक कैदियों को दी जाती हैं। इसके लिए उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया। उनकी लोकप्रियता अब और भी बढ़ने लगी। तिरसठवें दिन यतिन दास शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को जब एक विशेष गाड़ी से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया तो रास्ते में कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं था जहां शहीद को श्रद्धांजलि न दी गई हो। पूरा देश इनकी शहादत को प्रणाम कर रहा था। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने सौ से भी अधिक दिनों तक अनशन किया।

गतिविधि : क्रांतिकारियों की भूख हड्डताल एवं
अहिंसावादियों की भूख हड्डताल की तुलना करें।



लाहौर केस का निर्णय : 10 जुलाई, 1929 ई. को गार्डर्स हत्याकांड का मुकदमा आरम्भ हुआ। चौबीस क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाया गया। छः फरार थे, तीन का छोड़ दिया गया था, सात सरकारी गवाह बन गए, शेष आठ पर मुकदमा चला। यह मुकदमा मैजिस्ट्रेट के पास से हटाकर तीन जजों के एक ट्रिब्यूनल के सामने गया। भगत सिंह व उनके साथियों ने मुकदमे को गंभीरता से नहीं लिया। चंद्रशेखर आजाद व अन्य क्रांतिकारियों ने उन्हें छुड़वाने की योजना बनाई परन्तु सफल नहीं हुआ। 7 अक्टूबर, 1930 ई. को रोमाल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह व उनके साथियों को भारतीय डड संहिता की धारा 121, 302, 46, 6 एफ, 120 (बी) के तहत मत्तुदड की सजा सुना दी। फाँसी की सजा रोकने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। मदनमोहन मलवीय ने मानवता के आधार पर इन्हें छोड़ने को अपील की। 5 मार्च, 1931 ई. को 'गांधी-इर्विन समझौता' हुआ। महात्मा गांधी की आलोचना हुई कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फाँसी से नहीं बचाया। अंत में फाँसी की तारीख निश्चित हुई। 23 मार्च, 1931 ई. को शाम 7:00 बजे इन तीनों को फाँसी दे दी गई। जनता के विरोध के डर से सतलुज नदी के किनारे चोरी-छिपे इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस दिन को हम 'शहीदी दिवस' के रूप में मनाते हैं, जो हमें इनके साहस व बलिदानों की याद दिलाता है। भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 'भगत सिंह जिंदाबाद व इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है।'



चित्र-7. दि ट्रिब्यून अखबार में छपी फाँसी की खबर

चटगाँव शस्त्रागार की घटना

बंगाल के क्रांतिकारी 'युगान्तर' एवं 'अनुशीलन समिति' जैसे क्रांतिकारी संगठनों के अन्तर्गत सक्रिय थे, 1924 ई. में गोपीनाथ साहा ने पुलिस कमिशनर टेगार्ट की हत्या का असफल प्रयास किया। उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में शिथिलता आ गई। 1930 ई. के प्रारंभ में सूर्यसेन (मास्टर दा) ने पुनः क्रांतिकारी आंदोलन को सक्रिय किया। भारतीय क्रांतिकारी सूर्यसेन ने चटगाँव (बंगाल प्रेसीडेंसी, अब बांग्लादेश में) में पुलिस व सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मार कर लूटने की योजना बनाई। 18 अप्रैल, 1930 ई. को रात 10 बजे योजना क्रियान्वित की गई। गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। भारतीय रिपब्लिकन सेना, चटगाँव शाखा के नाम पर किए गए इस हमले में करीब 65 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके पीछे सूर्यसेन का मुख्य उद्देश्य मुख्य शस्त्रागार लूटने, टेलीग्राफ एवं टेलिफोन कार्यालय को नष्ट करने और यूरोपीय क्लब के सदस्यों, जिसमें से अंग्रेजों का सरकारी या रैन्य अधिकारी थे, उन्हें बंधक बनाने की योजना थी। क्रांतिकारी गोला बारूद का पता लगाने में असफल रहे। परन्तु उसी रात उन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक अमर्णाथी क्रांतिकारी सरकारी घोषणा की और जल्दी ही चटगाँव छोड़ दिया। बाद में 16 फरवरी, 1933 ई. के सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 12 जनवरी, 1934 ई. को उन्हें फांसी दे दी गई।

चन्द्रशेखर आजाद एवं उधम सिंह की शहीदी

भगत सिंह की गिरफ्तारी के कानून चन्द्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियाँ जारी रखीं। पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ लिया, परं उनको ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई जारी रही। फरवरी 1931 ई. में एक



चित्र-8. अल्फ्रेड पार्क, चन्द्रशेखर आजाद की मृत्यु के समय लिया गया चित्र

आंदोलन कमजोर पड़ने लगे। 1932 ई. के अंत तक उत्तर भारत व 1934 ई. के अंत तक बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन में शिथिलता आ गई। लेकिन एक क्रांतिकारी 21 वर्षों से अपने दिल में क्रांति की ज्वाला दबाए बैठा था, वो था उधम सिंह। उधम



चित्र-9. उधम सिंह

सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने की शपथ ली तथा 1934 ई. में लंदन पहुंच गए। 13 मार्च, 1940 ई. को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक समारोह में माइकल ओ ड्वायर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उधमसिंह ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन पर मुकदमा चला तथा 31 जुलाई, 1940 ई. को उन्हें पैटनविले जेल में फांसी दे दी गई। शहीद उधम सिंह की अस्थियाँ 1974 ई. में भारत लाई गई।

नौसेना का आंदोलन

प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर पार्टी व अन्य क्रांतिकारियों ने तुर्की व जर्मनी की सहायता। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेनी चाही थी परन्तु वे सफल नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध (1939 ई.–1945 ई.) में इती प्रकार के प्रयास, नेता सुभाष चंद्र बोस ने किए। सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फैज के विलक्षण कार्यों का भारतीय जनता पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने 'आजाद हिंद फैज' के कबूल अफसरों के विरुद्ध ब्रिटिश शासन की वफादारी की शपथ तोड़ने और विश्वासघात करने का आरोप में मुकदमा चलाने की घोषणा की तो राष्ट्रवादी विरोध की लहर सारे देश में फैल गई। सर वसंत विशाल प्रदर्शन हुए। ब्रिटिश सरकार को एहसास होने लगा कि अब भारतीय सेना पर भी उनकी पकड़ के जार होती जा रही है।

'आजाद हिंद फैज' के आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर तथा सेना पर भी पड़ा। सन् 1946 ई. में सेना में अशांति फैलने लगी थी। शाही नौसेना में आंदोलन की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला कर रख दी। इस आंदोलन की स्वतः स्फूर्त शुरुआत 18 फरवरी, 1946 ई. को नौसेना के सिगनल्स प्रशिक्षण गेट 'आई.एन.एस. तवार' से हुई। नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत करने पर अंग्रेज कमान अफसरों ने नस्ती अपमान आ एतिशोध का रखया अपनाया। वे सीधे तंर पर भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था "‘भिखारियों को चुनने की छूट नहीं हो सकती।' नाविकों ने भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल अगले दिन कैम्पल, फार्ट बैरेकों और बम्बई बन्दरगाह के 22 जहाजों तक फैल गई। यद्यपि यह बम्बई में आरम्भ हुआ परन्तु कराची से लेकर कलकत्ता तक पूरे ब्रिटिश भारत में इसे भरपूर समर्थन मिला। चित्र-10. 1946 ई. का नौसेना आंदोलन क्रांतिकारी नाविकों ने जहाज पर से यूनियन जैक के झण्डों को हटाकर वहां पर तिरंगा फहरा दिया। कुल मिलाकर 78 जलयानों, 20 स्थलीय ठिकानों एवं 20,000 नाविकों ने इसमें भाग लिया। जनवरी 1946 ई. में वायुसैनिकों ने भी बम्बई में हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें थीं कि हवाई सेना में अंग्रेजों और भारतीयों में भेदभाव दूर किया जाए। भारतीयों में चेतना आ चुकी थी और वह हर क्षेत्र में बराबरी की मांग कर रहे थे। चारों ओर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अशांति का माहौल पैदा हो रहा था।



इनके नारे थे 'जय हिंद', 'इंकलाब जिंदाबाद', 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो।' भारतीय नौसेना के सशस्त्र आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थिति को ज्वालामुखी के समान बना दिया था जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। अब ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह गया था। इस प्रकार आजाद हिंद फौज व नौसेना के आंदोलन ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।


‘शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मिटने वालों का, यही बाकी निशां होगा।’

क्रांतिकारियों के साहस, देशप्रेम व बलिदानों ने न केवल हमें आजादी दिलाई बल्कि नौजवानों के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल भी बनें। इतिहास हमेशा उन्हें नमन करता रहेगा आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने बड़ा त्याग किया। सत्याग्रह आंदोलनों व अहिंसक गतिविधियों के माध्यम साथ इनके बलिदानों को भी नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय आजाद हिंद फौज के रघंर्ष तथा नौसेना के आंदोलन के पश्चात सेना में उत्पन्न हुए आक्रोश के कारण ही लिया।

भारत के वीर क्रांतिकारी



भगत सिंह



राजगुरु



सुखदेव



रामप्रसाद बिस्मिल



अशफाकुल्लाह खान

यादगार स्मारक



जलियांवाला बाग स्मारक



चंद्रशेखर आजाद स्मारक नौसेना विद्रोह स्मारक

निम्नलिखित नारा / कथन किस क्रांतिकारी नेता का है, उनका नाम बताएं।

1. 'इंकलाब जिंदाबाद'
2. 'भगतसिंह जिंदाबाद व इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है'
3. 'बहरों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ऊंचा धमाका करना पड़ता है'
4. 'दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे।'

तिथिक्रम

1. हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का कानपुर में गठन 1924 ई.
2. काकोरी की घटना 9 अगस्त, 1925 ई.
3. सांडर्स की हत्या 17 दिसम्बर, 1928 ई.
4. केंद्रीय असेम्बली में धमाका 8 अप्रैल, 1929 ई.
5. चटगाँव शस्त्रागार पर हमला 18 अप्रैल, 1930 ई.
6. चन्द्रशेखर आजाद की शहीदी 27 फरवरी, 1931 ई.
7. सूर्यसेन की गिरफ्तारी 16 फरवरी, 1933 ई.
8. क्रांतिकारी सूर्यसेन की शहीदी 12 जनवरी, 1934 ई.
9. उधम सिंह की शहीदी 31 जुलाई, 1940 ई.
10. नौसेना का सशस्त्र आंदोलन 1946 ई.

1

खाली स्थान भरें :

1. काकोरी टीने घटना ने नेतृत्व में हुई।
2. मगतसिंह पर मुकदमा ई. को शुरू हुआ।
3. नौसेना का आंदोलन ई. में हुआ।
4. को शहीदी दिवस मनाया जाता है।
5. चटगाँव घटना का नेतृत्व ने किया।

2

सही व गलत की पहचान करें :

1. चौरी-चौरा की हिंसक घटना 5 फरवरी, 1922 को हुई।
2. काकोरी घटना में अशफ़ाकुल्लाह खान शामिल थे।
3. काकोरी में 8 डाऊन सहारनपुर-लखनऊ पैसेन्जर ट्रेन को लूट के लिए रोका गया।

4. भगत सिंह व उनके साथियों की भूख हड़ताल केवल बीस दिन चली।
5. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च, 1931 ई. को फांसी दी गई।

3 फिर से जानें :

1. काकोरी घटना 9 अगस्त, 1925 ई. में हुई।
2. साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में नेता लाला लाजपतराय द्वारा किया गया।
3. गांधी-इर्विन समझौता मार्च 1931 ई. को हुआ।
4. चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया।
5. शाही नौसेना का सशस्त्र संघर्ष आई.एन.एस. तत्त्वागर जहाजी पात पर हुआ।

4 आइये विचार करें :


1. काकोरी की घटना पर विस्तार से चर्चा करें। इसका परिणाम क्या रहा?
2. नौजवान सभा क्या थी? इसके क्रांतिकारी गवर्नर्स के नाम बताते हुए इनके कार्यों व उद्देश्यों पर चर्चा करें।
3. “हिंदुसातन प्रजातंत्र संघ” का गठन कब व किसने किया? इसका काकोरी घटना से कैसे पर्याप्त सीधा संबंध था?
4. शाही नौसेना के आगेला पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसका महत्व बताइये।
5. भगत सिंह, दंदशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल की भारत की आजादी में क्या भूमिका रही?
6. सूर्यसेन की क्रांतिकारी आंदोलन में क्या भूमिका थी?

5 आओ करके देखें :

1. 1919 ई. से 1947 ई. तक के क्रांतिकारियों को चित्र एकत्रित करके एक कोलाज बनाएं तथा सभी के नाम सूचीबद्ध करें।

6

मानचित्र कार्य :



महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष

आओ सीखें

पिछले अध्यायों में हमने भारत में राष्ट्रीय चेतना के तत्त्वों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी, राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी पक्षों का अध्ययन किया है। प्रस्तुत अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन करेंगे :

- महात्मा गांधी के प्रारंभिक सत्याग्रह
- खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन
- दांडी यात्रा व सविनय अवज्ञा आंदोलन
- सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता
- हरिजन यात्रा
- व्यक्तिगत सत्याग्रह
- भारत छोड़ो आंदोलन
- राष्ट्रीय भाषा एवं लोक सेवा संघ



चित्र-1. राजधाट



चित्र-2. भारतीय मुद्रा

मानव अपने सहपात्रों एवं अध्यापकों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर दिल्ली गया, वहाँ अध्यापकों ने विद्यार्थियों को राजधाट की समाधि दिखाई।

मानव (सामाजिक चिज्जन के अध्यापक से) : श्रीमान जी! यह तो मोहनदास करमचंद गांधी की समाधि है।

अध्यापक: हाँ मानव, यह महात्मा गांधी की समाधि है।

मानव: मैंने गांधी जी की बहुत सारी मूर्तियाँ देखी हैं, उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं तथा उनका चित्र भारतीय मुद्रा पर भी छपा होता है। ऐसा क्यों?

अध्यापक: आओ तुम्हें मोहनदास करमचंद गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान की गाथा सुनाते हैं।

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जब भारतीयों में असंतोष की लहर काफी तीव्र हो गई तो ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझ आ गया कि जल्द ही भारतीयों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें कुछ संवैधानिक सुधार लागू करने होंगे। जब स्थिति काफी बिगड़ गई तो भारत सचिव मान्टेग्यू ने 20 अगस्त, 1917 ई. को भारत के भविष्य के बारे में एक घोषणा की जिसके आधार पर 1919 ई. का ‘भारत सरकार अधिनियम’ अथवा ‘मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम’ पास किया गया। 1919 ई. के एकट के द्वारा किए गए सुधार भारतीयों को सन्तुष्ट न कर सके क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अपनी स्वामीभक्ति बलिदान व वीरता का असाधारण प्रमाण दिया, परन्तु इस एकट ने उनकी आशा को निराशा में बदल दिया। इस समय तक भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हो चुका था। उन्होंने स्वतंत्रता पर्वष को एक नया माड़ देने में रचनात्मक भूमिका निभाई। 1917 ई. से 1947 ई. तक भारतीय राजनीति का बागडोरा नहाना गांधी के हाथ में रही। प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय राजनीति में एक नए युग के आरंभ हुआ, जिसे ‘गांधी युग’ भी कहा जा सकता है। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम का पथ प्रदर्शन किया बल्कि उहाँने राष्ट्रीय आंदोलन को नवीन दर्शनिक आधार भी प्रदान किया। प्रथम विश्वयुद्ध तक भारत का नेतृत्व संवैधानिक तरीके के अनुसार चलने वाले राजनीतिज्ञों के हाथ में था। उसमें अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। गांधी युग के प्रारंभ होते ही यह राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया। सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग ने जनता में नया उत्साह और स्फूर्ति का संचार किया।



चित्र-3. महात्मा गांधी

प्रारंभिक जीवन

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थी, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले

गए और वहाँ से वकील बनकर लौटे। इसके पश्चात् वे एक फर्म के कानूनी सलाहकार बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ रह रहे भारतीयों की दयनीय दशा देखकर उनको बहुत दुःख हुआ। उन्होंने लोगों को संगठित करके दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाया और सरकार को विवश होकर लोगों पर से प्रतिबंध हटाने पड़े।

गांधी जी 1915 ई. में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनके विचार में अहिंसा कायर लोगों का नहीं अपितु वीर व शक्तिशाली लोगों का हथियार है। गांधी जी ने सत्याग्रह को बुराइयों का सामना करने के लिए रामबाण बताया। गांधी जी दूआचूत के कद्रु लिरोधी थे। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, मदिरापान, गोहत्या के विरुद्ध प्रचार किया।



1 प्र-4. चरखे के सवारी गांधी जी

सत्याग्रह अथवा सत्य के लिए अग्रह करना। सत्य अथवा न्यायपूर्ण धर्म का स्थापना के लिए शांतिपूर्वक हठ करने की क्रिया।

उनके अनुसार पवित्र एवं महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए उसलिए उन्होंने सत्याग्रह का विशेष रूप से प्रयोग किया।

गांधी जी स्वदेशी के महात्व को समझते थे इसलिए उन्होंने स्वयं इसकी पालना करते हुए अपने अनुयायियों को खादी के वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया।

गतिविधि : अपने घर में प्रयोग होने वाली स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुओं की अलग-अलग सूची बनाओ।



महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभिक सत्याग्रह

चंपारन : सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1917 ई. में बिहार के चंपारन जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिकों द्वारा अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया। चंपारन के अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा परंतु उन्होंने उनके आदेश की अवहेलना की। अंत में सरकारी अधिकारियों को उनकी मांगों के समक्ष झुकना पड़ा। बाद में सरकार ने किसानों की समस्याओं की जाँच-पड़ताल के लिए एक कमेटी गठित की जिसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे। यह भारत में सत्याग्रह की प्रथम जीत थी।



चित्र-5. धर्मशाला जहाँ से चंपारन आंदोलन चलाया गया

खेड़ा : गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें तबाह हो गई तथा भुखमरी वा ग्राघरि उत्पन्न हो गई। महात्मा गांधी ने किसानों की सहायता करने का निश्चय किया तथा सरकार को इस प्रार्थना पत्र भेजा कि कुछ समय तक किसानों से भूमि कर को स्थगित किया जाए परंतु सरकार ने इस अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन वा स्पाचर पूरे देश परे कैल गया। अंततः सरकार व किसानों में एक समझौते के द्वारा समाधान हो गया। ‘खेड़ा का नघर्ष’ भारत की जनता में जागृति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

अहमदाबाद : 1918 ई. में अहमदाबाद के बिल मालिकों वा मजदूरों के बीच वेतन वृद्धि को लेकर झगड़ा हो गया। मजदूरों ने हड़ताल कर दी और महात्मा गांधी ने मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह किया। अंततः मिल मालिकों को मजदूरों की मांग जननी गड़ी और उनका वेतन में 35 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई।

रैलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह

प्रथम महायुद्ध के समय पारित किया गया ‘भारतीय सुरक्षा अधिनियम’ 31 मार्च, 1919 ई. को समाप्त होना था। इसलिए सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अन्य कोई कानून बनाने का निश्चय किया। फरवरी 1919 ई. में कर्नाटक गोधान सभा में दो बिल पेश किए गए। इन बिलों के द्वारा नौकरशाही को क्रांतिकारी गतिविधियां दबाने के लिए असीम शक्तियाँ दी गई थीं। महात्मा गांधी ने वायसराय से इन बिलों को पास न करने की प्रार्थना की परंतु विरोध के बावजूद इनमें से एक बिल को पास कर दिया गया जिसे ‘रैलट एक्ट’ का नाम दिया गया।

महात्मा गांधी ने 30 मार्च, 1919 ई. को रैलट एक्ट के विरोध में और देशव्यापी हड़ताल करने की अपील की। बाद में यह तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई परंतु दिल्ली जैसे शहरों में दोनों दिन हड़ताल हुई। इस सत्याग्रह आंदोलन में हिंदू-मुसलमान दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी की अहिंसा की अपील के बावजूद पंजाब व दिल्ली के कुछ इलाकों में गड़बड़ी हुई। गांधी जी ने उन इलाकों में जाना चाहा परंतु इससे पहले ही

पलवल के स्टेशन पर उन्हें बंदी बना लिया गया।

काला कानून : रैलट एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर, बिना उस पर मुकद्दमा चलाए जेल में डाल सकती थी और उसे वकील, दलील और अपील का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। बिल के विरुद्ध लोगों में बहुत रोष था। लोगों ने इसे 'काला कानून' कहकर संबोधित किया।

महात्मा गांधी को बंदी बनाए जाने की सूचना भारतवर्ष में आग की तरह फैल गई। परिणामस्वरूप दिल्ली में तथा पंजाब के कई क्षेत्रों में गड़बड़ी हुई। कई नगरों में पुलिस और जनता के बीच झगड़े हुए। इस बिगड़ती हुई स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाने का आदेश दिया, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। लोगों ने हड़तालों व प्रदर्शनों का सहारा लेकर अपने नेताओं की रिहाई की मांग की परंतु सरकार ने लोगों को पिंट-बिंट करने के लिए उन पर गोलियां चला दी जिसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए और घायल हुए। इससे नगरवासी भड़क उठे और उन्होंने क्रोधित होकर कई बैंकों, गोदामों को लूट लिया और अगला दी। इस अवश्य में सरकार ने सेना को बुला लिया और अमृतसर नगर को बिग्रेडियर जनरल डॉय कर लौट दिया।

हजारों लोग बैशाखी के उपलक्ष्य में हरमन्दिर साहिब आए हुए थे। हरमन्दिर साहिब के पास ही जलियाँवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में एक सार्वजनिक राभा हो रही थी। लोगों की भारी भीड़ वहां एकत्रित हो गई थी। जनरल डायर ने लोगों को सबक रिखने के लिए बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। इस असंहार में मरने वालों की संख्या लगभग एक हजार और घायल होने वालों की संख्या तीन हजार थी। जलियाँवाला बाग असंहार राष्ट्रीय आंदोलन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस असंहार का समाचार मिलते ही पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और अधिक रोष फैल गया। समस्त देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावनाएँ प्रबल हो गई।

खिलाफत आंदोलन

भारत के कुछ मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता मानते थे। इस नाते उनकी खलीफा के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। प्रथम विश्वयुद्ध में पराजित तुर्की के खलीफा के साथ न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त दबाव बनाने के लिए इन मुसलमानों ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वह 'खिलाफत आंदोलन' कहलाता है।

शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद व हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन करके 24 नवंबर, 1919 ई. को एक 'अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग की सलाह दी।

उन्होंने हिंदुओं को भी आदेश दिया कि वह तन, मन, धन से भारत के मुसलमानों का इस आंदोलन में साथ दें। 31 अगस्त, 1920 ई. को खिलाफत कमेटी के निर्णय के अनुसार असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया गया।

खिलाफत आंदोलन द्वारा सांप्रदायिकता उभारे जाने के कारण दक्षिणी भारत में मालाबार में मोपलाओं द्वारा दंगे हुए। खिलाफत जैसे सांप्रदायिक विषय को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने के परिणामस्वरूप भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई।

मोपला : मालाबार क्षेत्र की मुस्लिम जाति

जिस समय भारत के मुसलमान तुर्की के खिलाफा की खिलाफत की सुरक्षा के लिए आंदोलनरत थे, उसी दौरान तुर्की के कमालपाशा जैसे आधुनिक मुस्लिम खिलाफत के अंत की योजना बना रहे थे। अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा को 'आधुनिक तुर्की जा निर्माता' कहा गया है। साम्राज्यवादी शासन एवं खिलाफत प्रश्न का अंत कर वहाँ नई सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था कायम करना का जो क्रातिकारी कार्य कमाल पाशा ने किया, उस ऐतिहासिक कार्य ने उनके नाम को सार्थक पिछ़ कर दिया था। उनके विशेष प्रयासों से ही तुर्क जाति आधुनिक जाति बनी। कमाल पाशा ने तुर्की चित्र-6. कमालपाशा को 'पंथ निरपेक्ष राष्ट्र' घोषित करके आधुनिक रूप से शिशिर रखा तथा पुराने रीति रिवाजों को ही नहीं, बहुविवाह एवं बुर्के आदि को भी समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने इस्लामी कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर एक नई संहिता स्थापित की। जिसमें स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली के संविधान की सब अच्छी बातें शामिल थीं।



गतिविधि : तुर्की के कमालपाशा पर अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके एक निबन्ध लिखें तथा तत्कालीन भारतीय प्रसिद्ध नेताओं से उनकी तुलना करें।



असहयोग आंदोलन

पिछले 35 वर्षों (1885 ई. से 1920 ई. तक) से कांग्रेस जिस नीति पर चल रही थी, उसमें 1919 ई. की निम्नलिखित घटनाओं ने महान परिवर्तन कर दिया जैसे :

- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखा।
- रौलट एक्ट।
- जलियाँवाला बाग हत्याकांड।

- मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरूआत।

इन सब परिस्थितियों में सितंबर 1920 ई. में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जो बहुमत से पास हो गया। यहाँ से कांग्रेस का एक नया इतिहास शुरू होता है। दिसंबर 1920 ई. में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस निर्णय की पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस ने अपना उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में रहकर या इससे बाहर होकर स्वराज प्राप्त करना, पंजाब में किए जा रहे अत्याचार एवं अनुचित कार्यों का विरोध करना और हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत करना रखा। यह निर्णय भी लिया गया कि कांग्रेस अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल कर सकती है।

आंदोलन के कार्यक्रम

- सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार।
- सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को त्यागना।
- सरकारी दरबारों तथा उत्सवों में सम्मिलित न होना।
- सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना।
- पंचायतों की स्थापना करना।
- विदेशी माल का बहिष्कार करना और उसके स्थान पर स्वदेशी माल का प्रयोग करना।
- 1919 ई. के एक्ट के अनुसार होने वाले चुनावों में भाग न लेना।
- सैनिकों, कलर्कों और प्रशिकों द्वारा विदेश में न करना।
- हिंदू-मुस्लिम एकता पर बहु देना व अहिंसा का मार्ग पर चलना।

कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हुए महात्मा गांधी ने कहा कि ‘इस कार्यक्रम को यदि पूरा कर दिया जाए तो स्वराज एक वर्ष के बीतर ही मिल जाएगा।’



चित्र-7. सभा संबोधित करते महात्मा गांधी

असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने स्वयं किया। उन्होंने भारत सरकार के सभी मेडल व पुरस्कार लौटा दिए जो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सरकार की सहायता करके प्राप्त किए थे। उन्होंने सरकार द्वारा दी गई ‘केसर-ए-हिंद’ की उपाधि भी वापस कर दी। इनका अनुसरण करते हुए सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी उपाधियाँ व पदवियाँ छोड़ दी। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए एक ‘तिलक स्वराज फंड’ बनाया गया। नई-नई राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया गया। बहुत से छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया और वे राष्ट्रीय संस्थाओं में भर्ती हो गए।

जब इंग्लैंड का युवराज भारत आया तो उसका स्वागत बहिष्कार व हड़तालों के साथ किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के

लाला लाजपतराय,
 सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू,
 सरदार पटेल और राजेंद्र
 प्रसाद जैसे प्रसिद्ध वकीलों
 ने अपनी वकालत छोड़ दी।

लिए दमन चक्र का सहारा लिया। बड़े-बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया। लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार किए गए। कांग्रेस व खिलाफत कमेटी को गैर कानूनी घोषित किया गया। सरकार के अत्याचारों व दमनचक्र के कारण यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक न रह सका और कई स्थानों पर आम जनता की पुलिस के साथ झड़पें होनी शुरू हो गई। कुछ ही महीनों में कैद किए हुए लोगों की संख्या तीस हजार के पार हो गई। सरकार ने इस आंदोलन को जितना दबाया, यह आंदोलन उतना ही जोर पकड़ता चला गया।

कार्यक्रम के अनुसार विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़े के स्थान पर खादी को अपनाया गया और चरखे का प्रचलन बढ़ गया। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों के सामने धरने दिए गए।

5 फरवरी, 1922 ई. को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ‘चौरी-चौरा’ के स्थान पर लोगों की उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के उकसाने पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जल कर मर गए। महात्मा गांधी को इस घटना से बहुत दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया।



चित्र-8. चौरी-चौरा हिंसा

असहयोग आंदोलन का महत्व यह आंदोलन राष्ट्रीय आदालत के इतिहास में महत्वपूर्ण कदम था। इस आंदोलन में हिंदुओं, मुसलमानों, शिथित व अशिथित लोगों, अध्यापकों व छात्रों, पुरुषों और स्त्रियों ने भाग लिया। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया। अब लोगों के मन में से सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने व जेल जाने का भय समाप्त हो गया। लोगों में सरकार से सीधी टक्कर लेने का जोश उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ देश के ऊंचर कई नए रचनात्मक कार्य भी हुए जैसे-राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व लोगों को रोजगार प्राप्त करना। लोग देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो गए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक साल में स्वराज के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा। 1922 ई.-1929 ई. के बीच एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ घटी जिसके कारण फिर से एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई और एक बार फिर गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतवासी एक नए आंदोलन में भाग लेने के लिए कूद पड़े।

साइमन कमीशन का विरोध : सरकार ने 1927 ई. में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर भारतीय प्रशासन की जाँच तथा उसमें आवश्यक सुधार की सिफारिश करनी चाही। इसलिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक

कमीशन की नियुक्ति की गई। सरकार का यह कहना था कि वह भारतीय प्रशासन में सुधार लाना चाहती थी परंतु इस कमीशन के संबंध में सबसे अनुचित बात यह थी कि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे जिन्हें भारतीय समस्याओं का थोड़ा-सा भी अनुभव नहीं था। ऐसे में भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध करने का निश्चय किया। सभी नेताओं ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। स्थान-स्थान पर काले बिल्ले लगाकर, हड़तालों व ‘साइमन वापस जाओ’ के नारों से साइमन का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों को छिन्न-भिन्न करने के लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीयों पर लाठियाँ बरसाई जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई जिससे राष्ट्रीय आंदोलन काफी तीव्र हो गया।

पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव : जब देशभर में युवा क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने लगे तो कांग्रेस के भीतर भी सुभाष चन्द्र बोस जैसे युवाओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जीवन से उठाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ही लाहौर अधिवेशन (1929 ई.) में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करके अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता रखा। 26 जनवरी, 1930 ई. को देशभर में ‘पूर्ण स्वतंत्रता दिवस’ मनाया गया तथा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की योजना बनानी शुरू कर दी।

दांडी यात्रा : सविनय अवज्ञा आंदोलन का परंभ 12 मार्च, 1930 ई. को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से किया। परंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया परंतु धीरे-धीरे मार्ग में सैकड़ों लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। 24 दिन के पश्चात् 6 अप्रैल, 1930 ई. तो महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र से पानी से नमक तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया। उनका यह काय इस बात का प्रतीक था कि सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाए।

- 1) देश के सभी लोग नमक बणें।
- 2) विद्यार्थी सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करें।
- 3) शराब की दुकानों के समक्ष धरने दिए जाएं।
- 4) स्वदेशी का इस्तेमाल करके विदेशी का बहिष्कार किया जाए।
- 5) सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग व करन दिया जाए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन शीघ्र ही सारे देश में फैल गया। जनता ने इसके प्रति बहुत उत्साह दिखाया। प्रत्येक संभव स्थान पर नमक बनाया गया अथवा अन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया। सरोजिनी नायडू ने धरासना में तथा चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य ने वेदारण्यम में ‘नमक सत्याग्रह’ किया। इसी तरह से डॉ. केशवराव बलिराम



चित्र-9. दांडी में नमक कानून तोड़ते हुए

हेडगेवार ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी करते हुए यवतमाल में जंगल सत्याग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 9 महीने के कारावास का दंड सुनाया गया।

खुदाई खिदमतगार : इस संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफकार खान (बादशाह खान) ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में की। हजारों की संख्या में पछ्तून लाल कुर्ती पहनकर इसमें शामिल हुए तथा उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अब्दुल गफकार खान जिन्हें ‘सीमांत गांधी’ भी कहा जाता है। उनके गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया। बादशाह खान मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोधी थे। आजादी के बाद हुए विभाजन में उनके उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत को पाकिस्तान को देने का उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि ‘कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है।’



चित्र-10. वेदारण्यम सत्याग्रह



चित्र-11. गांधी एवं बादशाह खान

पञ्चून : पञ्चूनिस्तान (पेशावर के अप-शास का क्षेत्र) के पठानों के लिए प्रयुक्त शब्द।

सरकारी दमन : ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के कुछ समय के बाद ही गांधी जी को बंदी बना लिया और अपनी पुरानी दमन-नीति का सहारा लिया। लगभग साठ हजार लोगों को पकड़ कर जेलों में ठूंस दिया गया। कर न देने वालों की संपत्ति जब्त कर रहा रहा। सरकार ने दमन चक्र के बावजूद आंदोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। अंततः स्थिति पर नियंत्रण मने के लिए सरकार ने लंदन में ‘प्रथम गोलमेज सम्मेलन’ बुलाने का निश्चय किया। 12 नवंबर, 1930 ई. के दिन सम्मेलन खारें हुआ। इसमें लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया परंतु कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था, इसलिए कांग्रेस की अनुपस्थिति में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया।

गांधी-इर्विन समझौता : सरकार ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए कहा और कांग्रेस के सभी नेताओं को 26 जनवरी, 1931 ई. के दिन बिना शर्त रिहा कर दिया। तत्पश्चात् 5 मार्च, 1931 ई. के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इर्विन व गांधी के मध्य एक समझौता हो गया जिसे ‘गांधी-इर्विन पैक्ट’ कहा जाता है। इसके अनुसार यह तय किया गया कि सरकार सभी राजनीतिक अध्यादेश व मुकद्दमें वापस लेगी। इसके जवाब में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना सुनिश्चित किया।

आंदोलन का दूसरा चरण : गांधी-इर्विन समझौते के अनुसार गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए परंतु पहले सम्मेलन की भाँति इस सम्मेलन में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए

गांधी जी निराशापूर्ण स्थिति में वापस आ गए। सरकार गांधी जी की अनुपस्थिति में आंदोलन के प्रति दमन-चक्र तेज कर चुकी थी। गांधी जी ने आंदोलन को पुनः आरंभ करने की घोषणा की तो सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस दमनात्मक कार्यवाही के चलते देश के प्रत्येक हिस्से में इस निर्णय की आलोचना की गई।



साम्प्रदायिक पंचाट और पूना समझौता

दूसरे गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक प्रश्न पर भारतीय नेताओं में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो सका। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से इस सम्बन्ध में फैसला किया, जिसे 'साम्प्रदायिक पंचाट' कहा जाता है। इसमें मुसलमान, सिक्ख और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गयी। अछूतों को हिन्दुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में स्त्रियों को तीन प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये गये। यह निर्णय साम्प्रदायिक समस्या के सामाधान के लिए नहीं वरन् साम्प्रदायिक मतभेदों को ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए प्रयुक्त करने की एक गहरी चाल थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि यह भारतीय एकता के लिए हानिकारक था। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन आरम्भ कर दिया जिससे सारे देश में हलचल मच गई। कुछ नेताओं ने प्रयत्नों से गांधी जी के डॉ. अम्बेडकर के बीच समझौता का गया जिनका 'पूना समझौता' कहा जाता है। इसके अनुसार साम्प्रदायिक निर्णय में कुछ आवश्यक संगोष्ठन किए गए।

गांधी जी के आमरण व्रत के समाप्त होने के पश्चात् भी आंदोलन की गतिविधियाँ जारी रही। इसी बीच सरकार ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया, परंतु कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में कुछ निर्णय अवश्य किये गए परंतु वास्तविक माँगों की पूर्णतः उपेक्षा की गई। गांधी जी ने जुलाई 1933 ई. को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। यह आंदोलन तो समाप्त हो गया परंतु अंग्रेजों को एक बात निश्चित रूप से पता चल गई थी कि समुद्र में आया तूफान शांत तो अवश्य हो गया है लेकिन यह फिर कभी भी उभर सकता है।

हरिजन : अछूतों और दलितों के लिए गांधी जी द्वारा प्रयोग किया गया शब्द

हरिजन यात्रा : पूना समझौते के बाद गांधी जी छुआछूत निवारण में जुट गये। 1933 ई.-1934 ई. में उन्होंने

तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडोनाल्ड ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए 16 अगस्त, 1932 ई. को 'साम्प्रदायिक निर्णय' की घोषणा कर दी। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का शेष हिंदुओं से अलग करना था।




चित्र-12. पूना समझौता

इसके लिए 20 हजार कि.मी. की हरिजन यात्रा की तथा दो बार अनशन भी किया। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘या तो वे छुआछूत को समाप्त करें या मुझे अपने बीच से हटा दें।’ गांधी जी ने मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का मामला उठाया। इस प्रकार उनकी हरिजन यात्रा से छुआछूत में कमी आई तथा राष्ट्रीयता की भावना गाँव-गाँव एवं जन-जन तक पहुँची।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

1939 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। भारतीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत चुने हुए सत्याग्रही को एक-एक कल्क सार्वजनिक स्थानों पर युद्ध के खिलाफ भाषण देकर गिरनारा देनी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर, 1940 ई. जी शुरू किया गया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जिन्हें 3 महीने का सजा हुई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त शेसर सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30000 लोगों ने भाग लिया।



चित्र-13. गांधी एवं विनोबा भावे


भारत छोड़ो आंदोलन

क्रिप्स मिशन (1942 ई.) का असफलता से भारतीयों में निराशा की लहर फैल गई। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू किए जाने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता व जापान की बढ़ती हुई शक्ति थी। क्रिप्स मिशन के सुझावों में ब्रिटिश सरकार की भारतीया को स्वराज देने की नीति स्पष्ट नहीं थी। जापान की बढ़ती हुई शक्ति से ब्रिटिश सरकार चिंतित थी कि भारतीयों के सहयोग के बिना वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय की तरफ सोच थी कि वे स्वयं जापान का मुकाबला करें इसलिए वे जापान के आक्रमण से पहले ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने जनता से निष्क्रियता की भावना को दूर करने के लिए ‘अंग्रेजो भारत छोड़ो’ का नारा दिया, ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से तंग आकर कांग्रेस ने 8 अगस्त, 1942 ई. को बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। इसके अनुसार यह मांग की गई कि अंग्रेजों को तुरंत बिना शर्त भारत छोड़ देना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभि सीतारमैया आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस

खबर से भारतीयों में रोष की भावना प्रबल हो गई। मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांतों के लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए।

करो या मरो: गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए कहा कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं उन्होंने 'करो या मरो' का नारा देते हुए कहा 'एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी हर सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं वह मंत्र है 'करो या मरो', या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे।'

जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में वकीलों, अध्यापकों, व्यापारियों, डॉक्टरों, प्रकारों, मजदूरों, विद्यार्थियों व स्त्रियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विभिन्न नगरों में सभाएँ का गई एवं जुलूस निकले गए। लोगों ने हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया। कई सरकारी भवनों व पुलिस थानों को जला दिया गया, तार की लाइनें काट दी गई। उस समय लोगों की भावनाएँ कुछ इस प्रकार थी कि—"फिर सक गांधी ने दी अपनी भारत छोड़ो, जुल्म की तलवार को खुद अपने हाथों तोड़ो।"



चित्र-14. विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका (अगस्त क्रांति)



चित्र-15. भारत छोड़ो आंदोलन

चित्र-16. जयप्रकाश नारायण

अंग्रेजी सरकार का दमनचक्र : अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए दमन की नीति का सहारा लिया। सरकार ने शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोलियाँ चलाई व लाठीचार्ज किया। सरकारी सूत्रों के अनुसार 538 अवसरों पर निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई। एक लाख से अधिक स्त्री-पुरुषों को बंदी बना लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर भारी जुर्माने किए गए, देश में चारों ओर अराजकता और अशांति फैल गई। मुस्लिम लीग ने हर प्रकार से आंदोलन का विरोध किया। 10 सितंबर, 1942 ई. को चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में कहा कि कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाया है। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के आरोपों से दुखी होकर 10 फरवरी, 1943 ई. को 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। सरकार की दमन नीति के कारण आंदोलन काफी शिथिल पड़ चुका था। गांधी जी को रिहा कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन धीरे-धीरे अमाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो साम्यवादियों ने युद्ध का विरोध किया और इसे साम्राज्यवादी भास्या परंतु जब रूस ने युद्ध में इंग्लैंड का साथ दिया तो उन्होंने इसी युद्ध को सही बताएँ ब्रिटिश तरफ़ को सहयोग करना शुरू कर दिया।

यद्यपि यह आंदोलन भारत से विदेशियों को निकालने तथा देश को स्वतंत्र कराने में असफल रहा तथापि यह आंदोलन, जिसे 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत घटना थी। डॉ. ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, 'अगस्त क्रांति' से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में 'बास्तील की घटना' व रूस में अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। पूर्ण स्वतंत्रता की भावना अब जनसाधारण के दिलों में घर कर गई और इस स्तर तक ब्रिटिश शासन से किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। आंदोलन की सफलताओं के प्रिष्य में सरवरायरेल ने कहा था, 'भारत में ब्रिटिश सरकार के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ। जैसा कि पिछली तीन वर्षों में हुआ। लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उस पर हमें गर्व है।'

सतिविधि : भारत छोड़ो आंदोलन को 'अगस्त क्रांति' क्यों कहा जाता है? चर्चा करें।




गांधी-जिन्ना वार्ता

भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मई 1944 ई. में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात् गांधी जी ने विभाजन को टालने तथा मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए 9 सिंतंबर से 27 सिंतंबर, 1944 ई. के बीच कई दौर की बातचीत की। इस गांधी-जिन्ना वार्ता में गांधी जी जिन्ना के लिए 'कायदे आज़म' का सम्बोधन

करते रहे, जिससे जिन्ना और अधिक अहंकारी हो गये। (कांग्रेस के कई नेताओं ने आजादी प्राप्त करके जल्दी से सत्ता प्राप्त करने की आशा में गांधी-जिन्ना वार्ता को अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुँचने दिया।)

जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त, 1946 ई. को 'प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस' घोषित किया। जिससे बंगाल, बिहार और बंबई में दंगे हुए, जिसमें 5 हजार लोग मारे गए तथा 15 हजार लोग घायल हुए। देश के तनावपूर्ण व रक्त-रंजित वातावरण में 20 फरवरी, 1947 ई. के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ई. तक भारतीयों को सत्ता सौंप ला चली जाएगी। अतः इस निश्चित तिथि तक भारत के सभी राजनीतिक दल परस्पर समझौता कर लें और एक संविधान का निर्माण करें जिसके अनुसार संगठित सरकार को सत्ता सौंपी जा सके। दूसरे घोषणा से मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग के लिए प्रोत्साहन मिला और हिंदुओं व मुसलमानों में शानुता इतनी बढ़ गई कि बंगाल, उत्तर-पश्चिमी पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। उधर अंतिम निर्णय के लिए लार्ड वेवल के स्थान पर गवर्नर जनरल के रूप में लॉड माउंटबेटन को भारत भेजा गया।



चित्र-17. जिन्ना एवं गांधी

स्रोत : 1946 ई. में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने जवाहर लाल नेहरू को मतेनाम किया। जबकि गत की अधिकतर कांग्रेस कार्य समितियों ने सरदार पटेल का नाम का सुझाव दिया था। गांधी जी का विचार था कि नेहरू अंग्रेजों से आजादी के समय बेहतर लेन-पेन कर सकता है तथा देश के बाहर भी उसे लोग जानते हैं। वह दूसरा स्थान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजेन्द्र प्रसाद ने इस पर अपने विचार देते हुए कहा कि "गांधी जी ने एक बार फिर अपने विश्वास पात्र लेफिटनेंट का बलिदान कर दिया।"

**दुर्गादास इंडिया फ्राम कर्जन टू नेहरू
एंड आफ्टर (पेज 236 -238)**

भारत की स्वतंत्रता

लार्ड वेवल के बाद माउंटबेटन 23 मार्च, 1947 ई. को भारत के वायसराय नियुक्त हुए। उन्हें ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि 30 जून, 1948 ई. तक भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करा दें। उन्हें वायसराय बनाने का मुख्य उद्देश्य शीघ्र अति शीघ्र भारत का विभाजन करना था। माउंटबेटन की नेहरू के साथ गहरी दोस्ती थी। वे सभी नेताओं व राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत का विभाजन आवश्यक है परंतु सवाल यह था कि क्या कांग्रेस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। माउंटबेटन ने

पंडित नेहरू को इस बात के लिए मना लिया। तत्पश्चात् ३ जून, १९४७ ई. को उन्होंने एक योजना प्रस्तावित की जिसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, और सिक्ख समुदाय के नेताओं ने स्वीकृति दे दी। गांधी जी विभाजन के विरोधी थे तथा उन्होंने कहा भी था कि ‘विभाजन मेरी लाश पर होगा।’ लेकिन रक्तपात, दंगों तथा कांग्रेस के नेताओं की थकान को देखते हुए उन्होंने भी विभाजन को अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया।



चित्र-18. माउंटबेटन एवं गांधी



चित्र-19. नेहरू, गांधी और पटेल

कांग्रेस और मुस्लिम लीग

से विभाजन की योजना को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् माउंटबेटन ने विभाजन को लागू करने के लिए ७ जून, १९४७ ई. को एक ‘विभाजन समिति’ का निर्माण किया। माउंटबेटन योजना के अनुसार ४ जुलाई, १९४७ ई. के दिन ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नामक एक विलास किया जिससे भारत को विभाजन के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई।

स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी

विभाजन के बाद हुए दंगों में महात्मा गांधी ने अपेक्षा पूर्णी भारत में उपस्थित रहकर सांप्रदायिक दंगों को रोका। तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने उनको ‘वन में बाउंडरी फोर्स’ कहा।

राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न : महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का समर्थन और सम्मान करते थे उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में दंगों का विदेशी (अंग्रेजी) भाषा की जगह अपनी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी) को सम्मान देना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी प्रांतीय खाद्य मंत्रियों की एक सभा को हिंदी में संबोधित कर रहे थे। सभा के अंत में मंत्री का खाद्य मंत्री ने गांधी जी से कुछ शब्द अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा क्योंकि वह हिंदी नहीं जानते थे। गांधी जी ने कहा कि ‘बेहतर होगा कि आप त्यागपत्र दे दें।’ मंत्री जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी तथा ६ महीने में हिंदी सीखने का वायदा किया।

लोक सेवा संघ : स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार से आहत होकर गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पीनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौ सेवा संघ एवं नई तालीमी संघ जैसे संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया तथा सम्मेलन के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण कांग्रेस को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर लोक सेवा संघ बनाने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा करने से पूर्व ही उनकी

हत्या हो गई।

इस प्रकार गांधी जी ने 1917 ई.-1947 ई. तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व दिया। अहिंसा व सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग करके भारतीय जनता को जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा एवं भारत छोड़ो आंदोलनों द्वारा जनमानस को झकझोर कर भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को सुनिश्चित किया। गांधी जी विभाजन के विरोधी रहे तथा राष्ट्रभाषा (हिन्दी) के प्रति उनके मन में अगाध सम्मान था। उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति कर लोक सेवा संघ की स्थापना का भी सुझाव दिया। साधारण दिखने वाले इस महापुरुष के बारे में आईस्टीन के ये शब्द सही जान पड़ते हैं कि “आने वाली पीढ़ियाँ कभी विश्वास नहीं करेंगी कि इस प्रकार के हाड़-माँस वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर विचरता था।”

तिथिक्रम

1. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई.
2. गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे 1915 ई.
3. रैलट एक्ट पास हुआ 1919 ई.
4. जलियाँवाला बाग नरसंहार हुआ 1919 ई.
5. दांडी यात्रा 6 अप्रैल, 1930 ई.
6. गांधी-इर्विन रामज्ञेता 5 मार्च, 1931 ई.
7. सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त, 1932 ई.
8. व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ई.
9. भारत छोड़ो आंदोलन प्रचाव 8 अगस्त, 1942 ई.
10. गांधी-जिला वार्ता 1944 ई.
11. मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त, 1946 ई.

1 फिर से जानें :

1. चम्पारन, खेड़ा व अहमदाबाद गांधी जी के प्रारंभिक तीन सत्याग्रह थे।
2. 'सत्य के लिए आग्रह' करने को ही सत्याग्रह कहते हैं।
3. विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे।
4. गांधी जी हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के पक्ष में थे।
5. यवतमाल में जंगल सत्याग्रह में डॉ. केशवराव बलिराम हेङ्गेवार की गिरफ्तारी हुई।

2 आइये विचार करें :

1. असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व पर चर्चा करें।
2. गांधी जी के आंदोलनों में स्वदेशी के महत्व पर विचार करें।
3. निम्नलिखित पर विचार करें:

(क) रौलट सत्याग्रह	(ड.) पूरा समझौता
(ख) खिलाफत एवं सांसदाधिकार	(ब) करो या मरो
(ग) दांडी यात्रा	(छ) गांधी-जिन्ना वार्ता
(घ) नमक सत्याग्रह	(ज) लोक सेवा संघ
4. भारत द्वारा आंदोलन की रूपायाए एवं प्रसार की व्याख्या करें।
5. गांधी जी ने पटेल की बजाए नहरु को क्यों चुना? क्या आप उनके निर्णय को उचित मानते हैं?
6. गांधी जी कांग्रेस को क्यों समाप्त करना चाहते थे?

3 आआ करके देखें :

1. जयप्रकाश नारायण के जीवन एवं कृतित्व के बारे में जानकारी इकट्ठा कर एक अनुच्छेद लिखें।
2. गांधी जी के आंदोलनों से संबंधित चित्र एकत्रित करके एक कोलाज बनाएं।

आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका

आओ सीखें

पिछले अध्यायों में हमने क्रांतिकारी आंदोलनों एवं गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों का अध्ययन किया है। प्रस्तुत अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन करेंगे :

- नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन
- राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश
- दूसरा विश्व युद्ध तथा नजरबंदी
- जर्मनी पहुंचकर हिटलर से पल काटना
- आजाद हिंद फौज का गठन
- अंतर्रिम सरकार की स्थापना
- आजाद हिंद फौज का संघर्ष
- फौज पर मुकदमा

सिकंदर, सीजर और क्रॉमवेल के मानन राजनीतिक विभूति बतलाया।

आप जानते ही होगे कि 'लोकमान्य' बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, 'महामना' मदन मोहन मालवीय के लिए, 'गुरुदेव' रवींद्रनाथ टैगोर के लिए तो 'महात्मा' मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयोग किया जाता है इसी तरह से भारत की जनता सुभाष चंद्र बोस को 'नेताजी' कहकर संबोधित करती है।



चित्र-1. नेताजी सुभाष चंद्र बोस


भारत को वर्षों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए असंघय देश भक्तों ने अपनी वीरता, निष्ठा, लगन व साहस के साथ संघर्ष किया। इन देशभक्तों में से एक महान वीर देशभक्त थे, 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस।' उन्होंने अपनी मातृभूमि का दासता से मुक्त करने के लिए जीता। उन्होंने उन तक स्वतंत्रता रुपी पौधे को अपने खून से सींचा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोकप्रियता में उन्हें गाँधी जी और भगत सिंह के रूपकक्ष माना जाता है। भारत की आजादी के लिए उन्होंने 'आजाद हिंद फौज' को संगठित करते हुए आह्वान किया था कि "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।"

गाँधी जी ने उनकी अथाह देशभक्ति के कारण उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। उनके राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी रहे पी. सीतारमैया ने उन्हें

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का आरम्भिक जीवन

सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 ई. को कटक (उड़ीसा) में प्रभावती तथा जानकीनाथ बोस के घर में हुआ। वह चौदह भाई-बहनों में नौवें नंबर पर थे। पाँच वर्ष की आयु में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को कटक के एक अंग्रेजी प्रोटस्टेंट स्कूल में पढ़ने भेजा गया। वे कुशाग्र बुद्धि थे तथा हमेशा पढ़ाई में आगे रहते थे इसलिए अध्यापकों के प्रिय बन गए। अंग्रेजी स्कूल के भेदभावपूर्ण वातावरण के कारण उन्हें आरम्भ से ही अंग्रेजों से घृणा हो गई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेन्शा कोलजिएट स्कूल में दाखिला लिया। इस स्कूल से उन्होंने 1913 ई. में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा प्रांत में दूसरे स्थान पर रहे।

ओटन विवाद : सुभाष चन्द्र बोस ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता के गोसेन्सी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने 1915 ई. में एफ.ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उसके बाद उन्होंने आगे की मढ़ाई जारी रखी, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने नेताजी के जीवन को बदल दिया। कॉलेज के प्रेफेसर डॉ. एफ. ओटन तथा जे. डब्ल्यू. हॉम्स भारतीय विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करते थे तथा भारतीय गष्टीपत्रों में संबंधित गलत टिप्पणी करते रहते थे। कुछ भारतीय विद्यार्थियों ने ओटन पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि सुभाष आक्रमणकारियों में नहीं थे लेकिन वे इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। जाँच समिति के सामने सुभाष ने आक्रमणकारी छात्रों के नाम बताने से इंकार कर दिया। मज़ाबूत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को कॉलेज से निकल दिया गया। चित्र-2. नेताजी 1905 ई. चित्र-3. नेताजी सुभाष की रचनाएं। इसके बाद उनका जीवन परिवार हो गया। 1917 ई. में उन्होंने स्काटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश दिया। यहाँ उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण लिया तथा फोर्ट विलियम की यात्रा कैडेट के रूप में कई बार की। बाद में वह अनुभव 'आजाद हिंद फौज' के संचालन में काम आया। उन्होंने 1919 ई. में दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की।



नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आदर्श : जब वे छोटे थे तो उन पर अनुशासनप्रिय माता प्रभावती का गहरा प्रभाव पड़ा। बड़ा होने पर स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधव ने उन्हें प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द से भी काफी प्रभावित हुए तथा एक बार तो अध्यात्म में गहरे ढूब गए थे। वे अरविंद घोष और रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों के समर्थक थे। बाद में 'देशबंधु चित्तरंजन दास' को उन्होंने अपना गुरु मान लिया।

राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश

1919 ई. में सुभाष चन्द्र बोस के पिता ने उन्हें आई.सी.एस. की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड भेजा। 1920 ई. में हुई आई.सी.एस. की परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। अब उन्हें अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय लेना था या तो वे आई.सी.एस. बन कर अंग्रेजों का सहयोग करें तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें या फिर पद त्याग देकर मातृ भूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। उन्होंने आई.सी.एस. से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया।

गांधी जी से तीन प्रश्न : त्यागपत्र देकर नेताजी 1921 ई. में असहयोग आंदोलन के दौरान भारत पहुँचे तथा 16 जुलाई, 1921 ई. को उन्होंने मुंबई पहुँचकर गांधी जी से भेंट की, उनके मन में तीन प्रश्न थे :

- (क) कांग्रेसी कार्यक्रमों से करों की अदायगी कैसे बढ़ हो?
- (ख) असहयोग आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़कर कैसे जाएंगे?
- (ग) गांधी जी एक वर्ष में स्वराज का वचन कैसे पूरा करेंगे?

गांधी जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। सुनप्त पहले प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हुए लेकिन अन्य उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गांधी जी के सझाव पर कलकत्ता जाकर चित्तरंजन दास से मिले और उन्हें अपना राजनातिक गुरु मान लिया। देश भर में आंदोलन जारी था तभी प्रिंस आँप वेल्स के भारत आने की घोषणा हुई। वे आंदोलन में कूद पड़े तथा उन्होंने वेल्स के दौरे का विरोध शुरू कर दिया। सरकार घबरा उठी। वित्त जन दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। उनका अद्भुत संगठन क्षमता तथा ओजस्वी भाषण से बंगाल में उनका जादू छाने लगा।



चित्र-4. सुभाष कैम्ब्रिज में (1920 ई.)



चित्र-5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस मांडले जेल में

10 दिसंबर, 1921 ई. को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह उनकी पहली

गिरफ्तारी थी बाद में 1941 ई. में भारत से अदृश्य होने तक,

20 वर्ष की अवधि में वे कुल 11 बार जेल गए।

स्वराज पार्टी के लिए कार्य : 1922 ई. में ‘चौरी-चौरा’ की घटना के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तो सुभाष ने इसे “राष्ट्रीय विपत्ति” बताकर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने अपने राजनैतिक गुरु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर ‘स्वराज पार्टी’ का गठन किया। बंगाल अध्यादेश का विरोध करने पर ब्रिटिश सरकार ने उन पर क्रांतिकारी षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर उन्हें पुनः गिरफ्तार करके बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया। इस जेल में आने पर उन्हें गर्व था क्योंकि इसी जेल में पहले तिलक एवं लाला लाजपतराय जैसे नेता रह चुके थे। दो वर्ष बाद उन्हें कलकत्ता की जेल में लाया गया लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया।

1923 ई. में कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में सी. आर. दास महापौर (मेरर) बने तो उन्होंने नेताजी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कलकत्ता की मुख्य सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम से बदलकर भारतीय महापुरुषों के नाम पर रखे।

गतिविधि : आओ देश के ऐसे मार्गों, रुड़फ्झों, भवनों, नगरों
इत्यादि के नामों पर विचार कर सूची बनाएं, जो अपको

विदेशी दासता की याद दिलाते हैं।



इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन : 1927 ई. में साइमन के एलेक्षन की नियुक्ति के बाद देशभर में इस कमीशन के बहिष्कार आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल हो गए। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज का जिक्र न होने के कारण उन्होंने जब हरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर ‘इंडियन इंडिपेंडेंस लीग’ का गठन किया तथा कांग्रेस पर “पूर्ण स्वराज” का लक्ष्य निर्धारित करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

16 जुलाई, 1921 ई. के अपने पहले मिलन से ही गांधी और सुभाष में वैचारिक विरोध के भाव थे। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में गहरा विश्वास रखते थे जबकि नेताजी साध्य के लिए किसी भी साधन को अपनाने के हक में थे। गांधी-चर्विन समझौते के समय भगत सिंह को न बचा पाने के कारण उन्होंने गांधीजी की आलोचना की तथा क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। जब 1933 ई.-1934 ई. में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करा दिया तो उन्होंने वियना से लिखा कि गांधीजी ने लोगों की पिछले वर्षों की कुर्बानियों को व्यर्थ कर दिया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में

हरिपुरा अधिवेशन : सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेवाओं को महत्व देते हुए उनकी अनुपस्थिति में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ई. के हरिपुरा अधिवेशन में सर्वसम्मति से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया।

अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस की गति को तीव्रता देनी शुरू की तथा स्वतंत्रता का जोर-शोर से प्रचार शुरू कर दिया। वे सरकार को समयबद्ध चेतावनी देकर स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ने के पक्षधर थे। गांधी जी से तो नेता जी के पहले से ही मतभेद थे। इस अग्रगामी नीति से ये मतभेद और मुखर हो गए। उन्होंने भारत की विदेश नीति एवं आर्थिक पुनर्निर्माण से संबंधित विचार रखे। उन्हें यूरोप की विस्फोटक स्थिति का पूर्वाभास था तथा वे इसका फायदा उठाना चाहते थे।

त्रिपुरी अधिवेशन : 1939 ई. में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी (मध्यप्रदेश) में हुआ वे पुनः अध्यक्ष बनना चाहते थे। गांधी जी उनकी आतुरता के विरुद्ध थे। वे उन्हें पुनः अध्यक्ष पद मर नहीं देखना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ। सुभाष को 1580 तथा गांधीजी के प्रतिनिधि पट्टाभि सीतारमैया को 1377 मत मिले। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए लेकिन गांधी जी व गांधीवादियों के असहयोग के कारण वे अधिक समय तक कांग्रेस का संचालन नहीं कर सके।

त्याग-पत्र : गांधी जी ने सीतारमैया की डार को अपनी हाथ पाना था। कार्यकारिणी के विरोधस्वरूप नेताजी को 29 अप्रैल, 1939 ई. का अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र देना पड़ा। उन्होंने 3 मई, 1939 ई. को 'फॉरवर्ड ब्लॉक' की स्थापना की तथा अग्रगामी नीति का अनुसरण करते हुए देश भर में आंदोलन की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। उसी समय सिंबर 1939 ई. में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। नेताजी नई योजनाएँ बनाने लगे।

दूसरा विश्व युद्ध तथा सुभाष चन्द्र बोस का जर्मनी पहुंचना

सुभाष चन्द्र बोस की नजरबंदी : विश्व युद्ध शुरू होने पर नेताजी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। उन्होंने देश भर में 'फॉरवर्ड ब्लॉक' के माध्यम से आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 22 जून, 1940 ई. को वे सावरकर से मिले तथा विदेशी सहायता से आजादी की योजना बनाई। 2 जुलाई, 1940 ई. को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 26 नवंबर, 1940 ई. को सुभाष ने गवर्नर को पत्र लिखा कि "राष्ट्र को जीवित रखने के लिए व्यक्ति का मरना आवश्यक है। आज मेरा मरना जरूरी है ताकि भारत स्वतंत्रता एवं गौरव को प्राप्त कर सके।" इसके बाद 29 नवंबर, 1940 ई. को उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। सरकार घबरा गई तथा 5 दिसंबर, 1940 ई. को सुभाष को जेल से रिहा कर दिया गया तथा बाद में उन्हें कलकत्ता में उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया।



चित्र-6. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गांधी जी के साथ

भेष बदलकर जर्मनी पहुँचना : घर में नजरबंदी के बाद उन्होंने सबसे मिलना-जुलना बंद कर दिया। दाढ़ी बढ़ा ली तथा 16 जनवरी, 1941 ई. की रात्रि को मौलवी जियाउद्दीन का भेष धारण करके वे कलकत्ता से पेशावर तथा फिर पेशावर से काबुल पहुँचे। इसमें भक्तराम व उत्तमचंद मल्होत्रा ने उनकी सहायता की। उनकी रोमांचक यात्रा का वर्णन उत्तम चंद मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक 'सुभाष जब जियाउद्दीन थे' में किया है। उसके बाद वे मास्को की ओर रवाना हुए लेकिन रूस मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। इसलिए वे इटालियन दूतावास की मदद से बर्लिन पहुँचे। पासपोर्ट पर उनका नाम 'ऑरलैंडो मंजोटा' अंकित था।



चित्र-7. नेताजी नजरबंदी के दौरान



चित्र-8. नेताजी (जियाउद्दीन)



चित्र-9. नेताजी (ऑरलैंडो मंजोटा)

हिटलर से मुलाकात : जम्मू प्रजास के दौरान अंतराल के बाद बोस को हिटलर से मुलाकात हुई। जब हिटलर ने उनसे राजनीतिक परिकल्पना के स्वरूप के बारे में पूछा तो उन्होंने वोनड्रीट जो दुभाषिए का कार्य कर रहे थे, को कहा कि महिने से कह दो कि "मैं जीवन भर राजनीति में रहूँ और मुझे इस संबंध में किसी के परामर्श की ज़रूरत नहीं है।" दुभाषिये ने कूटनीतिपूर्वक अनुवाद किया।



चित्र-10. सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हिटलर से भेंट करते हुए

जर्मनी में स्वतंत्र भारत केंद्र तथा आजाद हिंद रेडियो की स्थापना : जर्मनी में बर्लिन पहुँचने के बाद नेताजी ने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की। इसमें बीस भारतीय सदस्य थे। एक सदस्य डॉक्टर एम. आर. व्यास की मदद से 'आजाद हिंद रेडियो की स्थापना' की गई तथा देश में प्रसारण प्रारंभ किया। उन्होंने जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों से एक सैन्य दल गठित किया जो आजाद हिंद फौज का पूर्वगामी रूप था। नेताजी ने जर्मन विदेश

विभाग को अपनी योजना से अवगत कराया तथा जर्मन विदेश विभाग ने नेताजी को वित्तीय मदद देनी शुरू कर दी। उन्होंने वायदा किया कि आजाद होने पर ऋण चुका दिया जाएगा। उन्होंने दो वर्ष बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीयों से इकट्ठा किए गए धन में से पाँच लाख येन टोक्यो में जर्मन राजदूत को चुकाए भी।

आजाद हिंद फौज का गठन

फरवरी 1942ई. में जब अंग्रेजी सेना ने सिंगापुर में जापानी सेना के सामने हथियार डाले उन्होंने तो एशिया जाने की योजना बनानी शुरू कर दी तथा 90 दिन की पनडुब्बी की यात्रा करके वे दक्षिण-पूर्व एशिया पहुँचे। ‘रास बिहारी बोस’ काफी समय से आत्म निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करके दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की स्वतंत्रता के प्रयास किए। उनके अलावा बर्मा, थाईलैंड और शंघाई में क्रमशः प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह एवं बाबा उस्मान खान भी स्वतंत्रता की अलख जगाए हुए थे। इन सबके प्रयत्नों तथा कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से ‘आजाद हिंद फौज’ का गठन हुआ लेकिन शीघ्र ही मोहन सिंह व जापानी अधिकारियों में मतभेद होने से इसका विघटन होने लगा।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की कमान संभालना : नेताजी पनडुब्बी यात्रा करके 20 जून, 1943ई. को देश्यो पहुँचे। वहाँ के नात्रियों, सैनिक अधिकारियों एवं प्रधानमंत्री तोजो से भेंट की। 2 जुलाई, 1943ई. को सिंगापुर पहुँचे। 4 जुलाई, 1943ई. को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में एक सभा करके बोस को आजाद हिंद फौज की बागडोर सौंप दी। यहीं से सुभाष चन्द्र बोस वो ‘नेताजी’ कहकर पुकारा जाने लगा। उन्होंने सभा में कहा कि “सुनो भारतवर्ष पुकार रहा है हथियार उठाओ चलो दिल्ली” अब वे आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनानायक बन गए उन्होंने सैनिक वेशभूषा धारण की।



चित्र-11. भारत सरकार द्वारा रास बिहारी बोस पर जारी डाक टिकट



चित्र-12. सुभाष चन्द्र बोस (फौज का निरीक्षण)



चित्र-13 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस व सेना के अधिकारी

आइये www.netaji.org वेबसाइट पर दिये गए इस लिंक पर क्लिक करके

इस विडियो को देखें <https://vimeo.com/176713480>

गतिविधि : आपके आस-पड़ोस में रहने वाले आजाद हिंद फौज से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी से संपर्क करके आजाद हिंद फौज पर उनके विचार जानें तथा जानकारी इकट्ठा करें।



नेताजी तीन लाख सैनिक भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए धन की आवश्यकता थी। रंगून के एक उद्योगपति हबीबुरहमान ने एक करोड़ रुपए की सहायता दी। एक गुजराती महिला श्रीमती बताई देवी ने तीन करोड़ की संपत्ति नेताजी के कदमों में रख दी। रंगून में 'आजाद हिंद बैंक' की स्थापना हुई। प्रवासी भारतीयों ने अपने गहने बेचकर नेताजी को धन दिया। नेताजी ने अधिकाधिक सैनिक भर्ती करने के लिए सिंगापुर, अलावा जावा, सुमात्रा, बर्मा में फौज के दफ्तर खोल दिए।

A Z A D



H I N D

चित्र-14. ध्वज-आजाद हिंद फौज

“नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद दस्तान के सुनाम पर 'जय हिंद' का नारा दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता को 'राष्ट्रगान' बनाया। कांग्रेस के 'तिरंगे' को 'राष्ट्रीय झंडा' घोषित किया तथा इसमें से चरखा हटाकर उछलता चीता अंकित किया। **”**

सेना को पाँच भागों (प्रिंगड) में बांटा :

- गांधी ब्रिगेड
- नेहरू ब्रिगेड
- आजाद ब्रिगेड
- सुभाष ब्रिगेड
- झाँसी की रानी रेजीमेंट (महिलाओं के लिए)।



चित्र-15. झाँसी की रानी रेजीमेंट

झाँसी की रानी रेजीमेंट की अध्यक्ष लक्ष्मी स्वामीनाथन को बनाया गया। पहले इसमें 156 महिलाएँ थी। बाद में इनकी संख्या 1000 तक पहुँच गई। बाल सेना भी बनाई गई।

अंतरिम सरकार की स्थापना : 21 अक्टूबर, 1943 ई. को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। यह घोषणा 1500 शब्दों की थी, जिसे नेताजी ने तैयार किया था।

आजाद हिंद सरकार :

सुभाष चंद्र बोस : राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध एवं विदेश मंत्री

लक्ष्मी स्वामीनाथन : महिला संगठन

एस. ए. अच्युर : प्रचार एवं प्रसारण

कर्नल ए. सी. चटर्जी : वित्त

रास बिहारी बोस : उच्चतम परामर्शदाता

ए. एन. सरकार : कानूनी सलाहकार




चित्र-16. सुभाष सिंगापुर में (1943 ई.)

बहुत से सैनिक अधिकारियों को सशस्त्र सेना का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। नेताजी ने नियुक्त वातावरण में शपथ पढ़ी “ईश्वर के नाम पर मैं यह पावन शपथ लेता हूँ कि भारत के 38 एकड़े निवासियों को स्वतंत्र कराऊँगा।” अंतरिम सरकार के निर्माण के बाद शीघ्र ही नौ देशों इटली, जापान, जर्मनी, फिलीपींस, चीन, क्रोएशिया, थाईलैंड, मंचूरिया और बर्मा ने इसे मान्यता देंदी।

आजाद हिंद फौज का संघर्ष : 23/24 अक्टूबर, 1943 ई. को सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रंगून को अस्थाई सरकार का मुख्यालय बनाकर आगे वह संघर्ष शुरू कर दिया। 4 जनवरी, 1944 ई. को फौज ने रंगून से अराकान की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। तभी फौज ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी।

फौज का भारत में प्रवेश : 1 मार्च, 1944 ई. को आजाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश किया तथा भारत पहुँचने पर जो मार्मिक दृश्य था, उसका वर्णन आर. सी. मानादार ने किया है “‘सैनिक पेट के बल चित्त लेट गए, मिट्टी चूमने लगे, झंडा लहसुन का राष्ट्रगान गाया।’” फौज ने कार्रवाई और उसके चारों ओर झंडा फहराया। उसके बाद इम्फाल पर आक्रमण की योजना बनी। वर्षा शुरू हो गई। जापानिया का सहयोग मिलना बंद हो गया। चार हजार सैनिक मारे गए। अक्टूबर 1944 ई. में इम्फाल अभियान स्थगित कर दिया गया।

जापान अंडमान एवं निकोबार दोनों द्वीप सुभाष को सौंप दिए। सुभाष ने इनका नाम बदलकर ‘शाहीद’ एवं ‘स्वराज’ रखा तथा लेफिटेनेंट कर्नल ए. डी. लोगनाथन को इन का प्रथम भारतीय प्रशासक नियुक्त किया। उसके बाद इन द्वीपों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।



चित्र-17. अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया नामकरण

फौज ने शीघ्र ही क्लांग-क्लांग की मजबूत चौकी पर कब्जा कर लिया। म्याम्यों नामक स्थान को स्वतंत्र भारत की राजधानी बनाया गया।

1944 ई. के अंत तथा 1945 ई. के प्रारंभ में जर्मनी हार गया। 6 अगस्त व 9 अगस्त, 1945 ई. को हिरोशिमा व

नागासाकी पर गिराए गए बमों से जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। ऐसे में आजाद हिंद फौज के सत्रह हजार सैनिकों और अधिकारियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद नेताजी ने रूस जाने की तैयारी की। 17 अगस्त को सारगोन तथा 18 अगस्त, 1945 ई. को वे ताईपे पहुँचे। ताइपे भोजन करने के बाद 2:30 बजे उनके विमान ने उड़ान भरी तो उसमें तुरंत आग लग गई। ऐसा माना जाता है कि उनका शरीर झुलस गया तथा उनकी मृत्यु हो गई, यद्यपि आज तक भी उनकी मृत्यु को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिला है। बहुत से आयोग एवं कमेटियाँ गठित हुईं लेकिन यह रहस्य सुलझ नहीं पाया है। हबीबुरहमान उनके साथ थे।

आजाद हिंद फौज पर मुकदमा : फौज के आत्मसमर्पण के बाद फौज के कैदी अधिकारियों पर मुकदमा शुरू हुआ। अब तक सारे देश में फौज व नेताजी के कारनामों का जनता को पता चला चुका था। सारे देश आंदोलित था। 5 नवंबर, 1945 ई. को शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल पर लाल किले में मुकदमा शुरू हुआ। जाने-माने वकीलों ने अकाट्य दलीलें दी तथा आजाद हिंद फौज के बचाव में खड़े हो गए। 31 दिसंबर, 1945 ई. तक मुकदमा चला। 57 दिनों के दौरान वादी पक्ष की तरफ से 30 तथा बचाव चित्र-18. प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पक्ष की ओर से 12 साक्षी उपस्थित हुए।

3 जनवरी, 1946 ई. को सैनिक द्वायाजय ने तीनों अभियुक्तों को सम्माट के विरुद्ध युद्ध का दोषी ठहराया तथा आजीवन निर्वासन का दंड दिया। जनता के दबाव में आकर सभी की सजा माफ कर बरी कर दिया गया।



देश भर में नारे गूँह पड़े

‘लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो’

‘लाल किले से आई आवाज़-सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज’



आजाद हिंद फौज की नीतिवाधयों एवं मुकदमे से सारे देश में हलचल मच गई। 1946 ई. में भारतीय नौसेना का संघर्ष भी इसी फौज से प्रेरित था। संभवतः अंग्रेजों के शीघ्र ही भारत छोड़ देने के निर्णय के पीछे यही अकेला सबसे निर्णायिक कारण रहा हो। ‘द स्प्रिनिंग टाइगर’ पुस्तक के रचनाकार हग टॉए ने लिखा कि, “इसमें संदेह नहीं कि आजाद हिंद फौज ने युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि प्रलयकारी चोट से भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को निकट ला दिया।”

चित्र-19. सुभाष चंद्र बोस
सारगोन में (1945 ई.)

आजाद हिंद फौज के योगदान के कुछ बिंदु :

- युवकों को प्रेरणा।
- अहिंसात्मक नीति का विरोध करके आजाद हिंद फौज के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को जु़़ाऱ एवं संघर्षशील बनाया।
- संघर्ष एवं युद्ध करके राष्ट्रीय भावना को तीव्रतम स्तर पर पहुँचाया।
- सुभाष चन्द्र बोस ने हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख सभी को सेना में समान रूप से भर्ती करके साम्प्रदायिक एकता व सौहार्द उत्पन्न किया।
- प्रवासी भारतीयों ने तन-मन-धन से फौज को सहयोग देकर देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया।
- मुंबई नौसेना का 1946 ई. का संघर्ष भी बोस की आजाद हिंद फौज से ली गई प्रेरणा का प्रतीक था।
- अग्रेंजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
- महिलाओं ने जेवर दिए, बताई देवी ने संपत्ति दान कर पी, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने रेजीमेंट का नेतृत्व किया। हजारों स्त्रियाँ युद्ध के मोर्चों पर सक्रिय रहीं, जिससे मंधर्षाल आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी हुई।

तिथिक्रम

1. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1893 ई.
2. आई.सी.एस. की प्रशासन में चौथा स्थान 1920 ई.
3. सुभाष चन्द्र बोस का प्रथम गिरापदारी 1921 ई.
4. गांधी-सुभाष चन्द्र बोस की प्रथम भूमिका 16 जुलाई, 1921 ई.
5. हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चन्द्र बोस का प्रथम बार अध्यक्ष बनना 1938 ई.
6. सुभाष चन्द्र बोस का पुनः अध्यक्ष बनना (त्रिपुरी अधिवेशन) 1939 ई.
7. फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ई.
8. सुभाष चन्द्र बोस द्वारा अंतर्रिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर, 1943 ई.
9. आजाद हिंद फौज का भारत में प्रवेश 1 मई 1944 ई.
10. सुभाष चन्द्र बोस का विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ 18 अगस्त, 1945 ई.

1 फिर से जानें :

1. नेताजी पनडुब्बी के द्वारा यात्रा करके जर्मनी से एशिया पहुंचे थे।
2. नेताजी ने अण्डमान और निकोबार द्वीपों को शहीद व स्वराज नाम दिये थे।
3. नेताजी ने जर्मनी में हिटलर से भेंट की।
4. एक गुजराती महिला बताई देवी ने तीन करोड़ की संपत्ति नेताजी को भेंट की।
5. नेताजी 11 बार जेल गए।

2 आइये विचार करें :

1. गांधी जी और नेताजी के विचारों में मुख्य भेंट क्या था?
2. आजाद हिंद फौज के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए।
3. क्या आप मानते हैं कि नेताजी की सुभाष विमान दृग्घटना में हुई? यदि नहीं, तो अपने तर्क रखिए।
4. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था?

3 आओ कर्के देखें :

1. अपने गाव, बस्ती, कर्के अथवा नगर में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों से सम्पर्क कर सैनिक गतिविधियों की जानकारी एकत्रित कर विवरण लिखें।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं आजाद हिंद फौज के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप नेताजी रिसर्च ब्यूरो की वेबसाइट www.netaji.org का प्रयोग कर सकते हैं।



भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण एवं विस्थापितों का पुनर्वास

आओ सीखें

पिछले अध्यायों में हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों, उदारवादियों, राष्ट्रवादियों एवं गांधीजी के योगदान का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन करेंगे:

- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-1947
- भारत का विभाजन
- विभाजन के प्रमुख कारण
- देसी रियासतों का विलय
- विस्थापितों की समस्याएँ
- विस्थापितों का पुनर्वास

प्रांत तो शामिल थे, परंतु निखण्डित अवस्था में। दोनों को बांटकर नवनिर्मित पाकिस्तान में शामिल किया गया था। जहां नए देशों के निर्माण की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं लाखों निर्दोष अपनी जन्मभूमि, घर-बार, चूल्हा चक्की छोड़ने को मजबूर हुए।

भारत का स्वतंत्रता अधिनियम-1947

जुलाई 1947 ई. में ब्रिटिश संसद में भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति 'भारत स्वतंत्रता अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य धाराएँ निम्नलिखित थीं:

- 1) 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत तथा पाकिस्तान दो नये अधिराज्य बना दिए जाएंगे।
- 2) इन दोनों अधिराज्यों की सीमाएँ निश्चित कर दी गईं।
- 3) दोनों अधिराज्यों का एक-एक गवर्नर-जनरल होगा। यदि दोनों अधिराज्य सहमत हों तो एक ही व्यक्ति को

15 अगस्त, 1947 ई. को अंग्रेजों की लगभग दो सौ वर्षों की गुलामी से भारत को स्वतंत्रता मिली। वो स्वतंत्रता जिसके लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए आत्म बलिदान दिया। अंग्रेजों की प्रताइना पहते-सहते, नवताजा का स्वप्न लिए राजिद अनेक हो गए। असंख्य ऐसे भी हैं जिनकी शहीदी इतिहास में दर्ज ही नहीं हो पाई। अलग-अलग तरीकों से आजादी की लड़ाई लड़ी गई। रास्ते अलग-अलग होते हुए भी सभी का स्वप्न एक ही था-भारत माता को विदेशी बेड़ियों से मुक्त कराना। 15 अगस्त, 1947 ई. को यह स्वप्न पूरा हुआ और स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, लेकिन उसमें अब सिंध, बलूचिस्तान व सीमांत्र प्रांत शामिल नहीं रह गए थे। बंगाल और पंजाब

- दोनों अधिराज्यों का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जा सकता है।
- 4) यह निश्चित किया गया कि दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएँ जब तक अपने-अपने अधिराज्य का संविधान नहीं बना लेती, तब तक विधानमण्डल की सारी शक्तियाँ सभा के पास रहेंगी।
 - 5) 15 अगस्त, 1947 ई. के पश्चात् ब्रिटिश सरकार का किसी भी अधिराज्य पर अधिकार नहीं होगा।
 - 6) देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता दी गई और यदि ये रियासतें चाहें तो दोनों से अलग भी रह सकती हैं।

इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतन्त्र हो गया। वह देश के लिए एक गौरवपूर्ण दिन था। देश की स्वतन्त्रता के लिए लाखों करोड़ देशभक्तों ने संघर्ष किया और देश की स्वतन्त्रता के लिए हजारों ने शहादत दी। अन्त में करोड़ों देशभक्तों का स्वप्न साकार हुआ।

क्या आप जानते हैं? अंग्रेजी दस्तावेजों में भारत की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता न मानकर सत्ता का हस्तांतरण कहा गया है।

भारत का विभाजन

भारत में एक नए युग का आरम्भ हुआ परन्तु स्वतन्त्रता के साथ ही ऐसा का दुखद विभाजन भी हुआ। यद्यपि भारतीय नेता इस विभाजन के लिए तैयार नहीं थे फिर भी परिस्थितिवश उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। महात्मा गांधी ने भी परिस्थितियों से विवश होकर देश के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साम्प्रदायिकता की इस आग में पाकिस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं तथा सिक्खों की निर्मम हत्याएँ की तथा उनकी सम्पत्ति लूट ली। उनकी स्त्रियों एवं बेटियों के साथ अमानवीय अचार किया। लाखों की सख्त्या में सिक्खों, हिंदुओं की स्त्रियों एवं बच्चों को बलपूर्वक मुरलमान बनाया गया। इस साम्प्रदायिकता को देखते हुए डॉ. प्रेमवती घई का कहना पूर्णतः उचित है कि, “उस देश में, जहाँ गांधी जी ने अहिंसा को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया था, वहाँ लूटपाट, आगजनी, हत्याओं और बचात्कार की ऐसी घटनाएँ हुईं, जो विश्व ने चंगेज़ खाँ के पश्चात् नहीं देखी थी।”

जिन्ना की हठधर्मिता ने पाकिस्तान तो बना लिया पर समस्या का कोई व्यापक समाधान नहीं हो पाया। लगभग एक करोड़ हिन्दू तथा सिक्ख विस्थापितों के रूप में पाकिस्तान से भारत तथा पचास लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए।

पाकिस्तान के जन्म के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में था। एक पूर्वी पाकिस्तान व दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 ई. में अलग देश बांग्लादेश बन गया। पश्चिमी पाकिस्तान अपने पूर्ववर्ती रूप में आज भी विद्यमान है।

भारत के विभाजन के कारण

देश के विभाजन के कारणों पर इतिहासकारों एवं समकालीन राजनीतिक नेताओं में बहुत मतभेद हैं। भारत के लेखकों एवं इतिहासकारों ने देश के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग तथा उसके नेता मुहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी माना परन्तु इसके विपरीत पाकिस्तान के बहुत से लेखकों तथा राजनीतिज्ञों ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस तथा इसके नेताओं को दोषी बताने का प्रयत्न किया। वास्तव में भारत के विभाजन के लिए किसी एक व्यक्ति अथवा कारक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। विभाजन के अनेक कारणों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

- 1. अंग्रेज़ों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति :** भारत में अपनी फूट डालो बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपनाया। 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् भारत में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का पक्ष लेना और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने हिन्दुओं तथा मुसलमानों में आपसी फूट डालने का हर सम्भव प्रयास किया। इसके लिए उठोने 1905 ई. में बंगाल का विभाजन किया। 1909 ई. तथा 1919 ई. के अधिनियमों में भी मुस्लिम लालपायकता को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटिश सरकार की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति के परिणामस्वरूप ही 1947 ई. में भारत का विभाजन हुआ।
- 2. मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा :** भारत के विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा थी। 1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजी सरकार के प्रोत्साहन से ही हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्य में सफल कर दिया था कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व के रूप में उनके हितों की रक्षा करेगा। मुस्लिम लोग के कांग्रेस के साथ संबंध पाँच-छह वर्षों को छोड़कर सदैव कटुतापूर्ण रहे। साइमर कनीशन का विरोध करने तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने में मुस्लिम लीग ने गांधी जी का साथ नहीं दिया। 1939 ई. में जब ब्रिटिश सरकार की मनमानी नीति के विरोध में कांग्रेस के मन्त्रीमण्डल ने त्याग पत्र दे दिया तो जिन्ना ने मुसलमानों को 'मुक्ति दिवस' मनाने के लिए कहा। 1940 ई. में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए सांकेतिक स्वतन्त्र देश पाकिस्तान की मांग संबंधी प्रस्ताव पास करके अलग स्वतन्त्र राज्य के लिए संघर्ष करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिकता के कारण ही पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया।
- 3. जिन्ना की हठधर्मिता :** मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वह अपनी हठधर्मिता पर चलते हुए लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में साम्प्रदायिकता का राग अलापता रहा। उसने राष्ट्रीय आंदोलनों से दूरी बना ली तथा बेवल एवं केबिनेट योजना को असफल कर दिया। वह हर उस प्रस्ताव का विरोध करता रहा जिसमें पाकिस्तान का समर्थन नहीं था। उसने दंगे व कत्लेआम करवाकर कांग्रेस पर दबाव बनाया तथा

पाकिस्तान बनवाने में सफल हो गया।

4. कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति : मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मार्ग में बाधाएँ डालने की नीति अपनाई। दूसरी ओर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुस्लिम लीग का साथ चाहती थी। 1916 ई. का लखनऊ समझौता, 1919 ई. का खिलाफत आंदोलन तथा गांधी-जिन्ना वार्ता कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के उदाहरण थे। इनसे साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला। मुहम्मद अली जिन्ना से बार-बार प्रार्थना करने का परिणाम यह हुआ कि उसे अनुचित महत्व मिलता गया और वह सदा कांग्रेस का विरोध करने लगा। देश की दशा दिनों-दिन कमज़ोर होती जा रही थी। देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, जिनके पीछे मुस्लिम लीग का ही हाथ था। कांग्रेस को अब यह विश्वास हो गया था कि देश की शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे के बंटवारे का अस्वीकार करना आवश्यक है।

तुष्टीकरण : किसी वर्ग अथवा संप्रदाय को विशेष असम्मतियों
या सुविधाओं द्वारा तुष्टी करने की नीति

गतिविधि : वर्तमान राजनीति में तुष्टीकरण कंग्रेस की नीति पर चर्चा करें।



5. अन्तर्रिम सरकार की असफलता : कैबिनेट मिशन की योजनानुसार 2 सितम्बर, 1946 ई. को जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तर्रिम सरकार का स्थापना की गई। मुस्लिम लीग ने पहले इसका बहिष्कार किया परंतु बाद में इसमें शामिल हो गड़ा मुस्लिम लीग के लियाकत अली इस सरकार में वित्तमंत्री बने। वे इस सरकार के सफल संचालन में अवधारणा द्वारा रुक़ान करते रहते थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रत्येक सुझाव को अस्वीकार करना आरम्भ कर दिया। उसका वास्तविक उद्देश्य अंतर्रिम सरकार को असफल करना था। इसी समय मुस्लिम लीग के नेता ज़ोर-शोर से पाकिस्तान की मांग करने लगे। उन्होंने कई नगरों में दंगे भी करवा दिए। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस नेता यह अनुभव करने लगे कि मुस्लिम लीग से छुटकारा पाए बिना राष्ट्रीय सरकार के लिए सफलतापूर्वक कार्य करना सम्भव नहीं होगा।

6. मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही एवं साम्प्रदायिक दंगे : मुस्लिम लीग पाकिस्तान का निर्माण करने एवं सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16

अगस्त, 1946 ई. को प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी। उस दिन बंगाल विशेषकर कलकत्ता में दंगे हुए। यहाँ मुसलमानों ने सैकड़ों हिन्दुओं की हत्या कर दी तथा उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। शीघ्र ही साम्राज्यिक दंगों की यह आग भारत के अन्य स्थानों में विशेष रूप से नौआखली, त्रिपुरा, रावलपिंडी, जेहलम, मुल्तान, लाहौर, अमृतसर आदि में फैल गई। ऐसी परिस्थिति में निर्दोष जनता के खून-खराबे को बंद करने के लिए कांग्रेस देश के विभाजन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई।

7. इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री लार्ड एटली की घोषणा : 20 फरवरी, 1947 ई. को इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री मि. एटली ने अपनी घोषणा में जून 1948 ई. तक भारत छोड़ने की बात कही। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को बड़ी प्रेरणा मिली और उसने पाकिस्तान की शीघ्र प्राप्ति के लिए संघर्ष तेज कर दिया। उसने सरकार पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए दंगों का सहारा लिया। हिन्दुओं और मुसलमानों की गतुत इतनी बढ़ गई कि बंगाल, असम, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रान्तों में साम्राज्यिक दंगों से गृह युद्ध बाली स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को दो विकल्पों में से एक चुनना था। देश में गृह युद्ध अध्यवादेश का विभाजन। कांग्रेस ने दूसरा विकल्प चुना।

8. लार्ड माउंटबेटन के प्रयत्न : मार्च 1947 ई. में लार्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया गया। उन्होंने भारत-विभाजन की योजना को कार्यरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करके वह इस निर्णय पर पहुँचा कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता होना असंभव है। भारत-विभाजन से ही भारत की समस्या का गमन नहीं हो सकता है। उन्होंने ठोस तर्कों के आधार पर नेहरू तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बताया कि मुस्लिम लीग के कठोर व्यवहार तथा देश में बढ़ रहे दंगों के कारण भारत का विभाजन अनिवाय है। परिस्थिति से विवश होकर कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय के सुझाव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् 3 जून 1947 ई. को ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति लेकर माउंटबेटन में भारत के विभाजन की घोषणा कर दी।

9. कांग्रेसी नेतृत्व की सत्ता लोलुपता : विभाजन के प्रमुख कारणों में कांग्रेसी नेतृत्व की थकान और उसकी सत्ता लोलुपता को भी उत्तराखणी जाना जाता है। लगातार संघर्ष से कांग्रेसी नेतृत्व थक चुका था। वह अब और संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस के कुछ नेता यथाशीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त कर सत्ता भोगना चाहते थे। गांधी जी ने जब विभाजन का विरोध किया तो कांग्रेस के नेतृत्व ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, जिस वजह से गांधी जी ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार 1947 ई. में विभाजन के साथ आज़ादी मिली। भारत के कांग्रेसी नेताओं ने दंगों से भयभीत होकर शांति के लिए विभाजन स्वीकार किया था। एक प्रश्न अब भी जवाब की तलाश में है कि जब विभाजन दोनों देशों के बीच शांति के लिए ज़रूरी था, तो फिर आज तक वह शांति स्थापित क्यों नहीं

देशी रियासतों का एकीकरण

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संघ को विभाजन के साथ-साथ जिस समस्या का सामना करना पड़ा वह थी, रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना। आज़ादी के समय लगभग 562 के करीब रियासतें थीं, जिनका विलय भारतीय संघ में किया जाना था। इनमें से हैदराबाद जैसी बड़ी-बड़ी रियासतें थीं तो कुछ रियासतें छोटी थीं जोकि कुछ गांवों व कस्बों को मिलाकर बनी थीं। सरदार बल्लभभाई पटेल जिन्हें ‘भारत का बिस्मार्क’ व ‘लौह पुरुष’ भी कहा जाता है, एक ऐसे प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ थे जिनकी दूरदर्शिता एवं सूझ-बूझ से ही भारत का एकीकरण संभव हुआ। श्री वी. पी. मेनन को रियासतों के मन्त्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। वे भी एक बुद्धिमान तथा अनुभवी अधिकारी थे और उन्होंने रियासतों की समस्या को सफलतापूर्वक सुलझाने में सरदार पटेल के साथ मिलकर कार्य किया।

1. रियासतों की स्थिति : अधिकतर रियासतों के शासक प्रियंका सरकार के समर्थक थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से भी दूरी बनाए रखी थी। वे अपनी रियासतों में एक सानाशाह की तरह शासन करते थे। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना एक जटिल समस्या थी। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत की अंतरिम सरकार ने 25 जून, 1947 ई. को अलग से रियासतों का मन्त्रालय बनाया और सरदार बल्लभ भाई पटेल को इसका मन्त्री बनाया गया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता तथा बड़ी सूझ-बूझ से इस समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया।

2. सरदार पटेल की अपील तथा अधिकतर रियासतों का विलय : 4 जुलाई, 1947 ई. को सरदार पटेल द्वारा देशी शासकों से अपील गई कि देश के सार्वहिक हितों के लिए रियासतों को सुरक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार सम्बन्धी विषयों पर भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। तत्पश्चात् रियासतों के समायोजन सम्बन्धी पत्र तैयार किया गया। सरदार पटेल तथा उनके सचिव मेनन ने बहुत से शासकों से भेंट की और उनसे अधिमिलन सम्बन्धी पत्र पर हस्ताख्य करने की अपील की। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिकतर रियासतें स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गईं। 15 अगस्त, 1947 ई. के पश्चात् भारत की स्वतंत्र सरकार को रियासतों के सम्बन्ध में कवल जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर की समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इन रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया।

3. जूनागढ़ का विलय : जूनागढ़ काठियावाड़ के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक प्रमुख रियासत थी। इस रियासत की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत हिन्दू तथा 20 प्रतिशत मुसलमान थे। जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था। जूनागढ़ के भौगोलिक पक्ष से पाकिस्तान से कोई संपर्क न होने के बावजूद जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी। नवाब की इस घोषणा का वहाँ की जनता ने घोर विरोध किया। जूनागढ़ के

नवाब ने अपने पड़ोस की दो रियासतों मैगरोल तथा बाबरियावाड़ में अपनी सेनाएँ भेज दी। यह दावा किया कि ये दोनों रियासतें जूनागढ़ का ही भाग हैं जबकि ये दोनों रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। भारतीय सरकार ने इसका उचित उत्तर देने के लिए ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। इस समय तक जूनागढ़ में स्थिति बहुत खराब हो गई थी और एक लाख से भी अधिक हिन्दू जूनागढ़ छोड़कर चले गए थे। ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में सेना के पहुँचने पर नवाब ने पाकिस्तान से मदद की प्रार्थना की। मदद की कोई आशा न देखकर अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में नवाब अपने परिवार तथा धन-दौलत सहित विमान द्वारा कराची चला गया। 20 फरवरी, 1948 ई. को जूनागढ़ में जन्मत करवाया गया। इस जन्मत में 99 प्रतिशत मत भारतीय संघ में पार्श्वालित होने के पश्चात् थे। इस प्रकार जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया।



चित्र-1. जूनागढ़ का नवाब

4. हैदराबाद का विलय : हैदराबाद भारत की बड़ी रियासतों में से एक थी। 1947 ई. में मीर उसमान अली खाँ बहादुर, हैदराबाद का निजाम (शासक) था। हैदराबाद की रियासत में 85 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुओं की थी। जून 1947 ई. में निजाम ने एक फरमान जारी किया था, वह दोनों देशों की संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा तथा 15 जून 1947 ई. को उसकी रियासत एक स्वतन्त्र देश होगा। निजाम ने लार्ड माउंटबेटन से हैदराबाद के लिए एक अलग प्रतिनिधि ज्य की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। सरदार पटेल तथा वी. पी. मेनन (सचिव) ने निजाम के प्रतिनिधियों से अपील की कि हैदराबाद का भारत में समायोजन, भारत तथा हैदराबाद दोनों के हित में होगा परन्तु निजाम ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् भारत की स्वतन्त्र सरकार ने निजाम को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए दो महीने का समय दे दिया। निजाम ने लार्ड माउंटबेटन की हैदराबाद में जन्मत करवाने की मांग भी अस्वीकार कर दी।



चित्र-2. सरदार पटेल हैदराबाद के निजाम के साथ

29 नवम्बर, 1947 ई. में भारत की स्वतन्त्र सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हो गया। इसके अनुसार भारत सरकार तथा निजाम दोनों ने मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के हितों में काम करने का वचन

दिया। के. एम. मुन्शी को भारतीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैदराबाद भेजा गया, परन्तु हैदराबाद का निज़ाम अधिक समय तक इस समझौते की शर्तों पर टिक न सका। उसने अपने फरमानों द्वारा हैदराबाद से भारत जाने वाली सभी मूल्यवान धातुओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया। साथ ही उसने भारतीय सिक्कों को भी अवैध घोषित कर दिया। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के निज़ाम ने भारतीय सरकार की स्वीकृति के बिना रियासत की सेना की संख्या भी बढ़ा दी। हैदराबाद में रजाकर नामक मुस्लिम कट्टरपंथियों का एक सशस्त्र संगठन स्थापित हो गया। रज़ाकारों ने हैदराबाद के मुसलमानों को भड़काना आरम्भ कर दिया। भारत सरकार ने इसका विरोध किया परन्तु हैदराबाद के निज़ाम पर इसका कोई असर न पड़ा। अन्त में विवश होकर भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया।

13 सितम्बर, 1948 ई. को मेजर-जनरल जे. एन. चौधरी के नेतृत्व में सेना हैदराबाद भेजी गई। यद्यपि निज़ाम की सेना तथा रज़ाकारों ने भारतीय सेना का सामना किया परन्तु शीघ्र ही उन्होंने हथिगर उल्लंघन कर दिये। 18 सितम्बर, 1948 ई. को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और उस ए अधिकार कर लिया। मेजर-जनरल चौधरी को हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् निज़ाम ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी।

भारतीय सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पालो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पालो के मैदान थे। पांच दिनों तक चली इस कार्यवाही में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद सेट के 807 जवान तरे भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए जबकि 97 जवान घायल हुए।

5. कश्मीर का विलयन: कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। रियासत की बहुगंधक आबादी मुसलमानों की थी। इस रियासत की सीमाएँ भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ लगती थी। इसलिए दोनों देश इसे अपने देश में शामिल करने के इच्छुक थे, परन्तु कश्मीर का शासक किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहता था। उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों से बातचीत कर प्रचलित व्यवस्था कायम रखने संबंधी समझौता करने की इच्छा व्यक्त की। पाकिस्तान की सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये परन्तु भारत की सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।

कश्मीर की रियासत को अपने साथ मिलाने हेतु विवश करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने




चित्र-3. जवाहरलाल नेहरू
एवं शेख अब्दुल्ला



चित्र-4. कश्मीर के
राजा हरि सिंह

कश्मीर की आर्थिक नाकेबन्दी कर दी। पाकिस्तान ने कश्मीर को अनाज, पेट्रोल तथा कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बन्द कर दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में कबाइलियों द्वारा गड़बड़ी करवानी आरम्भ कर दी। कश्मीर के प्रधानमन्त्री मेहर चन्द महाजन ने पाकिस्तान के इन कार्यों की निंदा की एवं विरोध जताया परन्तु पाकिस्तान पर इसका कोई असर न हुआ।

22 अक्टूबर, 1947 ई. को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबाइली हमला करवा दिया। जम्मू कश्मीर की सेना ने कर्नल नारायण सिंह के नेतृत्व में कबाइलियों का मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान रियासत के कुछ मुसलमान सैनिक भी कबाइलियों के साथ मिल गये। परिणामस्वरूप कबाइलियों ने रियासत के कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तथा श्रीनगर की बिजली सप्लाई बन्द कर दी। कबाइलियों ने कश्मीर के जिलों में खूब लूटमार की। ऐसी परिस्थितियों में कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 ई. को भारत की परवार से सैनिक



जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर की रियासतें-1947 ई. में

सहायता की अपील की और अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं में कश्मीर में युद्ध आरम्भ हो गया। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थिता के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 1949 ई. को युद्ध समाप्त हो गया। भारत सरकार ने समस्त कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। कश्मीर की यह समस्या अब तक भारत तथा पाकिस्तान में विवाद का कारण बनी हुई है।

6. एकीकृत भारत का निर्माण : देसी रियासतों का भारत में विलय भारत की एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यह अनुभव किया गया कि छोटे राज्यों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकेंगी इसलिए सरदार पटेल ने छोटे राज्यों को निकट के राज्यों में मिला दिया। बड़ौदा जा राज्य बम्बई गांत में तथा इसी प्रकार पेस्सू, राजस्थान, मध्य भारत, सौराष्ट्र तथा विंध्य प्रदेश एकीकृत रूप्य बने। मैसूरु, जम्म-कश्मीर तथा हैदराबाद को पूर्ववत् सीमा में ही रहने दिया गया।

7. राज्यों का वर्गीकरण : विलय के बाद चार प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। सोविधान के अनुसार ये राज्य वर्ग थे – अ, ब, स और द। ‘अ’ वर्ग में वो राज्य शामिल किए गए जो ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे। ‘ब’ वर्ग में वो राज्य रखे गए जो देसी रियासतों को अल्पका बने थे। ‘स’ वर्ग में वो राज्य थे जो चीफ कमिशनरों के अधीन थे। ‘द’ वर्ग में केवल अण्डमान निकोबार का राज्य था।

8. राज्यों का पुनर्गठन : 1953 ई. में भारत सरकार ने ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ गठित करके 1956 ई. में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया। भाषा के आधार पर भारत में 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। अ, ब, स और द प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।

रियासतों के शासकों की प्रशासन सम्बन्धी शक्तिकर्ता तथा अधिकार समाप्त कर दिए गए। उनके एवं उनके परिवारों के खर्च के लिए कार्बन धनराशि निश्चित कर दी गई। रियासतों के मेल से बने राज्यों में लोकतन्त्रीय शासन तथा उत्तरदायी प्रकारों की स्थापना की गई। देश के राजनीतिक एकीकरण के लिए यह एक रक्तपात-रहित क्रान्ति थी। इसकी तलना बिस्मार्क द्वारा जर्मनी तथा कैवूर द्वारा इटली के एकीकरण से की जाती है।



चित्र-4. सरदार वल्लभ भाई पटेल
(भारत)



चित्र-5. कैवूर
(इटली)



चित्र-6. ओटो वॉन बिस्मार्क
(जर्मनी)

विस्थापितों का पुनर्वास

15 अगस्त, 1947 ई. को स्वतंत्रता के साथ हुए विभाजन से एक नए देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। विभाजन के साथ ही देशांतरण की शुरूआत हुई। वह समय विस्थापितों के लिए अत्यन्त कठिन एवं दुःखदायी था। एक ओर आजादी की खुशियाँ मनाई जा रही थीं दूसरी ओर कल्पेआम, आगजनी, भयंकर रक्तपात लगभग पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले चुका था। खुन से लथपथ विस्थापितों से भरी रेलें, गाड़ियाँ, ट्रक, रोज भारत पहुँच रहे थीं। जरूरत थी उनके आँसू पोंछकर आश्रय देने की। यह कार्य बहुत ही कठिन था। राहत कार्य के लिए सारे देश में एक जैसी नीति अपनाई गई। सीमा रेखा के पास अटारी, अबोहर, फाजिल्का, अमृतसर, खेमकरण तथा ननकाना साहिब में ट्रांजिट शिविर लगाए गए। यहां से विस्थापितों को विशेष शिविरों में भेजा जाता था।



चित्र-7. पाकिस्तान से आ रहे विस्थापित

- 1. विस्थापितों की समस्याएँ :** विभाजन के कारण लालू अधिक दुःख लेने मुसीबतें पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिन्दुओं और सिक्खों को सहनी पड़ी। उनके मामने समस्याओं का एक बड़ा पहाड़ था। विस्थापित होकर भारत आए इन लोगों की प्रमुख समस्याएँ निम्नालिखित थीं :
- क)** पहली समस्या विस्थापितों के लालू निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी। लाखों की संख्या में हिन्दू तथा सिक्ख अपने-अपने गाँव, शहर तथा घरों को छोड़ कर भारत आ गए थे। उनके पास भारत आने पर न घर था न ही छत और घर की नीचे रहकर ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
 - ख)** विस्थापितों को दूसरी बड़ी समस्या भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की थी। पाकिस्तान से भारत आते हुए इन लोगों की धन-संपत्ति भी लूट ली गई थी। अब इनके पास भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए धन भी नहीं था।
 - ग)** तीसरी समस्या जमीन की थी। जो सिक्ख तथा हिन्दू जमींदार पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत आने पर उनके पास कोई जमीन नहीं थी जिस पर वे खेती कर सकें जबकि पाकिस्तान में उनके पास कृषि योग्य उपजाऊ ज़मीन थी।
 - घ)** चौथी समस्या रोजगार एवं व्यवसाय की थी। अधिकतर हिन्दू तथा सिक्ख विस्थापित पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले थे और वहां उनका अच्छा व्यापार चलता था। इनमें कई अमीर साहूकार एवं व्यापारी थे। अनेक लोगों के पाकिस्तान में अपने उद्योग धन्धे थे।

ड.) विस्थापितों की पांचवीं समस्या बिछुड़े हुए अपनों से मिलने की थी। भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आ रहे हिन्दू तथा सिक्ख विस्थापितों के परिवार बिखर गए। विस्थापन के अराजक माहौल में कई परिवारों से उनके सदस्य बिछड़ गए। ये लोग या तो दंगे की भेंट चढ़ गए या उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया।

इसके अतिरिक्त भारत में आए इन विस्थापितों को भारी भीड़, अत्यधिक वर्षा से कई नदियों में बाढ़ आने के कारण अव्यवस्था की स्थिति तथा कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा।

विस्थापितों की समस्याएँ

- निवास स्थान।
- भोजन, वस्त्र व आवश्यक सामग्री।
- कृषि योग्य भूमि।
- व्यवसाय व रोजगार।
- बिछुड़े व बिखरे परिवार
- स्वास्थ्य

भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, वे 47 लाख एकड़ भूमि छोड़कर आए थे। जबकि हिन्दू-सिक्ख पाकिस्तान में 67 लाख एकड़ भूमि छोड़कर भारत आए थे। ऐसी ही स्थिति घरों व व्यवसायों की भी थी।

2. पुनर्वास विभाग की स्थापना : भारत विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आए हिन्दू एवं सिक्ख विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्या अत्यन्त कठिन तथा गम्भीर थी। जिसका पंजाब तथा भारत सरकार को कई तरफ़ तक सामना करना पड़ा। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष ‘पुनर्वास विभाग’ की स्थापना की गई। भारत का सरकार ने पुनर्वास विभाग के माध्यम में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

3. विस्थापितों के लिए शिविरों का न्यवस्था : भारत सरकार द्वारा स्थापित ‘पुनर्वास विभाग’ ने विस्थापितों के रहने एवं उनकी देखभाल के लिए कई शहरों में विस्थापित शिविर स्थापित किए। इन विस्थापित शिविरों की संख्या 160 थी। इनमें लाखों लोग रहते थे। भारत सरकार ने सेना की सहायता से कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े विस्थापित शिविर की व्यवस्था की जिसमें लगभग 3 लाख विस्थापित रहते थे। इन शिविरों में विस्थापितों के लिए भोजन, कपड़े, आदि देने की व्यवस्था की गई। बीमार व्यक्तियों के लिए डॉक्टर तथा निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई। विस्थापितों के लिए राशन कार्ड बनाए गए ताकि उन्हें आटा, चावल, दाल आदि वस्तुएँ दी जा सकें। स्त्रियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से जालन्धर में एक ‘सेवा सदन’ की स्थापना की गई।

पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास दो प्रकार से किया गया शहरी पुनर्वास व ग्रामीण पुनर्वास। इन शरणार्थियों को उसी प्रकार बसाया जाना था जैसे वो पाकिस्तान में छोड़कर आए थे। जो लोग शहरों से आए



चित्र-8. शरणार्थी



चित्र-9. शरणार्थी शिविर

थे उनको शहरों में बसाने का प्रयास किया गया जो लोग गाँव छोड़कर आए थे उनको गाँव में बसाया जाना था।

4. मकानों तथा दुकानों की व्यवस्था : भारत सरकार के सामने विस्थापितों का नगरों में बसाने के लिए सबसे आवश्यक काम उनके लिए मकानों की व्यवस्था करना था। पाकिस्तान छोड़कर आए हिन्दू तथा सिक्ख विस्थापितों का रहन-सहन का स्तर भारत छोड़कर गए मुसलमानों से बहुत अच्छा था। पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू तथा सिक्ख वहाँ 154000 बढ़िया मकान तथा लगभग 51000 दफ़ानें छोड़कर आए थे। जो मुसलमान पाकिस्तान गये थे यहाँ 112000 हजार छोटे सरकार के मकान तथा केवल 17000 दुकानें छोड़कर गये थे। अतः अनेक विस्थापितों को मकान तथा दुकानें अलाट न की जा सकी। इसलिए सरकार ने उन्हें मुआवज़ा दिया तथा नई कालोनियों में रहने की व्यवस्था करवाई।

5. कृषि भूमि का आवास : विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से लगभग तीन लाख पचास हजार किसान अपनी भूमि को छोड़कर भारत आ गये थे। इनमें कुछ छोटे किसान थे और कुछ बड़े किसान थे। ये लोग पाकिस्तान में लगभग 67 लाख एकड़ कर्जी योग्य भूमि छोड़ कर आए थे जबकि भारतीय पंजाब (पूर्वी पंजाब) में कृषि योग्य भूमि केवल 47 लाख एकड़ ही थी। अतः विस्थापित किसानों को कृषि योग्य भूमि आर्बाटित करने के लिए सरकार ने एक यातना बनाई। इसके अनुसार ज़मीनों का आबंटन करते समय बड़े किसानों को दी जाने वाली ज़मीन पर अधिक कटौती तथा छोटे किसानों को दी जाने वाली भूमि पर कम कटौती करने की व्यवस्था की गई। उदाहरणस्वरूप जो किसान 500 एकड़ भूमि छोड़ कर आए थे उन्हें 126 एकड़ तथा जो किसान 10 एकड़ भूमि छोड़ कर आए थे उन्हें 7.5 एकड़ भूमि दी गई।

6. विस्थापितों की आर्थिक सहायता : भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान में रहने वाले कई धनी साहूकार कंगाल हो गये। इनमें से अधिकतर का व्यवसाय कई पुश्तों से पैतृक था। परन्तु वहाँ उनकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। भारत की सरकार ने ऐसे विस्थापितों की

आर्थिक सहायता कर उनके पुनर्वास में सहायता की। उन्हें कम ब्याज दरों पर कर्जे उपलब्ध करवाए गए। 1954 ई. तक भारतीय सरकार ने लगभग 4 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था।

7. विस्थापितों को मुआवज़ा : विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आए विस्थापितों की संपत्ति से संबंधित रिकार्ड देने में आरम्भ में पाकिस्तान ने टाल-मटोल की परन्तु बाद में पाकिस्तान की सरकार ने यह रिकार्ड भारत की सरकार को उपलब्ध करवा दिया। इसी के आधार पर ही भारत सरकार ने विस्थापितों को मुआवजा देने का निर्णय लिया। अतः 1955 ई. में मुआवजा स्कीम को अन्तिम रूप दिया गया। विस्थापितों से मुआवजे के लिए अपने-अपने दावे भरवाए गए। इन दावों में मांगी गई राशि में कटौती करने का एक फार्मूला बनाया गया जिसके आधार पर विस्थापितों को मुआवजे की राशि दी गई। विस्थापितों को मकान तथा दुकानें आदि भी दी गई और उन पर उनका स्थायी अधिकार मान लिया गया।

8. स्त्रियों तथा बच्चों का निकास : 1947 के दंगों के दौरान खड़ा संख्या में हैनू तथा सिक्ख स्त्रियों, लड़कियों तथा बच्चों को अगवा कर लिया गया था। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। स्त्रियों तथा लड़कियों को एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ले व दिया जाता था। उनका चबूत्र विवाह तथा धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इन अगवा की गई स्त्रियों तथा लड़कियों की खोज करके उनको सुरक्षित भारत लाना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस उद्देश्य से भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मन्त्रियों में एक समझौता हुआ। उसके अनुसार इस प्रकार की मध्मी सेवायों तथा बच्चे का एक दूसरे देश को वापिस किया जाए। इसके लिए स्थानीय पुलिस तथा समाज सेवा संगठनों की सहायता ली गई। तलाश करने के पश्चात् सरकार ने उन स्त्रियों तथा बच्चों के पुनर्वास के उचित प्रबंध किए।

9. बेसहारा स्त्रियों तथा अनाथ बच्चों का पुनर्वास : पाकिस्तान से खोजकर भारत लाई गई अनेक स्त्रियाँ विधवा हो गई थीं तथा कई बेसहारा थीं। सरकार ने इन विधवा तथा बेसहारा स्त्रियों के लिए सात आश्रम खोले। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक संस्थाओं जैसे आर्य समाज आदि ने बेसहारा स्त्रियों के लिए आश्रम स्थापित कर उन्हें योग्यतानुसार प्रशिक्षण दिया। लाक वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इन स्त्रियों के साथ-साथ भारी संख्या में बेसहारा तथा अनाथ लड़के भारत आए थे। उनके लिए अनाथालय स्थापित किये गये। ऐसे बच्चों को अनाथालयों अथवा गुरुकुलों में भेज दिया गया जहाँ उनकी शिक्षा तथा काम धन्धों के लिए प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया।

10. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों का पुनर्वास : स्वतंत्रता के साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के साथ-साथ पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ। पंजाब की तरह बंगाल को भी बाँट दिया गया। बंगाल से भी विस्थापितों का भारत की तरफ पलायन शुरू हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से हुए देशान्तरण में भिन्नता थी। पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित बहुत कम समय में भारत आ गए जबकि पूर्वी

पाकिस्तान से लम्बे समय तक देशान्तरण होता रहा। बड़ी संख्या में हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान में रुक गए थे। जब भेदभाव बढ़ा तो वे परेशान होकर भारत आने लगे। आज भी यह क्रम जारी है।

इस प्रकार कई वर्षों के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य पूरा किया जा सका। इस कठिन कार्य में कई प्रकार की कमियाँ एवं भ्रष्टाचार सामने आया। सबसे बड़ा पुनर्वास का श्रेय विस्थापितों को ही जाता है, जिन्होंने असाधारण साहस से काम लेते हुए दिन-रात परिश्रम किया और छोटे-छोटे काम करने में भी नहीं हिचकिचाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी शरणार्थियों के पुनर्वास में योगदान दिया। समय बीतने के साथ-साथ उन्होंने शहरों में अपने अच्छे व्यवसाय स्थापित कर लिए। गांधी ने बसने वाले लोकसानों ने कृषि के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की।

तिथिक्रम

1. मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ई.
2. मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 ई.
3. लार्ड एटली की घाषणा 20 फरवरी, 1947 ई.
4. अंतरिम सरकार द्वारा रियासतों के संग्रहालय का गठन 25 जून, 1947 ई.
5. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई, 1947 ई.
6. भारत का स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त, 1947 ई.
7. कश्मीर पर पाकिस्तान प्रायोजित कबाइली हमला 22 अक्टूबर, 1947 ई.
8. जूनागढ़ से जनसत संग्रह 1948 ई.
9. भारतीय सेना का हैदराबाद पर अधिकार 1948 ई.
10. बांग्लादेश का निर्माण 1971 ई.

1 फिर से जानें :

1. सरदार बल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।
2. स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं।
3. कश्मीर के शासक का नाम महाराजा हरि सिंह था।
4. भारत का विभाजन साम्प्रदायिकता के आधार पर हुआ।
5. जिन्ना का संबंध मुस्लिम लीग से था।
6. शरणार्थियों का सबसे बड़ा शिविर कुरुक्षेत्र में लगा।

2 आइये विचार करें :

1. भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ?
2. क्या विभाजन को टाला जा सकता था?
3. रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर विचार करें।
4. जूनागढ़, हैदराबाद एवं कश्मार के विलय पर विचार करें।
5. विस्थापितों की समस्याओं का वर्णन करें। हाँ, उनके पुनर्वास पर चर्चा करें।

3 आओ करफे दें :

1. अपने आस-पास के निसी शरणार्थी परिवार से संपर्क कर उनसे विभाजन एवं विस्थापन पर चर्चा करें। एक लेख लिखें।
2. शरणार्थियों की जीवन शैली के स्थानीय जनता पर पड़े प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए।

4 कल्पना करें :

1. आप शरणार्थी शिविर में रह रहे एक विस्थापित हैं। आपके सामने कौन-कौन सी समस्याएं आएंगी तथा उनके आप क्या उपाय करेंगे?

आओ सीखें

इस कक्षा के पिछले अध्यायों में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

- हरियाणा की भूमि पर क्रांति का सूत्रपात
- 1857 ई. की क्रांति में हरियाणा के विभिन्न जिलों की भूमिका
- क्रांतिकारियों की भूमिका
- राष्ट्रीय चेतना का उदय के विकास
- देशव्यापी आंदोलनों में हरियाणा की भूमिका

हुए। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में हेयहाँ के लोगों की भूमिका अमूल्य रही है। किसान हो या व्यापारी, मजदूर हो या कर्मचारी सभी वर्गों ने गष्ठ की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन

1803 ई. में दौलत राव सिंधिया से सुर्जीर्जुन गाँव की संधि करके हरियाणा के क्षेत्र को कम्पनी ने अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात् अंग्रेजी कम्पनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। एक तो सीधे नियन्त्रण का क्षेत्र जैसे पानीपत, सोनीपत, पालमपुर, नूँह, हथीन, सोहना, पलवल तथा रेवाड़ी थे। इस क्षेत्र को रेजीडेण्ट के नियन्त्रण में रखा गया तथा डिविजनों में विभाजित किया गया। दूसरा, बचा हुआ क्षेत्र उन सामन्तों एवं सरदारों को दिया गया जिन्होंने आंग्ल-मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। राव तेजसिंह को रेवाड़ी

भारतवर्ष के इतिहास विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 10 मई एक स्मरणीय दिवस है। इस दिन अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर करने के संग्राम का सूत्रपात हुआ था। भारत में अंग्रेजी कम्पनी के शासन का अंत करने और उससे देश को मुक्ति विजाने के लिए जो क्रांति हुई उसका जनभूष्म हरियाणा के अम्बाला से हुआ था। हरियाणा भारत का छोटा किन्तु समृद्ध प्रदेश है। भारत के इतिहास में इसका हमेशा से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रदेश में भारतीय संस्कृति का ताना-बाना बुना गया एवं वैदिक ऋचाओं, स्मृतियों व पुराणों का उद्घोष किया गया। श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश भी यहाँ दिया। यहाँ प्रभाकरवर्धन तथा हर्षवर्धन जैसे पराक्रमी शासक और बाणभट्ट सरीखे महाकवि भी


का शेष भाग, अहमद बख्श को रोहतक व हिसार, हांसी की बेगम शमरू को करनाल व गुडगाँव के कुछ गाँव, अहमद बख्श को लाहौर व फिरोजपुर-झिरका का क्षेत्र, मुहम्मद अली खाँ को पलवल का शेष भाग, पुराने शासकों को बल्लभगढ़, जीन्द, थानेसर आदि क्षेत्र दिए गए।

नई प्रशासनिक व्यवस्था ने हमारी प्रजातंत्रीय एवं स्वावलंबी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और यहाँ की जनता का खूब आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक शोषण किया। अब हरियाणा के लोग चाहे वे किसान हों या रियासतों के मालिक सभी अंग्रेजी कम्पनी से असन्तुष्ट हो गए। अतः लोगों ने कम्पनी शासन के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। हरियाणा के विभिन्न भागों में जैसे अम्बाला, कुरुक्षेत्र व करनाल में राजपूतों, सैनियों, सिक्खों ने, रोहतक में जाटों तथा रांघड़ों ने एवं गुडगाँव में मेवों, अहीरों तथा गुर्जरों ने और हिसार में भूजियों, रांघड़ों व बिशनोइयों ने सशस्त्र संघर्ष किए। इन संघर्षों को दबाने के लिए सैनिक बल का प्रयोग किया गया। सैकड़ों निर्दोषों की हत्याएँ कर दी गई तथा संघर्षों को दबा दिया गया। जनता पर अब और भी जावक आर्थिक शोषण का बोझ लाद दिया गया। फिर भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने कभी भी अंग्रेजों का अपने शासक के रूप स्वीकार नहीं किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की भूमिका

1. 1857 ई. की महान क्रांति में योगदान : 1803 ई. से 1856 ई. तक अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक व धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप और जानलैजा आर्थिक शोषण के कारण यहाँ की जनता में गहरा असंतोष पैदा हो गया। अंग्रेजों ने लोगों के जीवन के प्रत्येक पक्ष में असीमित हस्तक्षेप किया जिसके फलस्वरूप जनता के मन में उनके प्रति घृणा का भावना उत्तरान की हुई।

इस क्रान्ति में साधारण जनता से लेकर ऐनिकों तथा रियासतों के शासकों सहित सभी ने भाग लिया। रेवाड़ी के राव तुलाराम, बल्लभगढ़ के राजनाहर सिंह आदि प्रमुख शासक थे, जिन्होने क्रान्ति में हरियाणा का नेतृत्व किया। क्रान्ति की ज्वाला अम्बाला, रेवाड़ी, गुडगाँव, हांसी, रोहनात, रोहतक, हिसार, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़ आदि स्थानों पर पूरी तरह से धधकती रही। यहाँ की जनता ने निरन्तर फिरंगियों से लोहा लिया। 1857 ई. की क्रान्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ दमनचक्र चलाया। हजारों निर्दोष लोगों को जेलों में डालकर उन्हें विभिन्न तरह की यातनाएँ दी गई। बदले की भावना से अनेक गाँवों को जला दिया गया। सम्पत्तियाँ जब्त की गईं। हरियाणा वासियों



चित्र-1. 1857 ई. की महान क्रान्ति

को क्रान्ति में भाग लेने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। केवल रोहतक में 159 व गुडगाँव में 228 क्रांतिकारियों को फाँसी दी गई थी। कई गांवों को जला दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप यहाँ गरीबी एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। फिर भी यह क्रान्ति हरियाणा के निवासियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुई।

1857 ई. में अम्बाला, करनाल, गुडगाँव, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार जिलों में आजादी के दीवानों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ अपना संघर्ष गाँव-गाँव तक जारी रखा। इसकी लंबी दास्तान है। गाँव-गाँव में हुए अनेक घटनाक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। साहस, त्याग और बलिदान की यह लम्बी गाथा है।

1.1 अम्बाला में क्रान्ति : यह हरियाणा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस क्रान्ति का अग्रम्भ हरियाणा से हुआ। मेरठ में यह क्रान्ति की ज्वाला भड़कने से नौ घंटे पहले अम्बाला में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने वाली फौज में प्रमुख रूप से 60वीं व 5वीं देशी पलटवें थी। परन्तु इनके विद्रोह को दबा दिया गया। अम्बाला में विद्रोह की विफलता का कारण शामसिंह नामक एक सैनिक था जिसने मंग्रेजों को इस योजना की खबर पहले ही दे दी थी तथा अंग्रेज अधिकारी पहले ही तैयार थे। इस तरह हरियाणा में क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी थी।

1.2 गुडगाँव एवं बल्लभगढ़ में क्रान्ति : 13 मई को 300 सैनक गुडगाँव पर आक्रमण करने के लिए बढ़ चले। गुडगाँव के कलैक्टर-मैजिस्ट्रेट फार्ड ने उन क्रांतिकारियों को रोकने का असफल प्रयास किया। 14 मई को क्रांतिकारियों ने गुडगाँव के कलैक्टर ऑफिस पर आक्रमण कर दिया। फोर्ड मुड़ाव छोड़ कर भोंडरी होते हुए मथुरा की तरफ आ गया। क्रांतिकारियों ने वहाँ के खजाने से 78000 रुपये हाथ तोगा। गुडगाँव के पास स्थित बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ने क्रान्ति में बढ़-चढ़कर भाग लिया परन्तु धोखे से अंग्रेजों ने सन्धि के बहाने उन्हें गिरफ्तार करके 9 जनवरी, 1858 ई. को फाँसी दे दी।



राजा नाहर सिंह

1857 ई. की क्रान्ति में भाग लेने पर दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम फाँसी पर लटका दिया गया।

चित्र-2. राजा नाहर सिंह

गतिविधि : राजा नाहर सिंह पर अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके एक निबंध लिखें।




1.3 हांसी में क्रांति : 1857 ई. में क्रांति के समय हांसी छावनी में अंग्रेजों की हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री की दो कम्पनियां, चौथी इररेग्युलर केवलरी के 900 सवार, दादरी केवलरी के 800 सवार तैनात थे। 15 मई को चौथी इररेग्युलर केवलरी के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। बाकी दिल्ली की ओर चल पड़े। इसके 14 दिन बाद शेष सैनिकों ने भी बगावत कर दी। हांसी क्षेत्र में रांधड़ नौजवान सैनिक थे, जिनमें पुट्ठी गाँव के मंगल खान व उसके सहयोगी कैदे खाँ ने सबसे पहले बगावत का बिगुल बजाया। इसी फौजी क्षेत्र में आजकल कोर्ट, तहसील, विश्रामगृह व गांधी कॉलोनी है। हरियाणा लाईट इन्फैन्ट्री के सूबेदार गुरुबख्हा सिंह ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों के आवास, दफ्तर जला दिये गए व सम्पत्ति लूट ली गई। परंतु अंग्रेजी फौज को अंग्रेज परस्त देसी रियासत बीकानेर के राजा से 1100 घुड़सवार सैनिक मिलने से स्थिति पलट गई। हांसी के आसपास के गाँव जमालपुर, हाजिमपुर, भाटल, अलीपुर और मंगाली के क्रांतिकारियों को हांसी लाकर मुख्य बाजार में पथर की गिरड़ी के नीचे कुचलवा दिया गया, जिस कारण यह सड़क आज भी ताल बड़क के नाम से जानी जाती है।

1.4 रोहनात में क्रांति : गाँव रोहनात हांसी से आठ माह दूक्षण की ओर आबाद है। अंग्रेज सैनिकों ने 800 घुड़सवार व 4 तोपें लेकर तोप्पाम पर हमला किया और उसके बाद रोहनात गाँव पर अंग्रेजी सेना व बीकानेर के सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया, जिसका गाँव के देशभक्त क्रांतिकारियों ने जेली, बल्लम, गंडासों आदि हथियारों से डटकर मुकाबला किया। इसमें क्रांतिकारियों की जीत हुई। परंतु सितम्बर के आखिरी दिनों में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होने लगी। अंग्रेजों ने नापा के साथ गाँव रोहनात पर हमला किया। बहुत से हिस्सों को जला दिया गया जिसमें सैंकड़ों क्रांतिकारी शहीद हुए। ‘मंगल खाँ’ व ‘बिरड़ दास बैरागी’ को तोप से उड़ा दिया गया व ‘रूपा खाती’ को मार डाला गया। अन्य साथियों को हांसी ले जाकर पथर की गिरड़ी के नीचे कुचल दिया गया।

1.5 हिसार में क्रांति : हांसी में विद्रोह की ज्वाला सुलगने के तीन घंटे बाद हिसार जिले के मुख्यालय में भी विद्रोह भड़क उठा तब हिसार जिले के जिलाधीश डिप्टी कमिश्नर मि. बेडर्बन को उनके परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। विद्रोहियों ने हिसार के खजाने से एक लाख सत्तर हजार रुपये अपने कब्जे में ले लिये। इस विद्रोह की आग में हांसी व हिसार में कुल 23 अंग्रेज अफसरों का वध किया गया। हाजिमपुर, जमालपुर, भाटोल रांगड़ान आदि गाँव के लोगों ने अपने स्वदेशी हथियारों के साथ हमला किया और किले में 11 अंग्रेज अफसरों को मार डाला।

लाला हुक्मचंद जैन

1857 ई. की क्रांति में सक्रिय योगदान के कारण अंग्रेजों ने लाला हुक्मचंद जैन (कैननगो) को हांसी में उनके घर के सामने फाँसी पर बटका दिया गया।



1857 की प्रतिरक्षा स्वतंत्रता क्रान्ति


चित्र-३ लाला हुक्मचंद जैन

1.6 सिरसा में क्रांति : 11 मई को यह महान क्रांति दिल्ली से गुड़गांव-झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक-महम-हांसी-भिवानी-हिसार होते हुए अगले दिन दोपहर को दो बजे सिरसा पहुंची। क्रांति की लहर के वशीभूत हरियाणा लाइट पलटन तथा चौदह नम्बर की टुकड़ी ने सिरसा नगर में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। रानियां के भट्ठी नवाब नूर समद खां ने अपने चाचा गुलाम अली खां के साथ 4000 भट्ठी सैनिकों को लेकर सिरसा पर कब्जा कर लिया व अपने आपको गवर्नर घोषित कर दिया।

भट्ठी नवाब नूर समद खां रानियां का कुल तीन सप्ताह तक सिरसा पर अधिकार रहा। चीफ कमिश्नर सर जॉन लारेंस के आदेश पर 8 जून, 1857 ई. को फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर जनरल वान कोर्टलैंड ने 550 और फौजी व दो तोपों के साथ इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा करने के लिए कूच किया। फिरोजपुर से न्यूटोट-ओढ़ां के मार्ग पर 17 जून को नवाब नूर समद खां अपने चाचा के साथ 4000 सैनिकों को साथ लेकर वान-कोर्टलैंड का सामना करने आ डटे। आसपास के ग्रामीण भी आ जुटे। डट कुरु मुकाबला हुआ, किन्तु तोपों के सामने हार माननी पड़ी। 530 सैनिक गवांकर नवाब लुधियाना की ओर भाग गया। बाद में गवांड़ जाने पर उन्हें फाँसी दे दी गई।

1.7 रेवाड़ी में क्रांति : राव तुलाराम दूर-दृष्टि रखने वाला एक जनरत्न था। उसने पटौदी की इस छोटी-सी टक्कर से शावर्स की सेना की ताकत का अंतजा करा लिया। उन्हें अच्छी तरह यह बात समझ आ गई कि रामपुरा के कच्चे किले में शावर्स की टक्कर भेने का अर्थ है कि विग्रह शावर्स की सेना को हानि पहुंचाए अपने को पूरी तरह खत्म करना। शावर्स के रेवाड़ी पहुंचने से पहले ही राव तुलाराम ने 5 अक्टूबर, 1857 ई. को अक्तों खाली कर दिया। कपान हड्डान राव तुलाराम की रैमिलिट्री तैयारी से बड़ा ही आश्चर्य घकित हुआ और उसने अपनी पत्नी को इस प्रकार पत्र लिखा :


“वह बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। यदै उसने मुस्तैदी से काम लिया होता तो इस क्षेत्र में हमारी ताकत को समाप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति होता। उसकी व्यापक तैयारी थी और सैनिक साजो-सामान, तोप, तोप गाड़ी व बारूद और सभी प्रकार का सामान तैयार करने के लिए एक बड़ी वर्कशाप थी। उसने पहले से ही बहुत तैयारी कर रखी थी। एक-दो महीने में ही उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती कि आस-पास के सब इलाकों पर उसका अधिकार हो जाता और पटियाला, जींद जैसा बड़ा राज स्थापित कर लेता।”



चित्र-4. राव तुलाराम

राव तुलाराम पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सहायता के लिए विदेश जाने का प्रयास किया परन्तु अफगानिस्तान तक ही पहुंच पाए और काबुल में 23 सितम्बर, 1863 ई. को उनका देहांत हो गया। इनके बलिदान के कारण ही रेवाड़ी को 'वीरभूमि' भी कहा जाता है।

1.8 नसीबपुर का युद्ध : यह युद्ध 1857 ई. की क्रांति में हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ब्रिगेडियर जनरल शावर्स के आक्रमण के समय रेवाड़ी के राव तुलाराम, उसके चाचा राव किशन सिंह व भाई राव गोपाल देव, झज्जर के जनरल अब्दुस समद खान और भट्टू कलां के मोहम्मद आजम सुरक्षित स्थानों की तरफ चले गये थे।



यहां नसीबपुर में राव तुलाराम की सेना का नेतृत्व राव किशन सिंह कर रहे थे, जिनके साथ उनके छोटे भाई राव रामलाल भी थे। क्रांतिकारी सेना नारनौल शहर के बीच एक मजबूत और विशाल सराय में एकत्रित थी। उनकी संख्या लगभग 5000 थी, जिसमें 4000 पैदल सेना व 1000 घुड़सवार सैनिक थे। उनके पास आधा दर्जन मध्यम श्रेणी की बंदूकें थीं। तो पखाना बहुत कमजोर था इसलिए वे पैदल सेना व घुड़सवार सेना पर ही आश्रित थे।

नसीबपुर में कर्नल जेरार्ड कुछ दूर अपनी सेना के पुनर्गठन के लिए रुका। सेना ने अपना भोजन व सुरापान किया तभी उन्हें एक ढलान के पार धूल के बादल उड़ते दिखाई दिए, यह राव किशन सिंह की सेना का आक्रमण था। यह सचमुच सेना की एक बड़ी भूल थी। उन्होंने ब्रिटिश सेना के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं की और अपना धैर्य खो दिया। मालेसन कहता है सचमुच में उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य रखा होता और आक्रमण की प्रतीक्षा की होती तो जेरार्ड की स्थिति उसके नियन्त्रण से बाहर होती। लालकि जेरार्ड भी मृत्यु को प्राप्त हुआ परंतु साथ-साथ राव किशन सिंह भी वीरगति को पापा हुए। दुश्मन ने उनकी गर्दन पर तलवार से वार किया जिससे उनकी गर्दन कट गई। आज भी कवाली गांव में उनकी सादगी जैसे बाबा राव जी की छतरी बनी हुई है।

2. राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं विकास : उनीसवाँ शताब्दि में हरियाणा में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। इन सुधार आंदोलनों में संग्रह में एक तरफ जागृति आई जिसमें लोगों की शिक्षा और साहित्य में रुचि बढ़ने लगी और राष्ट्रीय भावना और अधिक प्रगाढ़ होने लगी। ये सामाजिक-धार्मिक आंदोलन थे- आर्य समाज, सनातन धर्म आंदोलन, मिहनामा आंदोलन आदि। इन संगठनों के उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- 1) अन्धविश्वास एवं आडम्बरों से दूर होना तथा जाति प्रथा का विरोध करना।
- 2) शिक्षा एवं प्राचीन संस्कृति का उत्थान करना।
- 3) आपसी प्रेम की भावना का विकास करना।
- 4) विदेशी शोषणकारी दुकूमत का सामना करने की भावना/चेतना उत्पन्न करना।
- 5) राष्ट्रीय चेतना का विकास करना।

इन संगठनों के विचारों से हरियाणा वासियों में स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता तथा लोकतन्त्र जैसे नए विचारों का बौद्धिक आधार तैयार किया गया तथा आत्म-विश्वास की भावना को बल प्रदान किया। इन संगठनों के द्वारा ही भ्रष्ट अंग्रेजी शासन के कारनामों की सही-सही तस्वीर जनता के सामने रखी। देशहित के लिए त्याग तथा बलिदान की भावना पैदा की गई। परिणामस्वरूप हरियाणा के लोग नए उत्साह के साथ संगठित होकर स्वतंत्रता के आंदोलन में और अधिक सक्रिय हुए और यथासंभव अपना योगदान दिया। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं

जैसे: लाला लाजपत राय, चन्दूलाल, रामजीलाल आदि ने राष्ट्रहित के लिए कार्य किए। देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत हजारों व्यक्ति जेल गए, यातनाएँ झेली, मगर पीछे नहीं हटे।

3. उदारवादी एवं राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान : नई चेतना के परिणामस्वरूप हरियाणा में एक नया राष्ट्रवादी वर्ग बनने लगा और यह राष्ट्रवादी वर्ग स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन की धाराओं से जोड़कर देखने लगा। 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना हुई तो लाला मुरलीधर ने अम्बाला में तथा लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की शाखाएँ स्थापित की। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को बड़े स्तर पर उजागर किया। 1905 ई. तक उदारवादियों का अनुसरण करते हुए शान्तिपूर्वक तरीके से कार्य होता रहा।

1905 ई. में जब बंगाल विभाजन किया गया तब इस जन समूह की राष्ट्रवादी लहर ने नया मेहमान ले लिया। पत्र-पत्रिकाओं में सरकार विरोधी संपादकीय लेख लिखे गए। दूसरी ओर सरकार ने घबराहर दमनचक्र चलाया। लाला लाजपत राय को देश निकाला देकर मांडले जेल (म्यांगा) भेज दिया गया। समाचार पत्रों व जलसे-जलूसों पर रोक लगा दी गई। युवकों को जेल में डॉल दिया गया। उन्हें कठोर यातनाएँ दी गई मगर अंग्रेजी सरकार नवयुवकों को राष्ट्रवादी गतिविधियों व सक्रिय भागीदारी से नहीं रोक पाई। 1909 ई. में सम्प्रदाय के आधार पर बाँट कर भी अंग्रेज आंदोलन को रोक नहीं पाए।

4. रैलट एक्ट का विरोध : प्रथम विश्व युद्ध (1914 ई.-1918 ई.) में महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से प्रदेशवासियों ने बहुमूल्य योगदान दिया। हजारों की संख्या में हरियाणा के नौजवान ब्रिटिश सरकार की ओर से समुद्र पार भी लड़ने के लिए गए। इस संग्रह करके महायता की गई लेकिन युद्ध के बाद स्वायत्तता का सपना संजोये हुए भारतीय जनता की गाँधे तब खुली कुमुली रह गई जब 1919 ई. में ‘रैलट एक्ट’ लागू किया गया। हरियाणा की जनता ने इसका खुलकर विरोध किया। विभिन्न शहरों में जनसभाओं का आयोजन करके अंग्रेजी सरकार के विरोद्ध मंदिर्ष करने का आवान किया गया तथा हड़तालें की गई।

5. गांधी जी की गिरफ्तारी : महात्मा गांधी ने हरियाणा के क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया, जिससे अंग्रेजी सरकार घबरा गई और 9 अप्रैल, 1919 ई. को गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य प्रमुख लोगों को भी गिरफ्तार करके दमनचक्र चलाया। इसी दौरान 13 अप्रैल, 1919 ई. को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में शान्तिपूर्वक चल रही सभा पर जरनल डायर द्वारा गोलियाँ चला दी गई और सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा देश इस अनहोनी घटना से हिल गया। हरियाणा में भी स्थान-स्थान पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ गई।


6. असहयोग आंदोलन में हरियाणा का योगदान : 1920 ई. में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को चलाने का

निर्णय लिया गया। अतः हरियाणा में लाला लाजपत राय, लाला दुनी चन्द, लाला मुरलीधर, गणपतराय आदि महान राष्ट्रीय नेताओं ने विभिन्न शहरों में जनसभाएँ आयोजित की। असहयोग आंदोलन के अन्तर्गत सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने उपाधियाँ त्याग दी। विद्यार्थियों ने सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाना बन्द कर दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। किसानों द्वारा कर देना बन्द कर दिया गया। विभिन्न शहरों में शराब की दुकानों एवं विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिये जाने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और खादी पहनने की शपथ ली गई। हरियाणा में असहयोग आंदोलन गाँव-गाँव तथा शहर-शहर में बड़ी सफलता से चल रहा था। इससे सरकार घबरा गई और उसने आंदोलकारियों की धर-पकड़ आरम्भ कर दी। हरियाणा के हजारों की संख्या में आंदोलनकारी गिरफ्तार किये गए। झज्जर के पांडा श्रीराम शर्मा ने भी असहयोग आंदोलन में ढेर-व्रद्धकर भाग लिया। उन्होंने व्यक्तियों को न केवल एकजुट होने अपितु विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए भी प्रेरित किया। हरियाणा के आंदोलनकारी नेताओं ने आंदोलन के स्थगन का विरोध करते हुए स्वराज्य दल में शामिल होकर वैधानिक गतिविधियों के अन्तर्गत असहयोग आंदोलन जारी रखा।

7. साइमन कमीशन का विरोध : 1927 ई. में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके सातों सदस्य अंग्रेज थे। हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार, अम्बाला आदि शहरों में प्रभात फेरी निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय सहित कई वरिष्ठ नेता प्रदेश से विरोध करने के लिए गए। इसी दौरान 1928 ई. को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गये और 17 नवम्बर, 1928 ई. को उनका निधन हो गया।



चित्र-5. गांधी जी द्वारा लोगों को आह्वान



चित्र-6. लाला लाजपत राय

सारा देश इस दर्दनाक घटना से आक्रोश में आ गया। इसके विरोध में मार्च 1929 ई. में रोहतक में प्रान्तीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें 30 हजार की भीड़ में अंग्रेजों की भरपूर निन्दा की गई। कुछ समय के बाद इसी स्थान पर कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन करके अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया।

8. नौजवान भारत सभा एवं हरियाणा : क्रांतिकारी विचारों वाले हरियाणा के नेताओं ने किसान, मजदूर व कारीगर वर्ग को 'नौजवान भारत सभा' से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

- 1) राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना।
- 2) साम्प्रदायिकता की भावना को समाप्त करके अनेकता में एकता स्थापित करना।
- 3) प्राकृतिक आपदा में आर्थिक व सामाजिक सहायता करना।
- 4) ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रवादी जागरूकता पैदा करना।
- 5) स्वदेशी शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार करना।

इस नौजवान सभा ने हरियाणा में विभिन्न शहरों में शाखाएँ स्थापित की। उभा के प्रमुख नेता गोपाल दास, राजेन्द्र सिंह, लक्ष्मण दास प्रमुख थे। इस सभा के व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों की गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान करते थे तथा क्रान्तिकारी नेताओं की हर तरह से सहायता करते थे। इसमें ऐस्ट लगाना, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना आदि प्रमुख कार्य थे लेकिन 1930 ई. में इस संगठन को अंग्रेजों ने अवैध घोषित करके इसके सदस्यों की धर पकड़ शुरू की थी। अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। धीरे-धीरे यह सभा कमजोर पड़ती गई।

9. हरियाणा में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस : 1929 ई. में जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया तब 26 जनवरी, 1930 ई. को हरियाणा सहित पूरे भारत में 'स्वाधीनता दिवस' मनाया गया। प्रदेश के हर नगर तथा गाँव-गाँव में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया जुलूस निकाले गए, सभाएँ की गई। राष्ट्रीय विचारधारा को और उधिक विस्तार दिया गया। इस कार्य को पूर्ण करने में नौजवान भारत सभा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हारकांगा के गाँव-गाँव में किसान-मजदूर व कारीगर वर्ग ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज बुलन्द की ताकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

10. सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा की भागीदारी : गांधी जी ने 12 मार्च, 1930 ई. में साबरमती आश्रम से 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' शुरू किया। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा (240 मील) पूरी करते हुए 6 अप्रैल, 1930 ई. को गुजरात के समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और नमक बनाकर कानून को तोड़ा। इसी के साथ प्रदेश की जनता में पुनः जोश आ गया। सत्याग्रहियों ने आंदोलन को शानदार ढंग से चलाने के लिए अम्बाला के सूरजभान की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 1930 ई. को

झज्जर के गाँव शाहिदपुर में (अत्यधिक खारा पानी होने के कारण) नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की। भिवानी में गणपत राय, रेवाड़ी में खडगबहादुर व भगवान दास, हिसार में नेकी राम, अम्बाला में विद्यावती तथा करनाल में गोपीचन्द आदि ने हजारों की संख्या में जन-आंदोलन को आगे बढ़ाया। महिलाओं द्वारा शराब व विदेशी सामान बेचने वालों की दुकानों पर धरना दिया गया। किसानों द्वारा 'कर मत दो' अभियान चलाया गया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा नारे लगाए। यहाँ तक कि स्त्रियों और लड़कियों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हरियाणा में आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार सकते में आ गई और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उस दौरान भी हरियाणा में आंदोलन की लहर कम नहीं हुई लेकिन मार्च 1931 ई. में "गांधी-इरविन घासौता" के तहत आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।

प्रदेश के नेताओं ने 1938 ई. में काश्मेर के अन्तर्गत मदीगा (रोहतक) में प्रान्तीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आंदोलन की लहर को पुनः उठाने के प्रयास किया। कुछ ही दिनों के बाद जब सुभाष चन्द्र बोस ने हरियाणा का दौरा किया तो यहाँ की जनत में एक नया जोश दैदा हुआ तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष ने जोर पकड़ा। राष्ट्रीय नेता पुनः भारत की स्वतन्त्रता के लिए संसर्जित हो गए।

11. भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का योगदान : 8 अगस्त, 1942 ई. को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्ध, बच्चे, जवान, स्त्रियाँ सभी हड़ताल में शामिल हो गए। प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशन, डाकघर, तारघर आदि नष्ट कर दिए गए। सरकार के प्रत्येक कार्य में बाधा पहुँचाई गई। प्रदेश के कई शहरों जैसे हिसार, रोहतक, अम्बाला, करनाल आदि में सरकारी भवनों पर तिरंगा झण्डा फहराया गया। कुछ लोगों ने धन संग्रह करके आंदोलनकारियों को बम, हथियार आदि उपलब्ध करवाए। सरकार ने आंदोलनकारियों को दबाने के लिए पुलिस व सेना की सहायता ली। कई शहरों में भीड़ पर गोलियाँ भी चलाई गई। प्रदर्शनकारियों को पकड़कर यातनाएँ दी गई। प्रदेश के प्रमुख नेताओं को जेल में बन्द किया गया। रेवाड़ी के सत्यनारायण वशिष्ठ 1944 ई. में मात्र 32 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार की यातना से शहीद हो गए। प्रैस एवं रेडियो पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया।

हरियाणा वासियों ने बिना शस्त्रों के अंग्रेजी सरकार का सामना किया। भारत के तिरंगे झण्डे को फहराने की चाह में सैकड़ों लोगों ने हँसते-हँसते बलिदान दिया। सरकार द्वारा सारे मानवीय तरीकों को एक तरफ रखकर आंदोलन को दबाने में पाश्विक दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया। फिर भी हरियाणा की जनता ने भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपने प्रेम और विदेशी राज के प्रति अपनी घृणा का जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा सहित पूरे भारत में अब अंग्रेजों को अपने साप्राज्य को बनाए रखना असम्भव लगने लगा। क्रान्तिकारी शक्तियों का दमन करना अब आसान काम नहीं रहा। अतः ब्रिटिश सरकार चाहकर भी स्वतंत्रता की वेला को रोक नहीं सकी। परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत स्वतंत्र हो गया।

12. हरियाणा की आजाद हिन्द फौज में भूमिका : 1938 ई. में कर्पोर का अध्यक्ष बनते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने हरियाणा के हिसार जिले के सातरोड़ गांव के अकाल सहायता केन्द्र का दौरा किया तथा सभी देशवासियों से हरियाणा के अकाल पीड़ितों की सहायता की अपील की। नेताजी ने हरियाणा के अन्य क्षेत्रों की भी यात्रा की उनके दौरे से हरियाणा के लोगों के मन में जोश एवं उत्साह का संचार हुआ। सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 1943 ई. में आजाद हिन्द फौज का ज़ुर्गठन करके भारत की स्वतंत्रता के लिए सिंगापुर में सेना का गठन किया गया। हरियाणा से लगभग 398 अधिकारी तथा 2317 सैनिक आजाद हिन्द फौज में भारत की स्वतंत्रता के लिए शामिल हुए। प्रदेश के इन सेनानियों ने उत्तर-पूर्वी भरत के जंगलों तथा बर्मा (म्यांमार) में असहनीय कष्ट झेलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा पंथ किया। नागरैण्ड व अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह पर स्वदेशी झण्डा फहराया गया। अतः हरियाणा के वीरों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में अपनी कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे अधिक जवान हरियाणा से शामिल थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए निरन्तर संघर्षरत रहे। कई वीर देशप्रेमी शहीद भी हुए।

13. स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की महिलाओं की भूमिका : राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा की महिलाओं ने भी अग्रिम पंक्ति में रह कर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। हरियाणा की महिला नेत्रियों में अरुणा आसफ अली व 'सुचेता कृपलानी' का नाम बड़े गर्व व सम्मान के साथ लिया जाता है। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई, 1908 ई. को हरियाणा के कालका में हुआ था। वे



चित्र-7. नेताजी सुभाषचंद्र बोस 1938 ई. में हिसार के सातरोड़ गांव में



चित्र-8. अरुणा आसफअली एवं सुचेता कृपलानी

एक सशक्त देशभक्त महिला थी। उन्होंने भारत छोड़े आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में महिलाओं का नेतृत्व किया। वह ग्वालिया टैंक मैदान (मुम्बई) में पहली महिला रही, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया। वे महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई। 1994 ई. में इन्हें 'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया। इनका नाम हरियाणा व पूरे भारत वर्ष में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है।

सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून, 1908 ई. को अम्बाला में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा। महिला आंदोलनों का नेतृत्व करना, उन्हें लाठी चलाना एवं प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा देना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ-साथ उन्होंने सभी आंदोलनों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। आजादी के बाद ये स्वतन्त्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बीं। अरुणा अमाफ अली तथा सुचेता कृपलानी के अतिरिक्त रोहतक की कस्तूरी बाई, अंबाला की भगवानी देवी तथा विद्यावती, हिसार की चित्रा देवी, भिवानी की मोहिनी देवी, गुरुग्राम की कमला देवी तथा सेवानीत की लीलाजीता ने भी विभिन्न राष्ट्रीय गतिविधियों में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ तो जेल भी गई।

14. हरियाणा की देशी रियासतों में जन आन्दोलन : हरियाणा में उत्तर पश्चिम कई देशी रियासतें थी, जैसे- दुजाना, पटौदी, लोहारू, जीन्द, कैथल आदि। इन रियासतों के शासक निरंकुश शासक थे। वे जनता के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते थे। इनके द्वारा लगाए गए ऊर अनुचित होते थे। कृषकों व मज़दूरों से बेगार कारवाई जाती थी। रियासतों की जनता उन शासकों से तंग थी। जब हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में जनजागृति आई तो इसका प्रभाव रियासतों की जनता पर भी पड़ा। पारंगामस्वरूप यहाँ भी राष्ट्रवादी लोगों ने प्रजा मण्डल आंदोलन शुरू किया। सन् 1927 ई. में रियासतों में आंदोलन को सही दिशा से चलाने के लिए 'आल इण्डिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस' का उन्न किया गया। इसमें पं. नेकीराम शर्मा, पं. हरिराम व रामजीलाल आदि प्रमुख व्यक्ति थे। 1946 ई. में प्रजामण्डल ने हरियाणा की सभी रियासतों में आक्रामक आंदोलन चलाया, जिसके अन्तर्गत किसानों ने कर देने से बङ्कार कर दिया, शेष वर्गों ने शासन से असहयोग किया तथा जनसमूह ने विरोध प्रदर्शन किया। आर्य समाज तथा सनातन धर्म के कार्यकर्ताओं ने रियासतों में विरोधी भावना को और अधिक उग्र किया। इस प्रकार विरोध के देखकर रियासतों के शासक धीरे-धीरे सुधार करने लगे तथा इन रियासतों में लोकतंत्रीय शासन की स्थापना हुई।

चौधरी छोटूराम

चौधरी छोटूराम हरियाणा के एक ऐसे नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन दरिद्र किसानों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने पंजाब के नेता फजले हुसैन से मिलकर 1923 ई. में 'यूनियनिस्ट पार्टी' का गठन किया। इस पार्टी का उद्देश्य किसानों और पिछड़े हुए गरीब लोगों का उद्धार करना था। जहाँ तक स्वतंत्रता की बात थी वह भी

कांग्रेस की तरह ही डोमिनियन स्टेटस की ही मांग करते थे। कांग्रेस का विस्तार अभी तक गांवों तक नहीं हुआ था। चौधरी छोटूराम तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने दरिद्र किसानों और पिछड़े हुए लोगों के हितों की आवाज उठाई। 1923 ई. के बाद हुए केंद्रीय विधान परिषद तथा पंजाब विधान परिषद के लगभग सभी चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी विजयी रही। चौधरी छोटूराम ने पंजाब सरकार में मंत्री रहते हुए किसानों के हितों के लिए कई कानून पास करवाए तथा किसानों को साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनके द्वारा पास करवाए गए कानून ‘सुनहरी कानूनों’ के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने ‘जाट गजट’ नामक अखबार का प्रकाशन एवं संपादन किया तथा ‘ठग बाजार की सैर’ तथा ‘बेचारा किसान’ शीर्षक के तहत 17 लेखों की एक शृंखला भी लिखी। उन्होंने किसानों में व्यक्त हीन भावना को मिटाकर आत्मविश्वास उत्पन्न किया। जनसाधारण ने उन्हें ‘रहड़ा-ए-आजम’ ‘दीनजंधु’ तथा ‘किसानों का मसीहा’ इत्यादि नाम दिए।



चित्र-9. चौधरी छोटूराम

हरियाणा एक पूर्ण राज्य के रूप में

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हरियाणा पंजाब राज्य के साथ जुड़ा हुआ था। इसके आर्थिक व सामाजिक हितों की निरंतर उपेक्षा की जा रही थी जिससे यहाँ के लोगों का अमुमब होने लगा कि पंजाब में रह कर उनका राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसके फलस्वरूप अलग प्रान्त के निर्माण के लिए आंदोलन छिड़ गया। 1940 ई. में ‘सच्चर समिति’ तथा 1953 ई. में “राज्य पुर्नगठन आयोग” ने भी इस क्षेत्र के हितों की उपेक्षा की जिसके कारण यहाँ विरोध प्रदर्शन होने लगे।

अलग प्रान्त की मांग को और अधिक प्राप्ति बनाने के लिए आर्य समाज, हिन्दू महासभा तथा जनसंघ आदि संगठनों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किए। पंडित श्रीराम शर्मा की अध्यक्षता में ‘हरियाणा विकास कमेटी’ द्वारा हरियाणा को अलग प्रान्त की मांग को पुरजोर तरीके से रखा गया। पंजाब सरकार ने बहुत लोगों को जेलों में बन्द कर दिया लेकिन विरोध बढ़ता देखकर एक अलग प्रान्त की मांग को स्वीकार कर लिया गया। एक विधेयक के अनुसार 1 नवम्बर, 1966 ई. को हरियाणा का एक पूर्ण राज्य के रूप में उदय हुआ जिसमें हिसार, रोहतक, गुड़गाँव, करनाल, अम्बाला, जींद, महेन्द्रगढ़ का क्षेत्र शामिल किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा केवल एक कृषि प्रधान प्रदेश ही नहीं है बल्कि वीरों की भूमि भी है। न केवल 1857 ई. की क्रांति में बल्कि उसके बाद भारत की आजादी के समय तक भी हरियाणा के लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

तिथिक्रम

- सुर्जीअर्जुन गाँव की संधि 1803 ई.
- अंबाला में क्रांति का आरंभ 9 मई, 1857 ई.
- राजा नाहर सिंह को फाँसी 9 जनवरी, 1858 ई.
- राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर, 1863 ई.
- पलवल स्टेशन से गांधी जी की गिरफ्तारी 9 अप्रैल, 1919 ई.
- ऑल इंडिया पीपुल्स कांफ्रेंस का गठन 1927 ई.
- लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर, 1928 ई.
- सच्चर समिति का गठन 1949 ई.
- राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 ई.
- हरियाणा की अलग राज्य के रूप में स्थापना 1 नवंबर, 1966 ई.

याद रखने योग्य तथ्य

हरियाणा के केन्द्र

- झज्जरा
- फर्रुखनगर
- झाड़सा परगांव
- हांसी
- बल्लभपुर्द
- दुजाना
- रानियां
- रोहतक
- हिसार
- रेवाड़ी

क्रांतिकारियों के नाम

- नवाब अब्दुर्रहमान खान
- नवाब अहमद अली खां
- चौधरी बख्तावर सिंह
- लाला हुकमचंद जैन
- राजा नाहर सिंह
- हसन अली
- नूर समद खां
- बिरासत खां
- मोहम्मद आज़म
- राव तुलाराम

1857 ई. की क्रांति में हरियाणा के शहीदी स्मारक



चित्र-10. शहीदी स्मारक, नसीबपुर (नारनौल)

शहीदी स्मारक, हास्ती

चित्र-11.

क्रांति के समय

राव तुलाराम

द्वारा

दिल्ली के

बादशाह

बहादुरशाह

जफर को

दिल्ली में

भारतीय सेना

की सहायता

पहुंचाने हेतु

भेजा गया पत्र

राव तुलाराम द्वारा दिल्ली स्थित
भारतीय सेनाओं की सहायता

हजरत जहाँपनाह, बादशाह सलामत, सिकन्दर बहादुर से दैनिक खाते
करने वाले, अपने समय के नीशंरवी लक्षण और विवर की जिताई।

मैं बादशाह के खास शुक्रका दिल्लीका (दिल्ली के छोटे नहीं हैं)

जलहिजा 21 जुलाई-अगस्त 1857 ई.) जिसने मेरे सम्मान को

दायरा, को अख्यात अमानी हूँ। इसे 12 बातें घोरियों लक्ष सत्ता

हजार तालानी ढाट मोचानी दें लाए जाते हैं। बादशाह तत्त्वानुष्ठान का

स्थानीयता नोकरी न के बातों के अलावा के पालन के द्विए मैंने भारतीय

प्रबल्ल किए हैं। कृपया इन्हें देखें। इन्हें अधिक अधिक अधिक ही है। ग्रापत करने में वाक्फ़ के

पाया है। अंदर उन्हें बहादुर सलामत की लाजा में मेज रखा है।

को प्राप्त करने हो जाएं तो उन्हें उन्होंने एवं लदवार यह घोरियों द्वारा जाने

का अवक्षु दिल्ली उन्हें सही सलामत वापिस लौटाने की कृपा करें।

असोन जादिर के लाभ भगवान करे की शा शानि और ऐश्वर्य का

पूर्ण सम्भव हो। अचमकता रहें।

पुरा ना स्वामीमत्त सेवक

राव तुलाराम बहादुर

(राव तुलाराम की शोहर)

मुझी गोर्ज, 1857, नं. 34, डॉक्यूमेंट नं. 14, नो डेट एन.ए.आइ. ली. के।
सी. एस. एस. अनुवाद।

1

रिकार्ड रखने के भरे

1. सुर्जीअर्जुन गांव की संधि ई. में हुई।
2. दुजाना में क्रांति का नेतृत्व ने किया।
3. रोहतक में क्रांति का बिगुल के नेतृत्व में बजा।
4. राव तुलाराम का देहांत शहर में हुआ।

2 उचित मिलान करो :

- केन्द्र**
- क) झज्जर के नवाब
 - ख) झाड़सा परगना के शासक
 - ग) रानियां के नवाब
 - घ) हांसी
 - ड) बल्लभगढ़

क्रांतिकारियों के नाम

- 1. चौधरी बख्तावर सिंह
- 2. राजा नाहर सिंह
- 3. लाला हुक्म चंद जैन
- 4. अब्दुर्रहमान खान
- 5. नूर समद खां

3 फिर से जानें :

1. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 1938ई. में हितान के सातरोड़ गांव में आए।
2. राव तुलाराम का साथ देने वाले नवाब चक्रे भाई का नाम गोपाल देव था।
3. नसीबपुर का युद्ध राव किशन सिंह के नेतृत्व में लड़ाया।
4. आजाद हिन्द फौज का पुनावृत्त 1943ई. में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने किया।
5. हरियाणा में स्थित दो रियासत जीन्द व कैशल थीं।
6. हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966ई. को अस्तित्व में आया।

4 आइये विचार करें :

1. 1857ई. की क्रांति में हरियाणा के विभिन्न जिलों का अपना योगदान रहा है। क्रांतिकारियों को नेतृत्व का वर्णन करते हुए विस्तारपूर्वक चर्चा करें।
2. 1857ई. की क्रांति में राव तुलाराम की क्या भूमिका रही? व्याख्या करें।
3. 1857ई. की क्रांति में रोहनात गांव की भूमिका पर विचार करें।
4. असहयोग आंदोलन में हरियाणा के योगदान पर चर्चा करें।
5. आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आजाद हिन्द फौज में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण थी? अपने विचारों से स्पष्ट करें।
6. हरियाणा कब व किस प्रकार एक पूर्ण राज्य के रूप में विकसित हुआ? स्पष्ट करें।